डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 22.03.2021 से 28.03.2021 ▶ वर्ष-38 ▶ अंक-12 ▶ मूल्य ₹10.00

मिशन ग्रामोदय

गांवों में आयेगी खुशहाली और होगा समग्र विकास - मुख्यमंत्री

धार, नगरोदय मिशन के बाद पूरे प्रदेश में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं देने के साथ ही मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इससे ग्रामीणों के चेहरों पर नई मुस्कुराहट और उनके जीवन में नई खुशहाली आयेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में ग्रामोदय मिशन के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहीं। कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान धार जिले में 'मिशन ग्रामोदय' कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वेघरों के लिए तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी 3 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर जरूरतमंद परिवारों को दिए गए। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2022 तक कोई भी आवासहीन नहीं रहे, सबका पक्का मकान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है। किसानों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसानों के हक की बीमा राशि, राहत राशि, सम्मान निधि सहित अन्य सभी सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बैंकों में बकाया कृषि ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में भगोरिया सहित अन्य किसी भी त्योहार एवं पर्व को मनाने पर रोक नहीं है। कोरोना प्रभावित जिलों में जन-स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि धार में स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर बस स्टैण्ड तथा पीथमपुर में शासकीय महाविद्यालय का नया भवन बनाया जाएगा।

जरूरतमंदों को मिलेगा संबल योजना का लाभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि संबल योजना पुनः शुरू की गई है। इसके हर घटक का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्नत स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ऐसे स्कूल के बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

स्व-सहायता समूहों को बनायेंगे मजबूत

श्री चौहान ने कहा कि मिशन ग्रामोदय में स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मिशन ग्रामोदय प्रारम्भ किया गया है। इसमें हर गांव में पक्की सड़क का निर्माण, हर ग्राम पंचायत का भवन, हर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम और खेल मैदान होंगे। हर गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इस वर्ष 26 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री आवास तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अव्वल 5 राज्यों में शामिल है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुये हैं।

गेहूं उपार्जन

किसानों के गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा - मुख्यमंत्री

भोपाल, किसानों के गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। सभी जिलों में गेहूं उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से सुनिश्चित की गई हैं। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिये व्यापक प्रबंध किये जाकर उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। समय पर किसानों की फसल का उपार्जन हो और उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार के लिए एक-एक किसान महत्वपूर्ण है। किसी भी किसान का भुगतान रुकना नहीं चाहिए। उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की भी व्यवस्था की जाये। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एक बैठक में कहीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर की जा रही हैं। इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में 22 मार्च से और शेष संभागों में एक अप्रैल से गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन से कोई किसान चूके नहीं, इसके लिये पंजीयन की तिथि में दो बार वृद्धि भी की गई है।

4763 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी

श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में किसानों की सुविधा के लिये उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस बार 4763 केंद्र पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है। सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिये माकूल व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। श्री चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे निश्चिंत होकर अपना गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लाएं। सभी किसानों के गेहूं का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी।

खास खबर

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में आंशिक संशोधन

भोपाल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) वर्ष 2021 के परीक्षा कार्यक्रम की तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। नवीन संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अब हाईस्कूल परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई 2021 एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा एक मई से 21 मई, 2021 तक आयोजित की जायेगी।

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

कोरोना की स्थिति की समीक्षा

कोरोना संक्रमण रोकने में नागरिक दें अपना योगदान - मुख्यमंत्री

भोपाल, प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं। फिर से गंभीर स्थिति न हो, इससे बचने के लिए मेरा प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कहीं भीड़ न करें तथा कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वे न केवल अपनी, अपनों की, बल्कि समाज में सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। सरकार सभी आवश्यक इंतजाम कर रही है, परंतु संक्रमण रोकने के लिए आप सभी का पूरा सहयोग बहुत जरूरी है।

सामाजिक समारोह की अनुमति लेनी होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्दौर, भोपाल एवं जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन के दौरान सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये प्रदेश के भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर नगरों में आगामी 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण में विगत दिनों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि इन्दौर, भोपाल और जबलपुर शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

नवीन अतिरिक्त निर्देशानुसार लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल एवं उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने-जाने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिये छूट रहेगी।

भारत माला परियोजना में मध्यप्रदेश को मिलेंगे 50 हजार करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये।

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क, परिवहन, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से चर्चा करते हुये उनसे केंद्रीय सड़क निधि योजना अंतर्गत 1858 करोड़ रुपये के 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन तथा अन्य सड़कों के निर्माण के कार्यों में आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान कर परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये इस वर्ष दिसम्बर तक मध्यप्रदेश को 50 हजार करोड़ रुपये प्रदान करने की कार्ययोजना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के 309 किलोमीटर हिस्से के लिये आवश्यक 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि एनएचएआई के स्वामित्व में निःशुल्क आवंटित कर दी गयी है। वन भूमि के व्यपवर्तन पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भू-अर्जन और अदला-बदली के माध्यम से एनएचएआई को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की तैयारियां कर ली गई हैं।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

13 मार्च

सभी इंजीनियरिंग कोर्स में जरूरी नहीं होंगे भौतिकी, रसायन और गणित विषय

● नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को

मंजूरी दी गई है। इस बदलाव के तहत अब विद्यार्थी बगैर भौतिकी, रसायन और गणित की पढ़ाई किये भी इंजीनियरिंग के कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। इस संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि भौतिकी, रसायन और गणित जैसे विषय इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिये अहम हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के कुछ कोर्स जैसे- बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर में ये विषय जरूरी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बदलाव को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसे सिर्फ एक विकल्प के रूप में रखा गया है।

● अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने एच-वन बी वीजाधारकों को बड़ी राहत दी है। अमेरिका में एच-वन बी वीजाधारकों के लिये न्यूनतम वेतन संबंधी विवादास्पद नियम को फिलहाल लागू नहीं किया जायेगा। बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस नियम को लागू करने में हुई देरी को लेकर एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार इस नियम को प्रभावी करने की तारीख और उसके साथ क्रियान्वयन की अवधि में और विलंब किये जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस नियम को प्रभावी करने की तारीख 14 मई और एक जुलाई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में एच-वन बी वीजा के आधार पर अमेरिकी कंपनियां उच्च कुशल विदेशी कामगारों को रोज़गार देती हैं।

● म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गये हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिये सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार में एक फरवरी को हुये तख्ता पलट के बाद अब तक लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार में जारी तनाव पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना बर्बरता है और मानवता के खिलाफ अपराध है।

14 मार्च

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिये सौ दिन का काउंटडाउन कार्यक्रम हुआ शुरू

● केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा आयुष राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) में सातवें

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिये सौ दिन के काउंटडाउन की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि योग ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दी है। योग में रोज़गार के अवसरों की व्यापक संभावनायें हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि एमडीएनआईवाई में लेह-लद्दाख के योग प्रशिक्षकों के लिये योग पुनः उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

● नेपाल में राजनैतिक अस्थिरता का दौर जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा 'ओली' की सरकार में शामिल दो मंत्रियों को पार्टी अनुशासन तोड़ने के आरोप में अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है। पार्टी में प्रचंड गुट के नेताओं ने गृह मंत्री राम बहादुर थापा और ऊर्जा मंत्री शीर्ष बहादुर रायामाझी को इस्तीफा देने को कहा है। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर है, जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट ने ओली सरकार के मंत्रियों को पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया है।

● जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव इंसानों पर ही नहीं अपितु पेड़-पौधों और वनस्पतियों पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पेड़-पौधों की प्रतिरक्षण प्रणाली प्रभावित हो रही है। यह जानकारी राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो (मऊ) और काशी हिंदू विश्वविद्यालय (वाराणसी) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गये एक शोध में सामने आई है। शोधकर्ताओं के अनुसार पौधों को सूक्ष्म जीवों से बना टीका (बूस्टर डोज) दिया जाये तो उन्हें अजैविक तनाव से बचाया जा सकता है।

15 मार्च

पर्यटक वाहनों को 30 दिनों में मिलेगा ऑल इंडिया परमिट

● केंद्र सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन क्षेत्र के वाहनों को ऑल इंडिया परमिट देने की ऑनलाइन व्यवस्था का ऐलान किया है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिये ऑल इंडिया परमिट के लिये आवेदन कर सकता है। जरूरी दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद 30 दिन के भीतर यह परमिट जारी किया जायेगा। नई व्यवस्था से देश में पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथोराइजेशन एंड परमिट रूल्स-2021 नियमावली के अनुसार ऑल इंडिया परमिट एक बार में न्यूनतम तीन महीने तथा अधिकतम तीन वर्षों के लिये जारी किया जायेगा।

● कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिये चीन के दौरे पर गई वैज्ञानिकों की टीम ने दावा किया है कि वुहान स्थित वेट मार्केट से कोरोना वायरस के फैलने की संभावना सबसे अधिक है। टीम के एक वैज्ञानिक डॉ. पीटर डस्जाक ने बताया कि टीम को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, जिनसे यह साबित हो कि वायरस वुहान लैब से फैला हो। हालांकि वुहान के वेट मार्केट में ऐसे लिंक का पता चला है, जहां सबसे पहले चमगादड़ों में कोरोना के मामले सामने आये थे। वैज्ञानिकों की टीम में डॉ. डस्जाक के अलावा प्रोफेसर डेविड हैयमैन, प्रोफेसर मैरियन कोपामन्स और प्रोफेसर जॉन वॉटसन भी जांच के लिये चीन गये थे।

16 मार्च

इस वर्ष सिर्फ एक बार आयोजित होगी नीट परीक्षा

● एमबीबीएस सहित विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) इस

वर्ष सिर्फ एक बार आयोजित की जायेगी। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा इस वर्ष एक अगस्त को आयोजित की जा रही है। इससे पहले यह परीक्षा हर वर्ष दो बार आयोजित की जाती थी। श्री निशंक ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नीट परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सलाह-मशविरा के साथ करती है। अभी इस संदर्भ में एनटीए को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

● विश्व में हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक भारत में बीते पांच वर्षों के बीच हथियारों के आयात में 33 प्रतिशत की कमी आई है। यह जानकारी हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने की कोशिशों से भारतीय आयात में कमी आई है। भारत अब हथियार खरीदी में इजराइल और फ्रांस को तरजीह दे रहा है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन भारत ने अमेरिका से भी 46 प्रतिशत कम निर्यात किया है।

● चीन में आये रेतीले तूफान के कारण जन-जीवन प्रभावित हुआ है। यह पिछले 10 वर्षों में चीन का सबसे भयंकर रेतीला तूफान है। तूफान के कारण सड़कों पर धूल की मोटी चादर बिछ गई है। रेतीली आंधी की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 81 लोग लापता हो गये हैं। चीन के मौसम विभाग के अनुसार यह रेतीला तूफान गोबी रेगिस्तान से चली तेज हवाओं के कारण आया है। तूफान के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।

17 मार्च

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी अब मिलेगी ऑनलाइन

● सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमाणित कॉपी अब पक्षकारों को घर बैठे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी हासिल करने

में लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये ई-कॉपिइंग वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट की मदद से लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमाणित कॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यह सुविधा किसी मामले में जुड़े पक्षकार को ही मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी हासिल करने के लिये दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किसी भी अदालती कामकाज या दूसरे कार्यों में कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी लगानी होती है। इस वेबसाइट के शुरू होने से पक्षकारों को सहूलियत होगी।

● भारतीय सेना ने अपनी दो तोपखाना प्रणालियों 130 एमएम स्वचलित एम-46 प्रक्षेपक तोप तथा 160 एमएम टैम्पेल्ला मोर्टारों को सेवा से मुक्त कर दिया है। राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित एक समारोह में रस्मी तौर पर इन तोप प्रणालियों से अंतिम फायर किये। ये हथियार प्रणालियां भारतीय सेना में 60 वर्षों से हैं। अब सेना के पास नवीनतम तकनीक वाली आयुध प्रणालियां आ गई हैं, ऐसे में इन्हें सेवामुक्त किया गया है।

● उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट 10 मई को श्रद्धालुओं के लिये खोले जायेंगे। यह जानकारी हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिंद्रा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के दौरान दी। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट द्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट एक जून के स्थान पर 10 मई को खोलने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा स्थगित रही थी।

18 मार्च

पंद्रह साल पुराने वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण होगा महंगा

● केंद्र सरकार 15 साल से पुराने वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण शुल्क बढ़ाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस मसौदे के अनुसार 15 साल या इससे ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई है। यह नियम एक अक्टूबर 2021 से लागू होगा। यह बढ़ोत्तरी सभी निजी और वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी। मसौदे के तहत पुराने दोपहिया वाहन का पंजीयन नवीनीकरण के लिये मौजूदा शुल्क 300 रुपये की जगह एक हजार रुपये लगेंगे। वहीं चार पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिये 5 हजार रुपये लगेंगे। 15 साल पुराने बस या ट्रक के फिटनेस नवीनीकरण के लिये 12,500 रुपये खर्च करने होंगे।

● देश की सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के निजीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं है। बीएसएनएल अगले दो वर्षों में फोर जी (4G) सेवा पूरी तरह शुरू करेगी। यह जानकारी केंद्रीय संचार राज्यमंत्री श्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दी। राज्यमंत्री ने बताया कि बीएसएनएल ने फोर जी टेंडर में भागीदारी की इच्छुक भारतीय कंपनियों से ब्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स (पीओसी) के लिये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाये हैं।

● अमेरिका के अटलांटा में तीन स्पा सेंटर्स में हुई अंधाधुंध फायरिंग में चार एशियाई मूल की महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह हमला स्थानीय समयानुसार शाम पांच बजे अटलांटा से पचास किलोमीटर दूर स्थित एसवर्थ इलाके में हुआ। इस घटना के बाद एशियाई समुदाय के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई है।

19 मार्च

एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित

● यूरोपीय दवा नियामक संस्था यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन 'कोविशील्ड' पूरी तरह सुरक्षित है। ईएमए ने जांच के नतीजों के आधार पर कहा कि इस वैक्सीन में जोखिम की तुलना में फायदे ज्यादा हैं। ईएमए ने कहा कि एस्ट्राजेनेका का टीका लगवाने के बाद जिन लोगों को रक्त के थक्के बने थे, उनकी जांच में पाया गया कि रक्त के थक्के का जुड़ाव टीके से नहीं था। उल्लेखनीय है कि एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगवाने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायतें आने के बाद कई यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड के टीकों पर रोक लगा दी थी।

● अफगानिस्तान के मध्य प्रांत में स्पेशल फोर्स का हेलीकॉप्टर एमआई-17 दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में अफगानी सेना के नौ जवानों की मौत हो गई। यह जानकारी अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के अनुसार यह हादसा मैदान वर्दक प्रांत के बेहसुद जिले में हुआ। इस हादसे में चालक दल के चार सदस्यों के अलावा पांच सुरक्षाकर्मी मारे गये हैं। इसके अलावा राजधानी काबुल में एक मिनी बस बमबारी का शिकार बन गई। इस हादसे में एक महिला सहित लगभग चार लोग मारे गये हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)

LORD KRISHNA COLLEGE OF TECHNOLOGY, INDORE
Campus: Gram Bhaislaya, Rau-Pithampur Bypass Road, Near IIM Opp.STI Limited, Indore
Approved by AICTE,Affiliated to RGPV Bhopal, DAVV Indore
Mob.: 6262018080,6262023939
APPLICATIONS INVITED FROM CANDIDATE OF MANAGEMENT
PRINCIPAL / PROFESSOR / ASSOCIATE PROFESSOR / ASSISTANT PROFESSOR
FOR MBA (FULL TIME) & MBA (MARKETING MANAGEMENT)
Proposed Name: LNCT (BHOPAL) INDORE CAMPUS, INDORE
Note : Qualification & salary as per AICTE norms.
Selection will be under DAVV college code 28
Registrar
Apply within 7 days at lkctindore@rediffmail.com, indoreinct@inct.ac.in
ANIL PUB.
R-45385/2021

वर्ष 38, अंक 12 22.03.2021 से 28.03.2021

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
● सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
● कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार वनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● आकल्पन - हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन, अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

कोरोना को परास्त करना है - मुख्यमंत्री

कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से फैल रहा है। इसके नियंत्रण के लिये आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगायी जा सकती। व्यापार और रोज़गार में कोरोना से बचाव की सावधानियों का कड़ाई से पालन करें, नहीं तो सरकार कड़ाई करेगी। यह प्रदेश में गुड-गवर्नेंस की पुनः परीक्षा है। उपरोक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। श्री चौहान प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समस्त कमिश्नर्स-कलेक्टर्स और मेडिकल कॉलेजों के अधिष्ठाताओं से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों, उज्जैन-सागर, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम और छिंदवाड़ा में भी रात्रि दस बजे से प्रातः छह बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने के निर्देश दिये। महाराष्ट्र में बनी कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुये महाराष्ट्र से आने-जाने वाली यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में प्रदेश को 5 लाख डोज प्रति दिवस की स्थिति में लाने के लिये तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण पुनः फैलना आरंभ हुआ है। इस पर नियंत्रण के लिये हरसंभव प्रयास अभी से आरंभ करना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रदेश को कठिनतम परिस्थितियों से निपटने के लिये भी तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये आवश्यक सावधानियों के लिये अभियान में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और धर्मगुरुओं का सहयोग लें। साथ ही जन-जन को मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और टीकाकरण के लिये प्रेरित करें। कोरोना के कारण हमें होली सावधानी से निकालनी होगी। होली के जुलूसों, गेर और मेलों का आयोजन नहीं हो सकेगा। सामाजिक और बड़े आयोजनों पर भी सतर्कता बरतना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली त्योहार में बड़ी संख्या में श्रमिक साथी अपने पैतृक ग्रामों और नगरों में लौटेंगे। उन्होंने मनरेगा तथा अन्य योजनाओं में पर्याप्त रोज़गार देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामों में पर्याप्त रोज़गार के अवसर सृजित किये जायें, ताकि श्रमिक भाई संक्रमण प्रभावित शहरों की ओर जाने के लिये मजबूर न हों। उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। होम आइसोलेशन में टेली-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको पर्याप्त इलाज, सुझाव देने और सतर्क निगरानी की व्यवस्था हो। इसके साथ ही छोटे घरों में जहां आइसोलेशन संभव नहीं है, वहां शासकीय अस्पतालों में पृथक वार्ड बनाकर आइसोलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। निजी अस्पतालों की क्षमताओं का उपयोग करते हुये उन्हें एप पर जोड़ कर वहां आ रहे मरीजों की जानकारी और उनकी स्थिति से भी जिला प्रशासन लगातार अवगत रहे। निजी अस्पतालों के लिये जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी वसूली न करे। उन्होंने कहा कि भोपाल, इन्दौर आदि शहरी क्षेत्रों में कार्यालयों में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये शासकीय के साथ-साथ निजी कार्यालयों में भी थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया जाये। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का तेजी से विस्तार करने के निर्देश दिये। कोविड टीकाकरण अभियान को जन-जन का अभियान बनाने के लिये समाजसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का भी सहयोग लिया जाये। मध्यप्रदेश सरकार कोविड महामारी से निपटने के लिये हरसंभव उपाय कर रही है। इसमें प्रदेश की जनता से भी यह अपेक्षा है कि वे इस कार्य में सरकार का पूरी तरह से सहयोग करे।

मनुष्य के शरीर के घाव जल्दी भरेंगे

विज्ञान के जरिये मानव जीवन में अनेक सुधार के उपाय किये जा रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीक के जरिये मानव जीवन बेहद आसान बन गया है। मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें तकनीक के इस्तेमाल से मानव जीवन को बेहतर उपचार मुहैया करवाया जा रहा है। वैज्ञानिक अब ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसकी क्षमता मानव शरीर के घावों को इंसान के अपने शरीर की स्वाभाविक क्षमता की तुलना में पांच गुना अधिक तेजी से भरने में कारगार है। सुनने में यह बात किसी फिल्मी किरदार के सुपरपावर की तरह लगती है। लेकिन अमेरिका में वायुसेना अपने योद्धाओं के घाव जल्दी भरने के लिये ऐसा तरीका विकसित कर रही है। मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वैज्ञानिकों की टीम युद्ध के समय घायल हुये सैनिकों के घाव, जलने या चोट के उपचार के लिये एक सेलूलर रिप्रोग्रामिंग की खोज कर रहे हैं, जो इंसान की खुद की स्वाभाविक प्रक्रिया से पांच गुना ज्यादा कारगर हो। सेल प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन कारक कहे जाने वाले प्रोटीन का उपयोग करके जीनोम को संशोधित किया जाता है। जो सेल विभाजन और विकास तथा सेल माइग्रेशन और संगठन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिये विभिन्न जीव को रोकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को स्प्रे ऑन बैंडेज के जरिये लगाया जा सकता है। यह एक्सपोज्ड मांसपेशियों की कोशिकाओं को त्वचा कोशिकाओं में बदलने की क्षमता रखता है, जो कि घाव को कवर करते हैं, ताकि वे घाव जल्द से जल्द ठीक हो जायें।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

विश्व मौसम विज्ञान दिवस **23 मार्च**

महासागरीय विज्ञान से विकास को समर्पित है ये दशक

'विश्व मौसम विज्ञान दिवस' विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के रूप में विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के मानवीय विकास में योगदान को प्रदर्शित करना है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। प्रतिवर्ष इस दिन देश-विदेश में मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों में मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए कई पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है। ये पुरस्कार हैं अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार, नॉर्बर्ट गेर्बियर-मम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रोफेसर डॉ. विल्हो वैसाला आदि पुरस्कार शामिल हैं।

प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में मौसम विज्ञान की भूमिका

वर्तमान समय में मौसम विज्ञान में केवल मौसम संबंधी विधा शामिल नहीं है, बल्कि इसमें समस्त भू-विज्ञान है। इसका इस्तेमाल बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। हाल ही में देश-विदेश में आई कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं भूकंप, तूफान, बाढ़ को मौसम विज्ञान के अनुमान लगाने के कारण काफी हद तक पहले ही नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ी जन-धन की हानि रुक गई। इसका उपयोग नाविकों, समुद्री जहाजों और उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो सड़क एवं विमान यातायात का प्रबंधन संभालते हैं। आज के समय में हम अपने स्मार्ट फोन की मदद से भी कहीं जाने से पहले उस जगह के मौसम का अनुमान जान लेते हैं और उसके हिसाब से ही यात्राएं करते हैं।

कोरोना काल ने बदली मौसम और प्रकृति की तस्वीर

वर्ष 2020 में शुरू हुए कोरोना के प्रकोप का असर पूरी दुनिया पर अब भी जारी है, लेकिन इस चीज ने कुछ बेहतर किया तो वह प्रकृति पर होने वाली प्रदूषण की मार को कुछ हद तक कम भी किया। चाहे हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के तटों को देखें या कहीं अन्य जगहों की नदियों, झीलों को तो उन पर प्रदूषण का असर कुछ हद तक कम हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के द्वारा वार्षिक ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन (WMO's annual greenhouse gas bulletin) प्रकाशित किया जाता है। यह बुलेटिन वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग गैसों की सांद्रता (concentrations of global warming gases) के बारे में बताता है। इस वर्ष प्रकाशित इस बुलेटिन के माध्यम से पता चला है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल कार्बन उत्सर्जन (carbon emissions) में काफी गिरावट आई है, क्योंकि परिवहन और उद्योग में भारी कटौती हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे वैश्विक स्तर पर कार्बन (या कार्बन डाइऑक्साइड) के वायुमंडलीय सांद्रता में निरंतर वृद्धि पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का वायुमंडल में स्तर भाग-प्रति मिलियन (parts per million -ppm) में मापा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार, 2019 में इसका वैश्विक औसत 409.8 पीपीएम था। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण ज्यादातर देशों ने अपने-अपने यहां लॉकडाउन लगाया था। इसलिए इस वर्ष की शुरुआत में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई थी।

'The Ocean, our climate and weather' है इस वर्ष की थीम

विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम पर मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम जलवायु और जल थी। वर्ष 2021 में इसकी थीम The Ocean, our climate and weather अर्थात् महासागर, जलवायु और मौसम को निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को Decade of Ocean Science for Sustainable Development घोषित किया है। अर्थात् सतत विकास के लिए महासागरीय विज्ञान को समर्पित दशक है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट 'चेंज' (IPCC) की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 'महासागर गर्म हो रहे हैं, उनका अम्लीकरण बढ़ रहा है और उनकी उत्पादकता घट रही है। ग्लेशियरों (हिमनदों) और बर्फीले इलाकों के पिघलने से समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में मौसम की घटनाएं और ज्यादा गंभीर हो रही हैं।' महासागर और क्रायोस्फेयर (पृथ्वी का बर्फ से ढंका क्षेत्र) पृथ्वी पर जीवन सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में और निचले तटीय इलाकों में करोड़ों लोग निवास करते हैं। लाखों लोग स्थाई रूप से आर्कटिक क्षेत्र के निवासी हैं और लघु द्वीपीय विकासशील देशों में भी करोड़ों लोग रहते हैं। आईपीसीसी प्रमुख के अनुसार, 'सागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और उच्च पर्वतों वाले क्षेत्र कई लोगों को बहुत दूर दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन पर निर्भर हैं और उनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई मायनों में प्रभावित होते हैं जैसे 'मौसम व जलवायु, भोजन व पानी, ऊर्जा, व्यापार, परिवहन, मनबहलाव व पर्यटन, स्वास्थ व कल्याण और संस्कृति व पहचान के लिए।' जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों और क्रायोस्फेयर में अभूतपूर्व और स्थाई बदलाव आ रहे हैं जिनसे विश्व के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, को 195 सदस्य देशों की सरकारों ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट बताती है कि 2015 पेरिस समझौते के अनुरूप वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को कम करने पर लाभ होगा। इसके अलावा जलवायु संकट से निपटने के लिए सामयिक, महत्वाकांक्षी और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 'अगर कार्बन उत्सर्जन तेजी से कम किए जाते हैं तो भी लोगों और उनकी आजीविका पर असर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन संवेदनशील हालात में रह रहे समुदायों के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। हम सहनशीलता के निर्माण की अपनी सामर्थ्य बढ़ाएंगे और टिकाऊ विकास के लिए इससे लाभ होंगे।' रिपोर्ट बताती है कि टिकाऊ विकास के लिए महत्वाकांक्षी और प्रभावी कदम उठाने के फायदे होंगे, लेकिन अगर कार्रवाई में देर हुई तो फिर उससे जोखिम और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान पहले ही पूर्व औद्योगिक स्तर से एक डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।

निरंतर गर्म होकर पिघलते महासागर

वैज्ञानिक तथ्य दर्शाते हैं कि तापमान में बढ़ोत्तरी का पारिस्थितिकी तंत्रों और लोगों पर गंभीर असर पड़ेगा। महासागर गर्म हो रहे हैं, उनका अम्लीकरण बढ़ रहा है और उनकी उत्पादकता घट रही है।

पर्वतीय इलाक़ों में लोग जल की उपलब्धता में आ रहे बदलावों का असर झेल रहे हैं, ग्लेशियर (हिमनद) और बर्फ़ीले इलाके पिघल रहे हैं जिससे भूस्खलन, हिमस्खलन, चट्टानों के गिरने और बाढ़ के ख़तरे बढ़ेंगे। अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जन जारी रहा तो यूरोप, पूर्वी अफ़्रीका और इंडोनेशिया में छोटे ग्लेशियर कई फीसदी तक पिघल सकते हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को तात्कालिक ढंग से घटाने से महासागर के जलस्तर और क्रायोस्फेयर में आ रहे बदलावों को सीमित रखने में मदद मिलेगी, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्रों और उन पर निर्भर जीवन को भी संरक्षित किया जा सकेगा। रिपोर्ट में जलवायु से संबंधित खतरों और उन चुनौतियों का जिक्र है जिनका मौजूदा और भावी पीढ़ी को सामना करना पड़ेगा। साथ ही रिपोर्ट में ऐसे विकल्पों और बदलावों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें अब और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु अनुकूलन और चुनौतियों के लिए तैयारी लोगों, समुदायों और उन्हें उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगी। ये रिपोर्ट 36 देशों के 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने ताजा आंकड़ों और सात हजार से ज्यादा वैज्ञानिक प्रकाशनों के आधार पर तैयार की गई है।

भारत में कृषि के क्षेत्र में मौसम विज्ञान के कार्य

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां कृषि बहुत हद तक मौसम पर ही निर्भर करती है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में मौसम विज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देश में कृषक समुदाय को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए, फसलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करने एवं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल मौसम का उपयोग करने के उद्देश्य से, पुणे में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की छत्रछाया में 1932 में कृषि मौसम विज्ञान का एक विशेष प्रभाग स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना से यह प्रभाग इस क्षेत्र में बहु-आयामी गतिविधियों में भाग लेता है और सहयोग करता है। यह कृषि मौसम विज्ञान में अनुसंधान कार्यक्रमों का केंद्र भी है और देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी कई क्षेत्र इकाईयां हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान कार्यालयों द्वारा किसानों के लिए पूर्वानुमान और सलाह दी जाती है।

मौसम विज्ञान के जनक ल्यूक हावर्ड

ल्यूक हावर्ड जूनियर का जन्म 28 नवंबर 1772 को लंदन में हुआ था। पेशे से ल्यूक हावर्ड फार्मासिस्ट थे। बचलंदन क्षेत्र में 1801 से 1841 तक मौसम की व्यापक रिकॉर्डिंग और उनके लेखन के लिए ल्यूक हावर्ड को 'मौसम विज्ञान का पिता' कहा गया है। जिसने मौसम विज्ञान के विज्ञान को बदल दिया था। हावर्ड ने माना कि 'बादल निर्माण और विनाश वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के संकेत थे और भौतिकी के नियमों पर आधारित थे। हावर्ड ने क्लाउड निर्माण को 'नामकरण' के रूप में संदर्भित किया। बादलों पर अपने काम के अलावा, हावर्ड ने अन्य मौसम संबंधी विषयों पर कई पत्रों में योगदान दिया। शहरी जलवायु अध्ययन पर लिखी किताब में पवन दिशा, वायुमंडलीय दबाव, अधिकतम तापमान और वर्षा का निरंतर दैनिक अवलोकन शामिल है।

सर्जना चतुर्वेदी

(लेखिका, समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

भारतीय खाद्य निगम

विज्ञापन सं. 01/2021-एफसीआई श्रेणी।

(वेबसाइट : www.fci.gov.in)

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पात्र उम्मीदवारों से, जो निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, देश भर में फैले अपने कार्यालयों में **सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन/तकनीकी/लेखा/विधि) और चिकित्सा अधिकारी** के नीचे उल्लिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है :-

रिक्तियां:

पद	पद कोड	वेतनमान (आईडीए पैटर्न)	01/01/2021 को अधिकतम आयु सीमा	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यू एस	अना	कुल	पीडब्ल्यूबीडी				
										क	ख	ग	घ एवं ङ	कुल
सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन)	क	रु. 60,000-1,80,000/-	30	03	03	09	03	12	30	01 (बी, एलवी)	-	-	-	01
सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)	ख	रु. 60,000-1,80,000/-	28	05	01	04	03	14	27	-	01 (एच एच)	-	-	01
सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	ग	रु. 60,000-1,80,000/-	28	04	01	03	02	12	22	-	01 (एच एच)	-	-	01
सहायक महाप्रबंधक (विधि)	घ	रु. 60,000-1,80,000/-	33	01	01	01	01	04	08	-	-	01 (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी एलसी, डी, एएवी, एमडी)	-	01
चिकित्सा अधिकारी	ई	रु. 50,000-1,60,000/-	35	01	0	0	0	01	02	-	-	-	-	-
कुल				14	06	17	09	43	89	01	02	01	-	04

ऊपर वर्णित रिक्तियों में बकाया रिक्तियां शामिल हैं.

स.म.प्र. (लेखा) : अजा-02, पीडब्ल्यूबीडी-01 (एचएच)

स.म.प्र. (विधि) : अजजा-01

टिप्पणी :-

1. रिक्तियों की संख्या एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है.
2. **अना**-अनारक्षित, **अजा**-अनुसूचित जाति, **अजजा**-अनुसूचित जनजाति, **अपिव**-अन्य पिछड़ा वर्ग, **ईडब्ल्यूएस**-आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, **पीडब्ल्यूबीडी**-बेंचमार्क निशक्त व्यक्ति.
3. पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है.
4. निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) में यथा निर्धारित 40 प्रतिशत और अधिक निःशक्तता डिग्री रखने वाले व्यक्ति नीचे सारणी में किए गए उल्लेख अनुसार बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.

क्रम सं.	निःशक्तता श्रेणी	विवरण	आरक्षण का %
1.	क	दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि	1%
2.	ख	बहरापन और सुनने में कठिनाई	1%
3.	ग	गतिविषयक निःशक्तता-प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ से ठीक, बौनापन, एसिड हमला पीड़ित और मांसपेशियों की कमज़ोरी सहित	1%
4.	घ	ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, विनिर्दिष्ट शिक्षण निःशक्तता और मानसिक कमज़ोरी	1%
5.	ङ	परिच्छेद (क) से (घ) तक के अधीन व्यक्ति-बहरे-दृष्टिबाधित सहित, प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों में, बहु निःशक्तता	

5. बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पदों की पहचान:

क्रम सं.	पद का नाम	पद कोड	शारीरिक अपेक्षा	जिसके लिए उपयुक्त पहचान की गई है
1.	**सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन)**	क	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी	**क** (बी, एलवी) **ख** (एचएच) **ग** (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी) **घ** (ए, आईडी, एसएलडी, एमआई) **ङ (क, ख, ग, घ)**
2.	**सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)**	ख	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, सी	**ख** (एचएच) **ग** (ओए, बीएल, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी) **ङ (ख, ग)**
3.	**सहायक महाप्रबंधक (लेखा)**	ग	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, आरडब्ल्यू, एच, सी	**ख.** (एचएच) **ग** (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी) **ङ (ख, ग)**
4.	**सहायक महाप्रबंधक (विधि)**	घ	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी	**क** (बी, एलवी) **ग** (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी) **ङ (क, ग)**
5.	**चिकित्सा अधिकारी**	ङ	एस, एसटी, डब्ल्यू, बी एन, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी	**ग** (ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी) **ङ (ग)**

टिप्पणी : जहां कहीं आवश्यक हुआ सहायता और उपकरण के साथ उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा.

6. बहु निःशक्तता : बहु निःशक्तता उम्मीदवार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 34(1) की केवल श्रेणी (ङ)-बहु निःशक्तताओं के अधीन आरक्षण के लिए पात्र होंगे और पीडब्ल्यूबीडी की इन किसी भी श्रेणी में 40 प्रतिशत और ऊपर निःशक्तता रखने के आधार पर निःशक्तता की कोई अन्य श्रेणियों अर्थात आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 34(1) की (क) से (घ) तक की किसी श्रेणी के अधीन आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ओए, ओएल, बीएल, बीए की गतिविषयक निःशक्तताओं के संयोजन की केवल परिच्छेद 'ग' में अनुमति है जब सारणी में बिंदु सं. 5 पर संयुक्त शब्द अर्थात ओएएल, बीएलओए आदि का उल्लेख किया गया हो.

बहु निःशक्तताओं से आशय नीचे वर्णित दो या अधिक निःशक्तताओं के संयोजन से है:

1. दृष्टिबाधित
2. अल्प दृष्टि
3. कुष्ठ रोग से ठीक हुए
4. श्रव्य विकलांगता (बहरा और सुनने में कठिनाई)
5. गतिविषयक निःशक्तता
6. बौनापन
7. बौद्धिक निःशक्तता
8. मानसिक कमज़ोरी
9. ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार
10. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
11. मांसपेशियों की कमज़ोरी
12. विनिर्दिष्ट शिक्षण निःशक्तता
13. एसिड हमला पीड़ित

अत: परिच्छेद 'ङ' के अधीन शामिल बहु निःशक्तताओं के कुछेक उदाहरण निम्नानुसार हैं:-

1. दृष्टिबाधिता जमा श्रव्य विकलांगता
2. गतिविषयक निःशक्तता (ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
3. मानसिक बीमारी तथा मांसपेशियों में कमजोरी
4. ऑटिज्म तथा एसिड हमला पीड़ित
5. दृष्टि बाधिता तथा विनिर्दिष्ट शिक्षण निःशक्तता
6. दृष्टिबाधित तथा कुष्ठ रोग से ठीक हुआ
7. बौनापन तथा एसिड हमला पीड़ित
8. एक बाजू तथा बौनापन
9. दोनों टांग एक बाजू तथा एसिड हमला पीड़ित

एस- बैठकर, **एसटी-** खड़े होकर, **डब्ल्यू-** चलना, **बीएन-** झुकना, **एल-** लिफ्टिंग, **पीपी-** खींचना और धकेलना, **एसई-** देखना, **सी-** सम्प्रेषण, **एमएफ-** उंगलियों के सहारे, **एच-** सुनना, **आरडब्ल्यू-** पढ़ना और लिखना, **केसी-** घुटनों के बल और रेंगकर चलना, **ओए-** एक बाजू, **ओएल-** एक टांग, **बीए-** दोनों बाजू, **बीएल-** दोनों टांगे, **ओएएल-** एक बाजू और एक टांग, **बीएलओए-** दोनों टांगें और एक बाजू, **बीएलए-** दोनों टांगें और दोनों बाजू, **बी-** दृष्टिबाधित, **एलवी-** अल्प दृष्टि, **एचएच-** श्रव्य विकलांगता/सुनने में कठिनाई, **सीपी-** प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, **एलसी-** कुष्ठ रोग से ठीक हुआ, **डी-** बौनापन, **एएवी-** एसिड हमला पीड़ित, **एमडी-** मांसपेशियों की कमजोरी, **ए-** ऑटिज्म, **आईडी-** बौद्धिक निःशक्तता, **एसएलडी-** विनिर्दिष्ट शिक्षण निःशक्तता, **एमआई-** मानसिक बीमारी

01/01/2021 को अर्हता और अनुभव

पद का नाम	पद कोड	अर्हता/अनुभव
सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन)	क	i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ केंद्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त संस्थानों (अथवा इसके द्वारा अधिकृत संस्था) से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष **अथवा** ii) एसीए/एआईसीडब्ल्यूए/एसीएस, **अथवा** iii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री अथवा विधि में 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम. **टिप्पणी:** अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के मामले में, अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता 55 प्रतिशत की बजाए 50 प्रतिशत होगी.
सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)	ख	i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ कृषि में बी.एससी **अथवा**

पद का नाम	पद कोड	अर्हता/अनुभव
		ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ खाद्य विज्ञान में बी.टेक डिग्री अथवा बीई डिग्री **अथवा** **iii)** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य प्रोसेस इंजीनियरिंग अथवा खाद्य प्रसंस्करण अथवा खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी में बी.टैक डिग्री अथवा बीई डिग्री. **अथवा** **iv)** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ कृषि इंजीनियरी में बी.टेक डिग्री अथवा बीई डिग्री **अथवा** **v)** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ जैव प्रौद्योगिकी अथवा औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा जैव रसायन इंजीनियरी अथवा कृषि जैव प्रौद्योगिकी में बी.टेक डिग्री अथवा बीई डिग्री, **टिप्पणी:** अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के मामले में अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता 55 प्रतिशत की बजाए 50 प्रतिशत होगी.
सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	**ग**	**एसोसिएट सदस्यता:-** **i)** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, **अथवा** **ii)** इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, **अथवा** **iii)** इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया
सहायक महाप्रबंधक (विधि)	**घ**	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में पूर्णकालिक डिग्री, और **अनुभव :** प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 मामलों में अपने ग्राहकों के सिविल मामलों की प्रस्तुतीकरण में प्रेक्टीसिंग वकील के तौर पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव अथवा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार के पीएसयू/ राज्य सरकार के पीएसयू में आईडीए स्केल रु. 16400-40500 अथवा सीडीए स्केल रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 5400) (अथवा पूर्व/ पश्चात संशोधित वेतनमान में तत्स्थानी) में विधि अधिकारी के तौर पर न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव. **टिप्पणी :** 1. पात्रता के निर्धारण के लिए वकील और विधि अधिकारी के तौर पर अनुभव के संयोजन की अनुमति है. 2. वकील के तौर पर अनुभव के सबूत के लिए अधिवक्ता के तौर पर नामांकन प्रमाणपत्र के साथ में उम्मीदवार द्वारा दायर वकालतनामा की प्रमाणित प्रतियां अथवा कॉज लिस्ट की स्वयं सत्यापित प्रतियां अथवा न्यायालय आदेश/निर्णय की स्वयं सत्यापित प्रति अथवा संबंधित अदालत की वेबसाइट से प्राप्त मामला दर्जे की स्वयं सत्यापित प्रतियां, अर्हक अनुभव के प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 मामलों के संबंध में अपने ग्राहक के लिए अधिवक्ता के तौर पर उपस्थिति के सबूत के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए जो कि संबंधित अदालत से सत्यापन योग्य हैं, जिसमें उम्मीदवार का नाम आवेदन प्रपत्र के अनुरूप परिलक्षित होता हो. 3. विधि अधिकारी के तौर पर कार्यरत उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु के सबूत के अलावा संगत अवधि के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार पीएसयू/राज्य सरकार पीएसयू में सेवा में मूल वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए वेतनमान के साथ अनुभव का प्रमाण पत्र प्रेषित करना अपेक्षित है.
चिकित्सा अधिकारी	**ङ**	एमबीबीएस (पंजीकृत और निर्धारित हाउस सर्जरी पूर्ण की गई हो) (या तो 1962 में इंटर्नशिप पूरी की हो अथवा एक वर्ष की अवधि के लिए इंटर्नमेंट किया हो और अनिवार्य सर्जरी की हो. एक वर्ष के लिए रोटरी हाउस सर्जेन्सी). **अनुभव:** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान, वरीयतन श्रम संगठन में, 3 वर्ष का अनुभव. [एमडी पाठ्यक्रम के दौरान हाउस सर्जन/रेजीडेंट डॉक्टर के तौर पर अनुभव की गणना अनुभव के तौर पर की जाएगी बशर्ते कि यह इंटर्नशिप पूरी करने के उपरांत अर्जित किया हो]

टिप्पणी :

1. **उम्मीदवार किसी एक पद कोड क, ख, ग, घ और ङ के लिए आवेदन कर सकता है.**
2. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा की सूचना की अपेक्षा के अनुसार किसी अर्हता को, जहां कहीं भी लागू है, समकक्ष अर्हता के तौर पर होने का दावा करता है, समकक्ष शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में आदेश/पत्र उम्मीदवार के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय और जब कभी भी एफसीआई द्वारा मांगा जाता है प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसमें उस प्राधिकारी का उल्लेख हो (क्रमांक और तिथि के साथ) जिसके तहत इसे परिच्छेद में अनिवार्य अर्हताओं के समकक्ष ऐसा माना गया है. इस संबंध में एफसीआई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
3. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में नज़दीकी दो दशमलव के साथ गणना करके स्नातक में प्राप्त प्रतिशतता का उल्लेख करना चाहिए. जहां कहीं सीजीपीए/ओजीपीए/ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, इन्हें प्रतिशतता में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना चाहिए. यदि बाद के चरणों के लिए बुलाया जाता है, उम्मीदवार को उपयुक्त प्राधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीजीपीए/ओजीपीए/ग्रेडों के प्रतिशतता में परिवर्तन के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमों तथा नियमों के अनुरूप उम्मीदवार द्वारा अर्जित अंक प्रतिशतता का उल्लेख होना चाहिए.
4. आवेदन का एकमात्र तरीका **ऑनलाइन है.** आवेदन-पत्र की प्रिंटिड/हार्ड प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा.
5. संगत अनुभव संगत पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता अर्जित करने के उपरांत होना चाहिए.

आरक्षण और छूट :

1. निगम की सेवाओं में नियुक्तियां करने में समय-समय पर भारत सरकार से जारी अनुदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्ति को आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रदान की जाएंगी.
2. निर्धारित अर्हताएं, अनुभव, आयु सीमा की गणना 01/01/2021 को की जाएगी.
3. अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार आयु में क्रमशः 05 और 03 वर्ष की अधिकतम आयु छूट के लिए पात्र हैं.
4. यदि अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं हैं, ये उम्मीदवार अनारक्षित पदों के अधीन आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सभी मानदंड पूरा करते हों. अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों पर आयु में छूट और ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार अथवा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में अर्हक अंकों में रियायत हेतु विचार नहीं किया जाएगा, यदि वे अनारक्षित पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं. हालांकि अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी/महिला उम्मीदवारों को ऐसे मामलों में आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट होगी.
5. विभागीय (एफसीआई) कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है.
6. ऊपरी आयु सीमा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष, अजा/अजजा से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष और अपिव से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष शिथिलनीय है. आयु सीमा में छूट लागू होगी भले ही पद आरक्षित (पीडब्ल्यूबीडी के लिए) है अथवा नहीं है, बशर्ते कि पद की पीडब्ल्यूबीडी के लिए पहचान की गई है.
7. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार ऊपर विनिर्दिष्ट रिक्तियों के तहत पद के लिए आवेदन कर सकते हैं यहां तक कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई रिक्ति आरक्षित भी नहीं हो, परंतु उस पद की पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त पहचान की गई है. यद्यपि ऐसे उम्मीदवारों पर ऐसे पद के लिए चयन हेतु सामान्य मैरिट मानदंड के तहत विचार किया जाएगा.
8. उपर्युक्त आरक्षण और छूट उन अपिव उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं है जो संपन्न वर्ग श्रेणी में आते हैं.
9. इसके अतिरिक्त, आरक्षण और छूट अपिव उम्मीदवारों को पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों के उद्देश्य के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुरूप प्रदान किया जाएगा. अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र का फॉर्म केवल भारत सरकार के अधीन पदों के लिए लागू निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए. प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का निर्धारित प्रारूप समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित **परिशिष्ट-ख** के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना है.
10. ईडब्ल्यूएस आरक्षण आगे भारत सरकार के निर्देशों और किसी कानूनी मामले के परिणाम के विषयाधीन है. नियुक्ति अनंतिम और उचित माध्यमों के जरिए सत्यापित किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र के विषयाधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा फर्जी/झूठा है तो आगे बगैर कोई कारण बताए और फर्जी/झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन आगे कार्रवाई के प्रभाव के बगैर सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. उम्मीदवार के ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के दावों के सबूत के तौर पर केवल **परिशिष्ट-ग** में दिए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वर्णित किसी एक प्राधिकारी से जारी आयु और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र **(परिशिष्ट-ग)** ही स्वीकार किया जाएगा.
11. भूतपूर्व सैनिक और कमीशंड अधिकारी, इमरजेंसी कमीशंड अधिकारी (ईसीओज) अथवा अल्प सेवा कमीशंड अधिकारी (एसएससीओज) सहित, जिन्होंने 01 जनवरी, 2021 को कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा की है और निम्नलिखित के अधीन कार्यमुक्त हुए हैं:-
    (i) असाइनमेंट पूरी होने पर (उनके सहित जिनका असाइनमेंट 01 जनवरी, 2021 से एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है) अन्यथा कि कदाचार अथवा अदक्षता के कारण बर्खास्त या डिस्चार्ज किए गए हैं.
    अथवा
    (ii) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक निःशक्तता अथवा अक्षमता के कारण,
    उन्हें ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट की अनुमति दी जाएगी.
12. आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को उम्मीदवार के अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी दर्जे की गणना की तिथि के तौर पर माना जाएगा और उम्मीदवार के पास इस तिथि को आवश्यक प्रमाणपत्र होना चाहिए.
13. प्रमाण-पत्र, यदि कोई है, की वैधता समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए जैसे कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के पास आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को या इससे पहले वर्ष 2019-2020 के लिए आय मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2020-2021 के लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए.

स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

क. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग के ''बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु दिशानिर्देश'' विषय पर का. ज्ञा. सं. 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29 अगस्त, 2018 और का. ज्ञा. सं. 34-02/2015- डीडी-III (पार्ट) दिनांक 8 फरवरी, 2019 के अनुरूप स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक के लिए पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अपने विवेकानुसार स्वयं के लिए स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक का विकल्प दे सकते हैं अथवा इसके लिए परीक्षा आयोजन संस्था से अनुरोध कर सकते हैं।

ख. इसके अलावा उक्त का. ज्ञा. के पैरा-IV के अनुसार स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सुविधा केवल दृष्टिबाधित, गतिविषयक विकलांगता (दोनों बाजू प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं, उपलब्ध कराई जाएगी.

ग. बेंचमार्क निःशक्तता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक केवल इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-ङ) के अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति की लिखने और की-बोर्ड का प्रयोग करने की शारीरिक सीमाएं हैं तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने और की-बोर्ड का प्रयोग करने के लिए स्क्राइब का होना जरूरी है.

घ. एफसीआई में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त चिन्हित पदों का विवरण विज्ञापन में सारणी में दिया गया है. इस प्रकार स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सुविधा केवल ऊपर वर्णित निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध कराई जा सकती है.

ङ अपना स्वयं का स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक लाने के लिए विकल्प देने वाले उम्मीदवार के मामले में स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की अर्हता से एक कदम नीचे की होनी चाहिए.

च. बाद में यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की अर्हता से एक कदम नीचे नहीं है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर नामंजूर कर दी जाएगी.

छ. तदनुसार, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो उक्त परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और स्क्राइब के लिए पात्र हैं (जैसा कि ऊपर पैरा-ख और ग दिया गया है) को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें एफसीआई से स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय इसका उल्लेख करना चाहिए. इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवार यह जानने और जांच करने के लिए कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं परीक्षा से दो दिन पूर्व स्क्राइब से मिलने के लिए उस राज्य के एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं जहां पर उनका परीक्षा केंद्र स्थित है. एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय के पते और ई-मेल आईडी एफसीआई वेबसाइट अर्थात **http://fci.gov.in/contactUs.php** पर उपलब्ध हैं.

ज. **उपर्युक्त परीक्षा में अपना स्वयं का स्क्राइब इस्तेमाल करने वाले पात्र पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन 'स्क्राइब घोषणा फॉर्म (परिशिष्ट च)'' प्रस्तुत करना अपेक्षित है.**

झ. बेंचमार्क निःशक्तता वाले सभी उम्मीदवार जो कि स्क्राइब की सुविधा का लाभ लेने के पात्र हैं उन्हें, चाहे वे स्क्राइब की सुविधा का प्रयोग करें या नहीं, प्रति घण्टा 20 मिनट के अतिरिक्त प्रतिपूर्ति समय की अनुमति दी जाएगी.

ट. यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक के लिए पात्र उम्मीदवार यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय एफसीआई से स्क्राइब सहायता के लिए आवेदन नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसे एफसीआई से स्क्राइब की आवश्यकता नहीं है और वह अपने आप इसकी व्यवस्था कर सकता है.

ठ. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो कि स्क्राइब की सहायता ले रहे हैं तथा प्रतिपूर्ति समय का लाभ ले रहे हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन/ऑनलाइन परीक्षा स्थल पर (जो भी लागू है) ऊपर किए गए उल्लेख अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

ङ. ये दिशानिर्देश समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप परिवर्तन के विषयाधीन हैं.

चयन प्रक्रिया :

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होगा.

टिप्पणी:

1. उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों तथा अजा, अजजा, अपिव और बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिए 45 प्रतिशत अंकों के मानदंड पर साक्षात्कार के लिए अल्पसूचीबद्ध किया जाना है. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सामान्यत: विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा तक हो सकती है. यद्यपि जहां कहीं रिक्तियों की संख्या से तीन गुणा कम उम्मीदवार हैं तो अर्हक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए, जो भी मामला है, बुलाया जा सकता है.
2. उम्मीदवार को चयन के लिए विचार किए जाने हेतु भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उपस्थित होना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआई वेबसाइट नियमित रूप से देखें.
3. ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के लिए निर्धारित अधिमान क्रमश: 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है.

क) ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति

ऑनलाइदन परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

पद	पद कोड	प्रश्नों की संख्या	अवधि	ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति
सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन)	क	180	$2^{1/2}$ घंटा	सामान्य अभिरुचि में निम्नलिखित सम्मिलित है: - रिजनिंग, डॉटा विश्लेषण, संख्यात्मक योग्यता- 45 प्रश्न - सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स- 45 प्रश्न - प्रबंधन और नैतिकता-45 प्रश्न - कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था, कम्प्यूटर जानकारी-45 प्रश्न
सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)	ख	180	$2^{1/2}$ घंटा	(1) सामान्य अभिरुचि में निम्नलिखित सम्मिलित है: - रिजनिंग, डॉटा विश्लेषण, संख्यात्मक योग्यता- 30 प्रश्न - सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स- 30 प्रश्न - प्रबंधन और नैतिकता-30 प्रश्न - कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था, कम्प्यूटर जानकारी- 30 प्रश्न (2) संगत विषयक्षेत्र- 60 प्रश्न
सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	ग			
सहायक महाप्रबंधक (विधि)	घ			
चिकित्सा अधिकारी	ङ			

पद कोड	प्रश्नों की संख्या और अंक	नकारात्मक अंक
क	**सामान्य अभिरुचि:** 180 बहु विकल्प प्रश्न जिनका प्रत्येक का एक समान अंक होगा. प्रश्नों के अधिकतम 180 अंक होंगे.	कोई नकारात्मक अंक नहीं हैं.
ख, ग, घ और ङ	**I. सामान्य अभिरुचि:** 120 बहु विकल्प प्रश्न जिनका प्रत्येक का 0.5 अंक होगा, और **II. संगत तकनीकी विषयक्षेत्र :** 60 बहु विकल्प प्रश्न जिनके प्रत्येक के 2 अंक होंगे पेपर के अधिकतम 180 अंक होंगे	

संगत स्ट्रीम के पद विनिर्दिष्ट तकनीकी ज्ञान के मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट तकनीकी पदों के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

पद कोड-ख: सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)

(i) **कृषि :** फसल (अनाज और दालें) उत्पादन के बुनियादी सिद्धांत, भारतीय कृषि (अनाज और दालें) की सांख्यिकी, परिचयात्मक आनुवंशिकी, फसल संरक्षा, पादप शरीरक्रिया विज्ञान की मूल बातें, खाद्य और कृषि सूक्ष्मजीव विज्ञान, पोषण (पशु और पादप), अनाजों और दालों की कटाई उपरांत देखभाल, खाद्यान्नों के संरक्षण के मूल सिद्धांत, कृषि विस्तार, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन.

(ii) **जैव प्रौद्योगिकी :** माइक्रोब्स: लाभकारी और हानिकारक, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, जैवप्रौद्योगिकीय सिद्धांत, आर्थिक जैव प्रौद्योगिकी, पैथाजन्स एवं कंट्रोल, वर्तमान प्रवृत्तियां.

(iii) **एंटोमोलॉजी :** बुनियादी एंटोमोलॉजी, आर्थिक एंटोमोलॉजी, लाभकारी और हानिकारक इन्सेक्ट्स, इंटिग्रेटिड पैस्ट मैनेजमेंट (आईपीएम), स्टोरेज ग्रेन इन्सेक्ट पैस्ट, वर्टेब्रेट पैस्ट्स, इन्सेक्टिसाइड्स का वर्गीकरण और उनकी कार्रवाई की पद्धति.

(iv) **कैमिस्ट्री :** भौतिक कैमिस्ट्री: परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री: आवधिक सारणी, बेसिक मैटल्स और नॉन-मैटल्स, ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री : आल्केन्स के बेसिक्स, एल्केन्स, एल्काइन्स, अल्कोहल्स, एल्डेहाइड्स और एसिड्स, बायोकैमिस्ट्री (कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स).

(v) पीएफए अधिनियम, 1964, खाद्य संरक्षा और मानदंड अधिनियम, 2006/खाद्य संरक्षा और मानदंड विनियम 2011, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

पद कोड-ग : सहायक महाप्रबंधक (लेखा)

(i) बही खाते तैयार करने सहित बेसिक लेखांकन अवधारणा और लेखांकन मानदंड

(ii) **वित्तीय प्रबंधन:** वित्तीय विवरण का विश्लेषण, बजटिंग और बजटीय नियंत्रण, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कैपिटल बजटिंग और अनुपात विश्लेषण.

(iii) **कराधान :** विवरणिका दायर करने सहित आयकर, टीडीएस, अग्रिम कर आदि, वस्तु एवं सेवा कर.

(iv) **लेखा परीक्षण :** लेखा परीक्षा अवधारणाएं और पद्धतियां, कंपनियों का आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षण.

(v) **वाणिज्यिक कानून :** संविदा अधिनियम, कंपनी अधिनियम, वस्तु बिक्री अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आरटीआई अधिनियम.

(vi) **कम्प्यूटर की बुनियादी बातें :** ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, ई-मेल, मेमरि (आंतरिक, बाह्य, पोर्टेबल), चैट्स, ऑफिस (वर्ड, पावर प्वाइंट, एक्सल), नेटवर्क्स.

पद कोड-घ: सहायक महाप्रबंधक (विधि)

(i) भारत का संविधान (सेवा कानूनों और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का याचिका कार्याधिकार क्षेत्र, मूलभूत अधिकारों पर विशेष ज़ोर).

(ii) प्रक्रिया कानून (सिविल प्रक्रियात्मक संहिता 1908, भारतीय प्रमाण अधिनियम 1872 और सीमांकन अधिनियम 1963).

(iii) भारतीय संविदा अधिनियम 1872, विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम 1963 सहित.

(iv) वाणिज्यिक कानून (कंपनी कानून 2013, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002)

(v) श्रम कानून (औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952, संविदा श्रम (विनियम और समापन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ग्रेच्युटि भुगतान अधिनियम 1972, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923, औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946)

(vi) आर्बिट्रेशन और कंन्सिलिएशन एक्ट 1996

(vii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

(viii) खाद्य संरक्षा और मानदंड अधिनियम 2006

(ix) भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988

(x) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

(xi) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(xii) वस्तु एवं सेवा कर 2017

पद कोड-ङ: चिकित्सा अधिकारी

सामान्य चिकित्सा:

कार्डियोलॉजी, श्वास रोग, गेस्ट्रो-इन्टेसटाइनल, जेनिटो-यूरिनरी, न्यूरोलॉजी, रूधिर विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिक विकार, इन्फेक्शन्स/संक्रामक रोग (वाइरस, रिकेट्स, बैक्टीरियल, स्पाइरोचेतल, प्रोटोजोआन, मेटाजोआन, फंग्स), पोषण/विकास, चर्म रोग (डरमेटोलॉजी), मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, साइकियाट्री, सामान्य, आपात चिकित्सा, सामान्य जहर, सर्पदंश, ट्रोपिकल मेडिसिन, क्रिटिकल केअर मेडिसिन, चिकित्सा प्रक्रियाओं पर ज़ोर, बीमारियों का पैथे फिजियोलॉजिकल आधार, वैक्सीन निवारक बीमारियां और गैर वैक्सीन निवारक बीमारियां, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, मनोरोग में शामिल हैं-अवसाद, साइकोसिस, घबराहट, बाइपोलर बीमारियां और सिज़ोफ्रेनिया.

पिडियाट्रिक्स :

सामान्य आपातकालीन बाल्यावस्था, बेसिक नवजात देखभाल, सामान्य विकासात्मक लक्ष्य, बच्चों में दुर्घटनाएं और जहरीले पदार्थ का सेवन, ऑटिज्म सहित जन्म के समय की विकृतियां और काउंसलिंग, बच्चों का टीकाकरण, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और प्रबंधन तथा बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम.

सामान्य सर्जरी :

घाव, इन्फेक्शन्स, गांठें, लिम्फेटिक, रक्त वाहिकाएं, सिस्ट/साइनस, सिर और गर्दन, ब्रेस्ट, एलिमेंटरी ट्रैक्ट (खाने की नली, पेट, आंतें, एनस, विकासात्मक), लीवर, बाइल, पैनक्रिया, स्पलीन, पेरिटोनियम, पेट की दीवार, पेट की चोटें, यूरोलॉजिकल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ओटोरिनोलैरीन्गोलॉजी ईएनटी, थोरेसिक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्थल्मोलॉजी, एनेस्थिसियोलॉजी, ट्रामैटोलॉजी, डायग्नोसिस और सामान्य सर्जिकल बीमारियों का प्रबंधन, सर्जिकल रोगियों की प्री-ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केअर, सर्जरी के मेडिको लीगल और एथिकल मामले, घाव भरना, सर्जरी में फल्यूड और इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन, शॉक पैथे-फिजियोलॉजी और प्रबंधन.

महिला रोग और प्रसूति :

(i) **प्रसूति:** एंटीनेटल स्थितियां, इन्ट्रो नेटल स्थितियां, पोस्ट नेटल स्थितियां, सामान्य प्रसव अथवा गंभीर प्रसव का प्रबंधन

(ii) **महिला रोग**

एप्लाइड एनाटॉमी पर प्रश्न, मैन्सट्रूएशन और फर्टिलाइजेशन के एप्लाइड फिजियोलॉजी पर प्रश्न, जेनिटल ट्रैक्ट में संक्रमण पर प्रश्न, जेनिटल ट्रैक्ट में निओप्लाज्मा पर प्रश्न, यूटरस की डिस्प्लेसमेंट पर प्रश्न, सामान्य डिलीवरी और सुरक्षित डिलीवरी व्यवहार, उच्च जोखिम गर्भावस्था और प्रबंधन, गर्भपात, इंट्रो यूट्रीन ग्रोथ रिटारडेशन, रेप सहित महिला रोग और प्रसूती में मेडिको लीगल जांच.

(iii) **परिवार नियोजन :**

परंपरागत गर्भनिरोधक, यू डी और ओरल पिल्स, ऑपरेटिव प्रक्रिया, सटरलाइजेशन और शहर तथा गांवों के आसपास कार्यक्रमों का आयोजन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी.

निवारक सामाजिक और समुदाय चिकित्सा: सामाजिक और सामुदायिक चिकित्सा, स्वास्थ्य की अवधारणा, रोग और निवारक चिकित्सा, स्वास्थ्य प्रशासन और योजना, सामान्य एपिडेमियोलॉजी, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सांख्यिकी, संक्रामक रोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य, गैर संक्रामक बीमारियां, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, आनुवंशिकी और स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, चिकित्सा समाजशास्त्र और स्वास्थ्य शिक्षा, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम, सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी की योग्यता, मातृत्व और बाल आरोग्यता की जानकारी, कुपोषण और आपातस्थितियों सहित सामुदाय स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, जांच, रिपोर्ट, योजना और प्रबंधन करने की योग्यता.

ख. साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन :-

I. पद कोड क, ख, ग, घ और ङ के लिए उम्मीदवार जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा में अल्पसूचीबद्ध किया गया है बाद में एफसीआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को पद के 1:3 के अनुपात में बुलाया जाएगा. साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा. यह प्रक्रियाएं चयनित केंद्रों पर संचालित की जाएंगी. साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के स्थान, समय और तिथि के बारे में साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र में अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा. कृपया नोट कर लें कि साक्षात्कार की तिथि, स्थान आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों के लिए निर्धारित एफसीआई वेबसाइट: **www.fci.gov.in** से अपना साक्षात्कार बुलावा पत्र डाउनलोड करना अपेक्षित होगा. यद्यपि एफसीआई के पास साक्षात्कार की तिथि/स्थान/आदि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है. साक्षात्कार के लिए निर्धारित अधिमान 10 प्रतिशत होगा. उम्मीदवारों के संयुक्त अंतिम स्कोर्स उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल स्कोर्स के आधार पर निकाला जाएगा.

II. उन उम्मीदवारों को जो कि ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में संयुक्त मैरिट के आधार पर मैरिट में हैं और जिनके दस्तावेजों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है तथा पदों के लिए उनकी पात्रता स्थापित हो गई है उन्हें अल्पसूचीबद्ध और नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा.

III. साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होते समय उम्मीदवारों को वैध निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए. वैध दस्तावेजों के अभाव में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए केवल दस्तावेज प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही अनुमति दी जाएगी. अलग से प्रेषित किसी प्रमाणपत्र/संलग्नक/दस्तावेज को प्राप्त करने की जिम्मेदारी एफसीआई नहीं लेगा.

महत्वपूर्ण सूचना/अनुदेश:

1. **उम्मीदवार क, ख, ग, घ और ङ में से केवल किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है.**
2. लेकिन यदि यह पाया जाता है, किसी भी कारण से, उम्मीदवार ने बहु आवेदन प्रस्तुत किए हैं तब ताज़ा फीस (यदि लागू है) के साथ उच्चतर ''पंजीकरण संख्या'' के साथ और हर तरह से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पर एफसीआई द्वारा विचार किया जाएगा और पहले प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. एक ''पंजीकरण संख्या'' के तहत भुगतान की गई फीस का समायोजन किसी अन्य ''पंजीकरण संख्या'' के लिए नहीं किया जाएगा. इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि फीस का एक बार भुगतान कर दिए जाने पर, बहु आवेदनों के मामले सहित, इसे किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा.
3. उम्मीदवार पर आवेदित पद के लिए पद हेतु उसकी मैरिट के आधार पर विचार किया जाएगा.
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर वर्णित पदों के रोज़गार विवरण के लिए **http://fci.gov.in/pageDetail.php?view=333** पर पधारें.
5. **बुलावा पत्र डाउनलोड करना**

उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए एफसीआई वेबसाइट **(www.fci.gov.in)** पर पधारना होगा. बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए सूचना ई-मेल/एसएमएस के

जरिए भी भेजी जाएगी. उम्मीदवार के संगत लिंक पर क्लिक करने पर उसे बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए विंडो प्राप्त हो जाएगी. उम्मीदवार के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक, (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का इस्तेमाल करना अपेक्षित होगा. उम्मीदवार के लिए बुलावा पत्र पर हाल का पहचान योग्य फोटोग्राफ वरीयतन जैसा कि पंजीकरण के दौरान उपलब्ध कराया गया था, चिपकाने की आवश्यकता है और निर्धारित स्थान पर (i) बुलावा पत्र (ii) फोटो पहचान पत्र जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है और बुलावा पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा उसी फोटो पहचान पत्र सबूत की फोटो प्रति और मूल प्रति लेकर उपस्थित होना होगा.

6. प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परीक्षा के समय और स्थान के उल्लेख के साथ ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व **www.fci.gov.in** से डाउनलोड करना अपेक्षित है. जो उम्मीदवार अपना बुलावा पत्र ऑनलाइन सृजित नहीं कर पाते हैं, उन्हें परीक्षा की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले **http://cgrs.ibps.in** पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए.
7. देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार अर्थात परीक्षा के लिये बुलावा पत्र में निर्धारित समय के बाद रिपोर्ट करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी. बुलावा पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा शुरू होने के समय से पहले का है. यद्यपि परीक्षा की अवधि 2.5 घण्टा है, उम्मीदवारों को स्थल पर विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉगिंग इन, अनुदेश देना जैसी विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के लिये अपेक्षित समय सहित 04 घण्टे से अधिक समय तक रुकना पड़ सकता है.
8. **पहचान सत्यापन**

परीक्षा हाल में और साक्षात्कार के समय, बुलावा पत्र मूल रूप में और उम्मीदवार के वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र की एक फोटो प्रति (एकदम उसी नाम के उल्लेख वाला जैसा कि बुलावा पत्र में लिखा गया है), जैसे कि पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानपत्र/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ के साथ आधिकारिक लैटरहैड पर जारी किया गया फोटो पहचान पत्र/जन प्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक लैटरहैड पर फोटोग्राफ के साथ जारी फोटो पहचान पत्र/हाल ही का मान्यताप्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से जारी वैध पहचान पत्र/आधार कार्ड/फोटोग्राफ के साथ ई-आधार/कर्मचारी पहचान पत्र/बार काउंसिल का फोटोयुक्त पहचान पत्र पर्यवेक्षक के पास पहचान के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये. उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन बुलावा पत्र में उसके विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में किया जायेगा. यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी. राशन कार्ड और प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस पहचान के वैध सबूत नहीं हैं.

टिप्पणी : उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये क्रमशः परीक्षा बुलावा पत्र और साक्षात्कार बुलावा पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी. उम्मीदवारों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिये बुलावा पत्र में यथा उल्लिखित नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराया गया) एकदम वही होना चाहिये जैसा कि फोटो पहचान पत्र में है. महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के बाद अपना प्रथम/अंतिम/मध्य नाम बदल लिया है उन्हें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये. यदि बुलावा पत्र और फोटो पहचान पत्र में मिलान नहीं होता है तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिये उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी. उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जायेगी यदि वे मूल राजपत्र अधिसूचना/अपना मूल विवाह प्रमाणपत्र/मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे. हालांकि परीक्षा के लिये दी गई अनुमति अनंतिम है और उम्मीदवार के चयन के मामले में बाद के चरण में उम्मीदवारी दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी.

9. विभिन्न चरणों में अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों के बारे में सूचना भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट पर डाली जायेगी जिसके लिये उम्मीदवारों को वेबसाइटः **www.fci.gov.in** के जरिए संपर्क में रहना चाहिये. उम्मीदवार को चयन के लिये पात्र होने के लिये भर्ती प्रक्रिया के सभी संगत चरणों में उपस्थित होना पड़ेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट के संपर्क में रहें.

10.1 आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को उम्मीदवार के अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी दर्जे के लिए गणना की तिथि माना जाएगा और इस तिथि को उम्मीदवार के पास आवश्यक प्रमाणपत्र होना चाहिए.

10.2 प्रमाण-पत्र, यदि कोई है, की वैधता समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए जैसे कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के पास आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को या इससे पहले वर्ष 2019-2020 के लिए आय मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2020-2021 के लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए.

11. उम्मीदवार अपनी शिकायतें http://cgrs.ibps.in पर रजिस्टर कर सकते हैं.

सामान्य सूचना/अनुदेश :

1. कोई भी व्यक्ति आरंभिक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यदि उसकी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है.
2. **राष्ट्रीयता : निगम की सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार :-**

   i. भारत का नागरिक, अथवा

   ii. नेपाल की प्रजा, अथवा

   iii. भूटान की प्रजा, अथवा

   iv. तिब्बती शरणार्थी हो, जो कि भारत में स्थाई तौर पर बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, **अथवा**

   v. भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो कि भारत में स्थाई तौर पर बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और संयुक्त राज्य तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंग्यानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जाइरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से विस्थापित हुआ है.

   बशर्ते कि उक्त श्रेणियों **ii., iii., iv., v.** से संबंधित उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो.
3. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर यह उल्लेख करना चाहिये क्या वह सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अल्पसंख्यक समुदाय नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या जोराष्ट्रियन (पारसी) से संबंधित है.
4. सभी पद आईडीए पैटर्न के वेतनमान वाले हैं और साथ में मान्य भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत आदि देय होगा. इन वेतनमानों में महंगाई भत्ता प्रतिशतता पर आधारित है. सभी नियुक्तियां समय-समय पर लागू निगम के नियमों और विनियमों के अधीन होंगी. अन्य लाभ जैसे कि सीपीएफ, ग्रेच्युटी, अवकाश यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेन्शन आदि समय-समय पर यथा संशोधित निगम के नियमों के अनुसार लागू होंगे.
5. केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और विभागीय उम्मीदवारों (एफसीआई कर्मचारियों) को नोट कर लेना चाहिये उन्हें अपने आरंभिक दस्तावेज सत्यापन के चयन में अपने नियोक्ता से **'अनापत्ति प्रमाणपत्र'** प्रस्तुत करना होगा.
6. केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और विभागीय उम्मीदवारों (एफसीआई कर्मचारी) को केवल उनके नियोक्ता से सतर्कता मुक्ति प्रस्तुत करने पर निगम में ज्वाइन करने की अनुमति दी जाएगी. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सतर्कता स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है.
7. उम्मीदवारों को विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत और पदों के लिये निर्धारित पात्रता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव को पूरा करने की बात को ध्यान में रखते हुए विकल्प को भरना चाहिये. एक बार विकल्प दे दिये जाने पर वह अंतिम माना जायेगा और किसी भी स्थिति में इसमें किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जायेगी.
8. उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं दी जायेगी. अतः उन्हें इसे परीक्षा परिसरों/स्थल पर लेकर नहीं आना चाहिये.
9. प्रश्न पत्र में त्रुटियों को परीक्षा के आयोजन के 03 दिनों के भीतर **http://cgrs.ibps.in** पर नोटिस में लाया जाना चाहिये. इसके बाद प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.
10. आवेदन के चरण में, पात्रता, श्रेणी और अन्य पहलुओं के बारे में जांच ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलावा पत्र जारी होने से पहले नहीं की जायेगी. लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह ध्यानपूर्वक जांच कर लें और अपने आप को संतुष्ट कर लें कि वे विस्तृत भर्ती सूचना में यथा निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं. जो उम्मीदवार भर्ती सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक मानदंड पूरा नहीं करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया में भाग न लें. यदि किसी भी चरण में यह पता चलता है कि उम्मीदवार भर्ती सूचना में पद के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता है उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर ही नामंजूर कर दी जाएगी और तत्काल सेवा से बर्खास्त/डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. कृपया नोट कर लें कि उक्त पद के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है.
11. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है वे अपना वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिये क्योंकि इसे भविष्य के पत्राचार के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है. एफसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी के जरिए परीक्षा के लिये बुलावा पत्र आदि डाउनलोड करने के संबंध में सूचना भेज सकता है. यदि उम्मीदवार की कोई निजी वैध ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे नया ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सृजित कर लेना चाहिये और इस ई-मेल खाते तथा मोबाइल नंबर को बनाये रखना चाहिये.
12. सभी उम्मीदवारों के लिये अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और कोई अन्य यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज बगैर किसी चूक के अपलोड करना अपेक्षित है.
13. अजा/अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी के लिये प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के लिये निर्धारित प्रपत्र क्रमशः **परिशिष्ट क, ख, ग, घ1/घ2/घ3 (संगत पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिये यथा लागू), ङ और च पर दिये गये गये हैं.** उम्मीदवार नोट कर लें कि ये प्रमाणपत्र/दस्तावेज और अन्य अनिवार्य अनुलग्नक उनके ऑनलाइन परीक्षा/कौशल परीक्षा के आधार पर अल्पसूचीकरण के मामले में निर्धारित पते पर प्रेषित करना अपेक्षित होगा, जिसके बारे में निर्धारित वेबसाइटः **http://www.fci.gov.in/** के जरिए सूचित/अधिसूचित किया जायेगा. **उक्त परीक्षा में अपना स्वयं का स्क्राइब इस्तेमाल करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्थान पर परीक्षा वाले दिन 'स्क्राइब घोषणा फॉर्म'' (परिशिष्ट-च) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा.**

14.1 परीक्षा केंद्रों की राज्य वार सूची निम्नानुसार है :-

राज्य/संघ शासित प्रदेश	केंद्र
आंध्र प्रदेश	अमरावती/विजयवाड़ा
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली/रा.रा.क्षे.
गुजरात	अहमदाबाद
हरियाणा	पंचकुला
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	जम्मू
झारखंड	रांची
कर्नाटक	बंगलुरु
केरल	तिरुअनंतपुरम
मध्य प्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	मुंबई
मेघालय	शिलांग
नगालैंड	दीमापुर
ओडिशा	भुवनेश्वर
पंजाब	चंडीगढ़
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई
तेलंगाना	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता

14.2 टिप्पणी :

क. परीक्षा ऑनलाइन संबंधित बुलावा पत्रों में दिये गये स्थानों पर आयोजित की जायेगी.

ख. परीक्षा के लिये केंद्र/स्थान/तिथि/सत्र के परिवर्तन के लिये किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा. उम्मीदवार को केंद्रों का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिये और इसे अपने आवेदन में सही प्रकार से इंगित करना चाहिये.

ग. भारतीय खाद्य निगम के पास अपने विवेक पर किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने और/अथवा कुछ अन्य केंद्रों को मिलाने का अधिकार सुरक्षित है जो कि प्रत्युत्तर, परीक्षा की संभाव्यता आदि पर निर्भर करेगा.

घ. भारतीय खाद्य निगम के पास उम्मीदवार को उसके द्वारा दिये गये विकल्प से अन्य कोई केंद्र आबंटित करने का भी अधिकार सुरक्षित है.

ङ उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्च पर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिये उपस्थित होंगे और एफसीआई किसी भी प्रकार की कोई चोट लगने या हानि आदि होने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा.

च. उम्मीदवार द्वारा केंद्र का एक बार चयन कर लिये जाने पर उसे अंतिम माना जायेगा.

छ. यदि ''ऑनलाइन'' परीक्षा के लिये किसी केंद्र विशेष के लिये पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार विकल्प नहीं देते हैं तो एफसीआई के पास उन उम्मीदवारों को किसी अन्य नजदीकी केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा यदि किसी केंद्र के लिये ऑनलाइन परीक्षा के लिये उपलब्ध क्षमता से अधिक उम्मीदवारों की संख्या हो जाती है तो एफसीआई के पास उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है.

15. मामलों का समाधान : किसी पद विशेष के लिये बराबरी के मामले में, लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों से ऊपर रखा जायेगा. यदि बराबरी अब भी बनी रहती है तो उम्मीदवार

जिसने साक्षात्कार में उच्चतर अंक अर्जित किए हैं को अन्य उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा. यदि अब भी बराबरी बनी रहती है तो जन्म तिथि के अनुरूप प्रक्रिया का पालन किया जाएगा अर्थात जिस उम्मीदवार की आयु अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी. अंत में यदि अब भी बराबरी बनी रहती है तो बराबरी का समाधान नाम के अक्षर क्रम को संदर्भित करते हुए किया जाएगा अर्थात जिस उम्मीदवार का नाम अक्षर क्रम में पहले आता है उसे वरीयता दी जायेगी.

16. मात्र आवेदन प्रस्तुत करने और पात्रता शर्तें पूरी करने से किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा आदि में उपस्थित होने के लिये कोई अधिकार नहीं हो जायेगा.
17. पात्रता मानदंड पूरा किये बगैर किसी पद के लिये ऑनलाइन परीक्षा अथवा साक्षात्कार में अल्पसूचीकरण से उम्मीदवार को पद पर अंतिम चयन के लिये कोई दावा नहीं हो जायेगा.
18. उम्मीदवारों को अतिरिक्त अनुदेशों, यदि एफसीआई द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं, का पालन करना चाहिये.
19. इन रिक्तियों का भरा जाना भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई भी कानूनी मामले के परिणाम के विषयाधीन होगा.
20. किसी भी चरण में आवेदन के परिणाम के बारे में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा.
21. चयनित उम्मीदवारों को निगम के हित में देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है.
22. लिखित परीक्षा के लिये कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा. यद्यपि साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए रेलवे टिकट/बस टिकट उपलब्ध कराए जाने के विषयाधीन सबसे छोटे मार्ग से आने-जाने के द्वितीय श्रेणी रेल किराए अथवा साधारण बस किराए का भुगतान किया जाएगा.
23. उम्मीदवारों को अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह सभी पात्रता मानदंड जैसे कि अर्हता, अनुभव, आयु आदि 01.01.2021 को पूरा करता है. उम्मीदवार को पद के लिये आवेदन करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये कि वह अपेक्षित अर्हता, अनुभव और आयु आदि को पूरा करता है.
24. ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलावा पत्र जारी हो जाने से उम्मीदवारी की स्वीकार्यता का कोई अधिकार नहीं हो जायेगा और उम्मीदवारों को इसे पात्रता मानदंड पूरा करने की पावती नहीं मान लेना चाहिये. दस्तावेज सत्यापन के समय यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है कि उम्मीदवार द्वारा लाये गये दस्तावेज संबंधित पद के लिये अपेक्षानुसार हर तरह से पूर्ण हैं. किसी भी चरण में दस्तावेज आगे सत्यापन के विषयाधीन हैं.
25. जो उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं उन्हें रिक्तियों के अनुसार और मैरिट सूची के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा.
26. आवेदन-पत्र के साथ कोई मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज भेजना अपेक्षित नहीं है, अन्यथा कि इस बारे में कोई अलग से निर्देश दिया गया हो. उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए व्यक्तिशः उपस्थित होंगे और पात्रता मानदंड के समर्थन में मूल दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, जन्म तिथि, श्रेणी, आरक्षण, यदि कोई छूट है, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, अनापत्ति प्रमाणपत्र, नाम परिवर्तन आदि निर्धारित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, यदि ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर उन्हें अल्पसूचीबद्ध कर लिया जाता है, जिसके बारे में निर्धारित वेबसाइट : **(www.fci.gov.in)** के जरिए उन्हें सूचित/अधिसूचित किया जाएगा. यद्यपि मूल प्रमाणपत्रों की जांच/सत्यापन दस्तावेज सत्यापन चरण के समय किया जाएगा.
27. यदि प्रेषित किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी से भिन्न भाषा में है, इसकी राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी से विधिवत सत्यापित अंग्रेजी अथवा हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत करनी होगी.
28. भारतीय खाद्य निगम अपने विवेकानुसार पुनःपरीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा आयोजित करने अथवा किसी भी चरण में उम्मीदवारों से कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
29. किसी भी प्रकार से निगम को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप अयोग्यता हो सकती है और उम्मीदवारी नामंजूर की जा सकती है.
30. अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सा की दृष्टि से फिट पाये जाने और जहां कहीं लागू है प्रमाणपत्रों, चरित्र, पूर्ववृत्त और जाति आदि के सत्यापन के अधीन होगी.
31. परीक्षा के आयोजन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में निगम का फैसला अंतिम और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा.
32. ऐसा कोई व्यक्ति आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होगा जिसे पूर्व में निगम की सेवा अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम की सेवा से बर्खास्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया गया हो.
33. नियुक्ति के लिये ऐसा कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसके बारे में नैतिक मर्यादा से जुड़े किसी अपराध के लिये अदालत ने दोषसिद्धि की हो.
34. अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है.
35. ऊपर विनिर्दिष्ट उम्मीदवारों को छोड़कर, पद के लिये आवेदन करने वालों को डेबिट कार्ड (रूपे/वीसा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड्स/मोबाइल वॉलेट, यूपीआई का प्रयोग करते हुए स्क्रीन पर पूछी गई सूचना उपलब्ध कराते हुए 1000/- रु. **आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित परंतु बैंक प्रभार रहित)** का भुगतान प्रस्तुत करना अपेक्षित है.
36. परीक्षा के संचालन में कुछेक समस्या होने की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता जो कि टैस्ट डिलीवरी और/अथवा सृजित हो रहे परिणाम को प्रभावित कर सकती है. ऐसी अवस्था में इस तरह की समस्या में सुधार करने के सभी प्रयास किये जायेंगे, जिसमें उम्मीदवारों के मूवमेंट, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है. पुनः परीक्षा का आयोजन परीक्षा आयोजन संस्था के पूर्ण विवेकाधीन होगा. पुनः परीक्षा के लिये उम्मीदवारों का कोई दावा नहीं होगा. जो उम्मीदवार मूवमेंट करने के लिये इच्छुक नहीं होंगे अथवा टैस्ट डिलीवरी की देरी की प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं होंगे उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जायेगा.
37. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र के लिये आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों के स्कोर को विभिन्न सत्रों में प्रयुक्त भिन्न-भिन्न टैस्ट बैटरीज के कठिन स्तर में थोड़ा अंतर करने के लिये समायोजन हेतु समानता प्रदान की जायेगी. यदि किसी भी केंद्र में अथवा किसी उम्मीदवार के लिये कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न होती है अथवा क्षमता कम होती है तो अपेक्षित होने पर एक से अधिक सत्र हो सकता है.
38. व्यक्तिशतः उम्मीदवारों के प्रत्युत्तर (उत्तर) का सही और गलत उत्तरों की समानता की पद्धति का पता लगाने के लिये अन्य उम्मीदवारों के साथ मूल्यांकन किया जायेगा. यदि मूल्यांकन प्रक्रिया में यह पता चला/निष्कर्ष निकला कि प्रत्युत्तरों को आपस में बांटा गया है और प्राप्त स्कोर वास्तविक/वैध नहीं है, भारतीय खाद्य निगम के पास संबंधित उम्मीदवारों का परिणाम रोकने और उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है.
39. स्कोर्स पर पहुंचने की प्रक्रिया.

ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर्स निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त किये जाते हैं :

(i) किसी उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तरों की संख्या को स्कोर हासिल करने हेतु विचार में लिया जायेगा.

(ii) इस तरह उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सही स्कोर इक्वेटिड स्कोर्स* पर पहुंचने के लिये भिन्न-भिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में कठिन स्तर में, यदि कोई है, छोटे-मोटे अंतर को ध्यान में रखते हुए समकक्ष बनाया जाता है.

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त स्कोर्स सभी प्रकार से स्कोर्स के वितरण पर विचार करते हुए आधार प्रकृति के समकक्ष किया जाता है.

40. **बायोमीट्रिक डाटा-कैप्चरिंग और सत्यापन**

बायोमीट्रिक डाटा (हाथ के अंगूठे का निशान) और उम्मीदवारों का फोटोग्राफ ऑनलाइन परीक्षा की तिथि को प्राप्त किया जायेगा. बायोमीट्रिक डाटा और फोटोग्राफ का बाद में सत्यापन किया जायेगा. इसकी स्थिति (मिलान होता है अथवा नहीं) के संबंध में बायोमीट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा.

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निर्बाध प्रक्रिया के संचालन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें :-

- यदि उंगलियां कोटेड (स्टैम्पड इंक/मेंहदी/रंग आदि) हैं तो उनकी अच्छी तरह से धुलाई सुनिश्चित करें ताकि कोटिंग परीक्षा/साक्षात्कार/ज्वाइनिंग तिथि से पहले पूरी तरह से हट जाये.
- यदि उंगलियों पर धूल है या वे धुंधली हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धो लें तथा फिंगर प्रिंट (बायोमीट्रिक) लेने से पहले इन्हें सूखा कर लें.
- दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों, यह सुनिश्चित करें. यदि उंगलियां गीली हैं, प्रत्येक उंगली को साफ कर लें और सूखा कर लें.
- यदि मुख्य उंगली (अंगूठा) को कैप्चर किया जाना है और वह चोटिल/क्षतिग्रस्त है, परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करें.

टिप्पणी :- यद्यपि किसी महामारी जैसी स्थिति के बने रहने अथवा इस संबंध में सरकारी प्राधिकारियों से कोई निषेध होने के मामले में एफसीआई/परीक्षा आयोजन संस्था द्वारा उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक डाटा की कैप्चरिंग की अपेक्षा को खत्म किया जा सकता है.

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया

1. निम्नांकित के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियायें

क- आवेदनपत्र पंजीकरण

ख- शुल्क का भुगतान

ग- प्रलेख स्कैन तथा अपलोड

उम्मीदवार **01/03/2021 को 10.00 बजे (भा.मा.स.) से 31/03/2021 को 16.00 बजे (भा.मा.स.)** तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन की कोई अन्य प्रणाली स्वीकार नहीं की जायेगी.

2. **पंजीकरण से पूर्व नोट किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु**

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को चाहिए-

(i) अपने स्कैन करें :
- फोटो (4.5 से.मी.×3.5से.मी.)
- हस्ताक्षर (काली स्याही के साथ)
- बायें अंगूठे का निशान (सफेद कागज पर काली अथवा नीली स्याही के साथ)
- एक हस्तलिखित घोषणा (एक सफेद कागज पर काली स्याही के साथ) (मूल पाठ नीचे दिया गया है) यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सभी स्कैंड प्रलेख विज्ञापन में दिये गये अनुसार अपेक्षित विनिर्देशों का अनुपालन करते हैं.

(ii) **बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा.**

(iii) बायें अंगूठे का निशान समुचित रूप से स्कैन होना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए. यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दायें अंगूठे का प्रयोग कर सकता/सकती है.)

(iv) **हस्तलिखित घोषणा हेतु मूलपाठ निम्नानुसार है-**

"मैं ..... (उम्मीदवार का नाम) घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना सही, सत्य और वैध है. जब भी जरूरी दस्तावेज अपेक्षित होंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी."

(v) उपरोक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार के हस्त लेखन में तथा केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए. यदि इसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा तथा अपलोड किया गया है तो आवेदन-पत्र को अवैध माना जायेगा. (दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों के मामले में जो लिख नहीं सकते/सकती हैं वे घोषणा के मूलपाठ को टंकित करा सकते/ सकती हैं और टंकित घोषणा के नीचे बायें हाथ का निशान अंकित करें तथा विनिर्देशों के अनुसार प्रलेख अपलोड करें.)

(vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु आवश्यक विवरण/प्रलेख तैयार रखें.

(vii) एक वैध वैयक्तिक ईमेल आईडी तथा मोबाइल नं. रखें, जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखें जाने चाहिए. परीक्षा इत्यादि के लिए बुलावापत्र डाउनलोड करने हेतु सूचना पंजकृत ईमेल आईडी के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है. यदि किसी उम्मीदवार के पास एक वैध वैयक्तिक ईमेल आईडी नहीं है तो उसको ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी नवीन ईमेल आईडी तथा मोबाइल नं. सृजित कर लेना चाहिए तथा उस ईमेल खाता एवं मोबाइल नंबर को अवश्य अनुरक्षित करें.

3. **आवेदन शुल्क; (अप्रतिदेय) ऑनलाइन शुल्क का भुगतान : 01/03/2021 को 10.00 बजे (भा.मा.स.) से 31/03/2021 को 16.00 बजे (भा.मा.स.) तक**

आवेदन शुल्क/सूचना प्रभारों के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेन-देन प्रभारों को उम्मीदवार को वहन करना होगा.

क- आवेदनपत्र पंजीकरण

1. उम्मीदवार एफसीआई की वेबसाइट **(www.fci.gov.in)** पर जायें तथा विकल्प **"अप्लाई ऑनलाइन"** पर क्लिक करें जो एक नवीन स्क्रीन खोलेगा.
2. आवेदनपत्र पंजीकरण करने के लिए टैब **"नवीन पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें"** चुने तथा नाम, संपर्क विवरण एवं ईमेल आईडी प्रविष्टि करें. प्रणाली द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सृजित किया जायेगा तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. उम्मीदवार को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए. अनंतिम पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड निदर्शित करते हुए एक ईमेल एवं एसएमएस भी प्रेषित किया जायेगा.
3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन प्रपत्र पूरा करने में असमर्थ होता/होती है तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" चयन करके पहले प्रविष्ट किये गये डाटा को सुरक्षित कर सकता/कर सकती है. ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने से पूर्व उम्मीदवारों को सलाह है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विवरणों को सत्यापित करने तथा उसको आशोधित करने हेतु, यदि अपेक्षित, "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का प्रयोग करें. दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र ध्यानपूर्वक भरना चाहिए तथा अन्तिम रूप से जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही हैं, विवरणों को सत्यापित कर लें/सत्यापित करा लें.
4. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र ध्यानपूर्वक भरें तथा भरे गये विवरणों को स्वयं सत्यापित कर लें क्योंकि फाइनल सब्मिट बटन क्लिक करने के पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव/विचारित नहीं होगा.
5. उम्मीदवार अथवा उसके पिता/पति इत्यादि का नाम आवेदनपत्र में सही ढंग से ठीक वैसा ही अंकित किया जाना चाहिए जैसा यह प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों/पहचान प्रमाणपत्र में दृष्टिगत होता है. कोई भी परिवर्तन/अन्तर पाये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी.
6. 'वैलिडेट योर डिटेल्स' तथा 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करके अपने विवरणों को वैध करें एवं अपने आवेदनपत्र को सुरक्षित करें.
7. उम्मीदवार बिंदु 'ग' के अधीन विवरणित फोटो तथा हस्ताक्षर की स्कैनिंग एवं अपलोड करने हेतु दिशानिर्देशों में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं.
8. उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र के अन्य विवरणों को भरने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं.
9. फाइनल सब्मिट करने से पूर्व संपूर्ण आवेदन प्रपत्र को पूर्वदर्शन तथा सत्यापन करने के लिए प्रीव्यू टैब पर क्लिक करें.
10. विवरणों को आशोधित करें, यदि अपेक्षित, तथा 'फाइनल सब्मिट' पर **केवल** यह सत्यापित और सुनिश्चित करने के पश्चात ही क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटो, हस्ताक्षर तथा भरे गये विवरण सही हैं.
11. 'पेमेंट' टैब पर क्लिक करें तथा भुगतान हेतु प्रक्रिया करें.
12. 'सब्मिट' बटन पर क्लिक करें.

ख- शुल्क का भुगतान-ऑनलाइन प्रणाली

1. आवेदन प्रपत्र को भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है और भुगतान प्रक्रिया अनुदेशों का पालन करते हुए पूरी की जा सकती है.
2. पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को **आवेदन शुल्क रु. 1000/- (बैंक प्रभारों को छोड़कर किंतु जीएसटी सहित)** जमा करना होगा. भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मैस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वालेट्स/यूपीई का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है.
3. अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है.
4. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपना भुगतान प्रस्तुत करने के उपरांत कृपया सर्वर से सूचना के लिए इंतजार करें. डबल चार्ज से बचने के लिए बैक या रीफ्रेश बटन को न दबायें.
5. लेन-देन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एक ई-रिसीप्ट सृजित होगी.
6. 'ई-रिसीप्ट' के सृजित न होने पर भुगतान विफलता निर्देशित होती है. भुगतान की विफलता पर उम्मीदवारों को सलाह है कि अपनी अनंतिम पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए पुनः लॉगिन करें तथा भुगतान की प्रक्रिया को दोहरायें.
7. **उम्मीदवारों को ई-रिसीप्ट एवं शुल्क के विवरण वाले ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का एक प्रिंट लेना अपेक्षित है. कृपया नोट करें कि यदि यह सृजित नहीं होते हैं तो ऑनलाइन लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है.**
8. **क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए :** सभी प्रभार भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं, यदि आप गैर भारतीय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बैंक विनिमय दरों के आधार पर आपके भुगतान को स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा.
9. अपने डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, लेन-देन पूरा होने के बाद ब्राउजर विंडो को कृपया बंद कर दें.
10. **वहां शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क विवरण समाविष्ट करते हुए आवेदन प्रपत्र कर प्रिंट लेने की सुविधा होगी.**

ग. प्रलेख स्कैन और अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश :

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को नीचे दिये गये विनिर्देशों के अनुसार अपने फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज रखना अपेक्षित है.

फोटोग्राफ इमेज

- फोटोग्राफ हाल ही में खिंचा पासपोर्ट शैली का रंगीन फोटो होना चाहिए.
- यह सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो और हल्का रंगीन वरीयतः सफेद पृष्ठभूमि के साथ खींचा गया हो.
- कैमरे की ओर सामान्य चेहरे के साथ सीधा देखें.
- यदि फोटोग्राफ धूप में लिया गया हो तो सूर्य आपके पीछे होना चाहिए अथवा स्वयं को छांव में रखें ताकि आप तिरछी नजर से न देख रहे हों और वहां गहरी छांव नहीं होनी चाहिए.
- यदि आप फ्लैश का प्रयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि रेड आई नहीं होनी चाहिए.
- यदि आप चश्मा पहनते हो तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिम्ब नहीं हो और आपकी आंखें स्पष्ट दिखायी पड़ती हों.
- टोपी, हैट और धूप का चश्मा स्वीकार्य नहीं है, सिर पर धार्मिक पहनावा की अनुमति है किन्तु वह आपके चेहरे को ढके नहीं.

  आकार 200×230 पिक्सल्स (वरीयतः)
- फाइल का आकार 20के.बी.-50 के.बी. के बीच होना चाहिए.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन इमेज का आकार 50 के.बी. से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि फाइल का आकार 50 के.बी. से अधिक है तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान, डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या इत्यादि के अनुसार स्कैनर की सेटिंग एडजस्ट करें.
- यदि फोटो को फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता है तो परीक्षा के लिए प्रवेश नामंजूर/इंकार कर दिया जायेगा इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा.
- उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो फोटो के स्थान पर और हस्ताक्षर हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड किया गया है. यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर सही प्रकार से अपलोड नहीं किया गया है तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
- उम्मीदवार को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित आकार की है और चेहरा साफ दिखायी देता है.

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे के निशान एवं हस्तलिखित घोषणा इमेज :

- आवेदक को सादे कागज पर काली स्याही वाली कलम से हस्ताक्षर करना चाहिए.
- उम्मीदवारों को अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाना चाहिए.
- उम्मीदवार घोषणा एक सफेद कागज पर काली स्याही से केवल अंग्रेजी में साफ अक्षरों में लिखें.
- हस्ताक्षर बायें अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं.
- हस्ताक्षर को बुलावा पत्र पर तथा जहां कहीं आवश्यक है अंकित करने के लिए प्रयोग किया जायेगा.
- उपस्थिति पत्रक या बुलावा पत्र पर परीक्षा के समय उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड किये गये हस्ताक्षर के समान नहीं होंगे तो उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जायेगा.
- कैपिटल लैटर्स में किये गये हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा को स्वीकार नहीं किया जायेगा.
  - **फाइल का प्रकार :** जेपीजी/जेपीईजी
  - **आकार :** 140×60 पिक्सल (वरीयतः)
  - **फाइल का आकार :** 10 के.बी.-20 के.बी. के बीच होना चाहिए.

बायें हाथ के अंगूठे का निशान :

- आवेदक को सफेद कागज पर काली अथवा नीली स्याही के साथ बायें अंगूठे का निशान अंकित करना होगा.
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं.
- **फाइल का प्रकार :** जेपीजी/जेपीईजी
- **आकार :** 240×240 पिक्सल्स 200 डीपीआई में (अपेक्षित गुणवत्ता अधिमानित) अर्थात 3 से.मी.* 3 से.मी. (चौड़ाई* ऊंचाई).
- **फाइल का आकार :** 20 के.बी.-50के.बी.
- **हस्तलिखित घोषणा :**
- हस्तलिखित घोषणा का मूलपाठ शीर्षक 'पंजीकरण से पूर्व नोट किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु' के अधीन बिंदु iv में दिये गये अनुसार होना चाहिए.
- हस्तलिखित घोषणा बड़े अक्षरों में नहीं होनी चाहिए अन्यथा इसको स्वीकार नहीं किया जायेगा.
- आवेदक को घोषणा काली अथवा नीली स्याही के साथ एक सफेद कागज पर साफ-साफ अंग्रेजी में लिखनी होगी.
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं.
- **हस्तलिखित घोषणा :**
- **फाइल का प्रकार :** जेपीजी/जेपीईजी
- **आकार :**800×400 पिक्सल्स 200 डीपीआई में (अपेक्षित गुणवत्ता अधिमानित) अर्थात 10 से.मी.* 5 से.मी. (चौड़ाई* ऊंचाई)
- **फाइल का आकार :** 50 के.बी.-100 के.बी.

प्रलेख स्कैन करना :

- स्कैनर रिजोल्यूशन 200 डीपीआई के न्यूनतम (डॉट्स प्रति इंच) पर रखें.
- कलर को ट्रू कलर पर सेट करें.
- बायें अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे एक स्कैनर की इमेज क्रॉप करें और तत्पश्चात् अंतिम आकार (ऊपर यथा विनिर्दिष्ट) तक इमेज को क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.
- इमेज फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए. एक उदाहरण -फाइल का नाम : image01.jpg अथवा image01.jpeg आकार, फोल्डर फाइल लिस्ट करने पर अथवा माउस को फाइल इमेज आइकन पर चलाने से चेक किया जा सकता है.
- उम्मीदवार जो एमएस विंडोज/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते है, प्रलेख आसानी से जेपीईजी प्रारूप में, एमएस पेंट अथवा एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर सकते हैं, स्कैन किये गये प्रलेख किसी भी प्रपत्र में 'Save As' विकल्प का प्रयोग करते हुए फाइल मेनू में .jpg / .jpeg प्रारूप में सेव किया जा सकता है आकार क्रॉप और पुनर्आकार विकल्प का प्रयोग करते हुए, एडजस्ट किया जा सकता है.
  - **यदि फाइल का आकार तथा प्रारूप निर्धारितानुसार नहीं है तो एक त्रुटि मेसेज प्रदर्शित होगा.**
  - **ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय उम्मीदवार को अपनी फोटो, हस्ताक्षर बायें हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए एक लिंक उपलब्ध किया जायेगा.**

प्रलेख अपलोड करने के लिए प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय उम्मीदवार को बायें अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए पृथक लिंक उपलब्ध कराया जायेगा.
- संबंधित लिंक ''अपलोड बायें अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा'' पर क्लिक करें.
- स्थान जहां स्कैन्ड बायें अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा फाइल सेव की गई है, उस स्थान को ब्राउज और चयन करें.
- फाइल पर क्लिक कर फाइल को चयन करें.
- ओपन/अपलोड बटन को क्लिक करें, आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि आप यथानिर्दिष्ट अपना बायें अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते हैं.
- यदि फाइल का आकार और प्रारूप यथा निर्धारित रूप में नहीं है तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा.
- अपलोड की गयी इमेज का प्रीव्यू इमेज की गुणवत्ता देखने में सहायता करेगा. अस्पष्टता/धुंधलेपन के मामले में इन्हें अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड करें.

टिप्पणी :

(1) यदि बायें अंगूठे का निशान अथवा हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो उम्मीदवार का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा.

(2) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में बायें अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के पश्चात उम्मीदवारों को यह जांच करनी चाहिए कि छाप स्पष्ट है तथा सही ढंग से अपलोड की गयी है. यदि बायें अंगूठे का निशान अथवा हस्तलिखित घोषणा प्रमुखता से दृश्यमान नहीं है तो उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को संपादित करें तथा प्रपत्र जमा करने से पूर्व अपने बायें अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा को पुनः अपलोड करें.

(3) उम्मीदवारों को सलाह है कि ऑनलाइन पंजीकरण करने के पश्चात वे अपने प्रणाली सृजित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें.

(4) **उम्मीदवार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा तथा अंगूठा निशान सही ढंग से उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार तथा केवल निर्धारित स्थान पर अपलोड किया गया है. इनमें से किसी को भी गलत ढंग से अपलोड किये जाने पर आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा.**

कदाचार/अनुचित साधनों का प्रयोग करने के दोषी पाये गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को उनके हित में परामर्श दिया जा रहा है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छुपायें एवं झूठी, बनावटी एवं छेड़छाड़ की हुई सूचना प्रस्तुत न करें. परीक्षा, साक्षात्कार के समय या किसी परवर्ती चयन प्रक्रिया में यदि कोई उम्मीदवार निम्न का दोषी है (या पाया गया है) :

(i) अनुचित साधनों का प्रयोग करना **या**

(ii) छद्मरूप धारण करने या किसी व्यक्ति द्वारा छद्म प्रतिनिधि उपलब्ध करवाने **या**

(iii) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार या किसी भी उद्देश्य से मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिकी या यांत्रिकी आदि किसी भी तरीके से किसी भी रूप में संपूर्ण या अंशतः परीक्षा की विषय वस्तु या किसी सूचना का प्रकरण, प्रकाशन, पुनः सृजन, पारेषण, भण्डारण या विषय वस्तु को प्रसारित या स्टोर करके देखने का दोषी पाया जाना, **अथवा**

(iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई गलत या अनियमित तरीके अपनाने **या**

(v) गलत तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए कोई समर्थन प्राप्त करने, **अथवा**

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या समान तरह के संचार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने आदि से उम्मीदवार आपराधिक कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नलिखित का भागी होगा :

(क) जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित माना जायेगा.

(ख) निगम द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के लिए स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जायेगा.

(ग) यदि उसने निगम में पहले से कार्यग्रहण कर लिया है तो सेवा की समाप्ति के लिए.

अनंतिम अनुसूची :

1.	आवेदन शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा प्रारंभ	01/03/2021 को 10.00 बजे से (भा.मा.स.)
2.	ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा तथा शुल्क भुगतान हेतु अन्तिम तिथि एवं समय	31/03/2021 को 16.00 बजे तक (भा.मा.स.)
3.	डाउनलोड करने हेतु वेबसाइट पर बुलावा पत्रों की उपलब्धता	परीक्षा की तिथि घोषित होने से 10 दिन पूर्व
4.	ऑनलाइन परीक्षा की तिथि	वेबसाइट www.fci.gov.in में घोषित की जायेगी, अनंतिम रूप से माह मई अथवा जून 2021 में.

टिप्पणी : उम्मीदवार नियमित अद्यतनों के लिए एफसीआई की वेबसाइट **www.fci.gov.in** देख सकते हैं. **ऑनलाइन पंजीकरण केवल 01/03/2021 को 10.00 बजे (भा.मा.स.) से 31/03/2021 को 16.00 बजे तक (भा.मा.स.) सक्रिय रहेगा. अन्तिम समय की भीड़भाड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह है कि पर्याप्त अग्रिम में आवेदन करें. भारतीय खाद्य निगम ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने में नेटवर्क समस्याओं अथवा किसी अन्य समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.**

परिशिष्ट-क

अजा/अजजा प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप

किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने दावे के समर्थन में जिस जिले में उम्मीदवार के अभिभावक (या जीवित अभिभावक) निवास करते हैं उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट अथवा सब डिविजनल ऑफिसर अथवा नीचे उल्लेखित अन्य किसी भी अधिकारी से नीचे उल्लेखित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि जमा करनी होगी तथा प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने की योग्यता स्वरूप संबंधित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होना चाहिए. अगर दोनों अभिभावक मृत हैं, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां उम्मीदवार स्वयं निवास करते हैं, अपने निजी शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से रहने के अलावा. हालांकि, फोटोग्राफ, प्रमाणपत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, निगम इस तरह के प्रमाण पत्रों की सिर्फ स्वयं सत्यापित छायाप्रति स्वीकार करेगा तथा कोई भी सत्यापित अथवा टू कॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी.

भारत सरकार के अधीन पदों के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... पुत्र/पुत्री* ..... ग्राम/नगर* ..... राज्य/केंद्र शासित राज्य* ..... के जिला/प्रखंड* ..... जो ..... जाति/जनजाति ..... से संबंधित हैं जिन्हें निम्नानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है :-

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950;
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951,
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976]

* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959;
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
* संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
* संविधान (नगालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996;
* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002;

% 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में लागू, जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से प्रवर्जित हो चुके हैं.

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... के माता/पिता श्री/श्रीमती* ..... निवासी ग्राम/कस्बा* ..... जिला/संभाग* ..... प्रदेश/संघ शासित प्रदेश* ..... को प्रदत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जो ..... जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जो ..... दिनांक ..... के द्वारा जारी आदेश के अनुसार ..... राज्य/संघ शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त हैं.

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* ..... जिला/संभाग* ..... राज्य/संघ शासित प्रदेश* ..... में रहता है.

हस्ताक्षर .....
**पदनाम .....
(कार्यालय की मुहर सहित)
राज्य/संघ शासित प्रदेश .....

स्थान .....
दिनांक .....

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें.
@ कृपया विशिष्ट प्रेसिडेंशियल आदेश उद्धृत करें.
% जो पैराग्राफ लागू नहीं है उसे काट दें.

टिप्पणी I : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में हैं.

**** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शक्तिप्राप्त प्राधिकारी की सूची**

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट.
ii. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.
iii. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के रैंक के नीचे का न हों.
iv. उस क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है.

टिप्पणी II: तमिलनाडु राज्य के अजजा उम्मीदवारों को केवल राजस्व संभागीय अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए.

परिशिष्ट-ख

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... ग्राम/कस्बा ..... के जिला/संभाग ..... प्रदेश ..... के निवासी ..... समुदाय से संबंधित हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. ..... दिनांक ..... *के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यताप्राप्त हैं. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/या उनका परिवार साधारतया ..... राज्य/सं.रा.क्षे. के ..... जिला/संभाग में रहते हैं. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08-09-1993** की कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं.

दिनांक .....
मुहर .....

जिलाधीश
उपायुक्त आदि

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प में दिये गये विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति अपित्र के रूप में उल्लिखित है.

** अथवा आगे का.ज्ञा. सं. 36033/2013-स्था (संकल्प) दिनांक 27-05-2013 द्वारा संशोधित अथवा आगे का. ज्ञा. सं. 36033/1/2013-स्था. (संकल्प) दिनांक 13-09-2017 अथवा भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना द्वारा संशोधित.

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः रहते हैं' का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है.

परिशिष्ट-ग

..... **सरकार**

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं. .....

तिथि : .....

..... वर्ष के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... स्थायी निवासी ..... गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... संघ राज्य क्षेत्र ..... पिनकोड ..... जिनका फोटो नीचे सत्यापित किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्त वर्ष ..... की उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* केवल 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उनके परिवार के पास निम्नलिखित कोई परिसंम्पत्ति*** नहीं है या धारक नहीं है :-

I. 5 एकड़ या अधिक की कृषि भूमि.
II. 1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार का कोई आवासीय फ्लैट.
III. अधिसूचित म्यूनिसिपॉलिटीज में 100 वर्ग गज या उससे अधिक आकार का कोई आवासीय प्लॉट.
IV. अधिसूचित म्यूनिसिपॉलिटीज को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक आकार का कोई आवासीय प्लॉट.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... से संबंधित है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं हैं.

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर
नाम .....
पदनाम .....

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

*** टिप्पणी-1 :** आय में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल हैं.

**** टिप्पणी-2 :** इस उद्देश्य के लिए **'परिवार'** की परिभाषा में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके अभिभावक, 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई/बहन और उसकी पत्नी/पति तथा 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे.

***** टिप्पणी-3 :** किसी परिवार द्वारा विभिन्न स्थलों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित सम्पत्ति को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) स्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या सम्पत्ति धारण जांच हेतु शामिल कर लिया गया है.

टिप्पणी I:

निम्नलिखित किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त दिये गये निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र को ही ई.डब्ल्यू.एस. से होने के उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जायेगा :

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त.
ii. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.
iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक वाला नहीं है.
iv. उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है.

परिशिष्ट - घ 1

प्रपत्र-5

विकलांगता प्रमाण पत्र

(अंगों में एम्प्यूटेशन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन और नेत्रहीनता के मामले में)

[देखें नियम 18 (1)]

(प्रमाण पत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का नया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. : ..... **दिनांक : .....**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... जन्मतिथि (ति./मा./व.) ..... आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला ..... पंजीकरण सं. ..... स्थायी निवासी मकान सं. ..... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और मैं संतुष्ट हूं कि

(क) उनका मामला निम्नलिखित का है :-

- लोकोमोटर विकलांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगायें)

(ख) उनके मामले में ..... डायग्नोज हुआ है.

1. दिशा-निर्देशों (उल्लेख करें) के अनुसार उनके ..... (शरीर के अंग) में .....% (अंकों में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक शारीरिक बाधा/बौनापन/नेत्रहीनता है.

2. निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये हैं : -

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के
अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है.

परिशिष्ट-घ 2

प्रपत्र-6
विकलांगता प्रमाणपत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)
[देखें नियम 18 (1)]
(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का नया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. : ..... दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... जन्मतिथि (ति./मा./व.) ..... आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला ..... पंजीकरण सं. ..... स्थायी निवासी मकान सं. ..... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और संतुष्ट हैं कि

(क) वह बहु-विकलांगता से ग्रस्त है, उनकी स्थायी शारीरिक बाधा/विकलांगता की सीमा का, नीचे सही का निशान लगी तथा नीचे तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने उल्लिखित विकलांगता दिशानिर्देशों (दिशा-निर्देश जारी करने की सं. ..... एवं तिथि को निर्दिष्ट किये जायें) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है :

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	डायग्नोसिस	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	गतिविषयक विकलांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकार			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			
6.	एसिड अटैक पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	दृष्टिबाधित	#		
9.	बहरा	£		
10.	सुनने में कठिनाई	£		
11.	स्पीच एवं लैंग्वेज नि:शक्तता			
12.	बौद्धिक नि:शक्तता			
13.	विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता			
14.	आटिज्म स्पैक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	गंभीर न्यूरोलाजिकल स्थितियां			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किसन बीमारी			
19.	हिमोफिलिया			
20.	थैलीसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (दिशा - निर्देश जारी करने की संख्या एवं तिथि निर्दिष्ट करें) के अनुसार उनकी संपूर्ण स्थायी शारीरिक बाधा निम्नानुसार है :-

अंकों में ..... प्रतिशत

शब्दों में ..... प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने/सुधार नहीं होने की संभावना है.

3. विकलांगता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) ..... वर्षों ..... महीनों के बाद अनुशंसा की जाती है. और इसलिए यह प्रमाणपत्र ...../...../..... (ति) (मा) (वर्ष) तक वैध रहेगा.

@ अर्थात बाईं/दाईं/दोनों भुजा/पैर

अर्थात एक नेत्र

£ अर्थात बायां/दायां/दोनों कान.

4. निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये हैं :-

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम एवं मोहर	सदस्य का नाम एवं मोहर	अध्यक्ष का नाम एवं मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है.

परिशिष्ट - घ 3

प्रपत्र - 7
विकलांगता प्रमाणपत्र
(प्रपत्र 5 एवं 6 में उल्लिखित से भिन्न मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)
[देखें नियम 18 (1)]

विकलांग व्यक्ति का नया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. : ..... दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... जन्मतिथि (ति./मा./व.) ..... आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला ..... पंजीकरण सं. ..... स्थायी निवासी मकान सं. ..... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और संतुष्ट हैं कि वह ..... विकलांगता से ग्रस्त है. उसकी स्थायी शारीरिक बाधा विकलांगता की सीमा का दिशानिर्देशों (दिशा-निर्देश जारी करने की संख्या..... एवं तिथि निर्दिष्ट किये जायें) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाई गयी है :

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	डायग्नोसिस	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	गतिविषयक विकलांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकार			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4.	मस्तिष्क पक्षाघात			
5.	एसिड अटैक पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बहरा	□		
8.	सुनने में कठिनाई	□		
9.	स्पीच एवं लैंग्वेज नि:शक्तता			
10.	बौद्धिक नि:शक्तता			
11.	विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता			
12.	ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
15.	मल्टीपल स्लोरोसिस			
16.	पार्किसन बीमारी			
17.	हिमोफिलिया			
18.	थैलीसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो विकलांगता लागू न हो उसे काट दें)

2. यह स्थिति प्रगामी/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने/सुधार नहीं होने की संभावना है.

3. विकलांगता का पुनः निर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है या*

(ii) ..... वर्षों ..... महीनों के बाद अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमा.पत्र ...../...../... (ति)(मा.) (वर्ष) तक वैध रहेगा.

@ अर्थात बाईं/दाईं/दोनों भुजा/पैर

अर्थात एक नेत्र/दोनों नेत्र

□ अर्थात बायां/दायां/दोनों कान

4. निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये हैं :

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी)
(नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर
(यदि प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी (मोहर सहित) किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो किसी सरकारी अस्पताल के सीएमओ चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है.

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह केवल तभी वैध होगा यदि इसको जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है.

(शेष अगले पृष्ठ पर)

INDORE SCHOOL OF SOCIAL WORK

13-14, OLD SEHORE ROAD, INDORE-452001 (M.P.)
(Affiliated to Devi Ahilya Vishwavidhyalaya & Approved by Govt, of M.P.)
Tel.NO. 0731-2701718 E-mail:- issswindore@gmail.com

Registration 2021-2022

The Students who want to make career in Professional Social Work may contact the following staff members for registration for the academic year 2021-2022. The seats are limited.

Contact on Mobile Number

1-Mr. Piyush Porwal 7828102053
2-Dr. Ritesh Mahadik 9685557485
3-Dr. Sudha Jain 9826148006

PRINCIPAL

R-45387/2021

MAHARANA PRATAP COLLEGE, BHOPAL

(Affiliated to Barkatullah University Bhopal),
Phone: 9425651620, Email:mpgibhopal@gmail.com

MPC is one of the best and fastest transforming institutes of central India. Applications are invited from eligible candidates for requirement under college code 28 for below mentioned positions in the Department of Education (B.Ed).

Principal/HOD - 01 | Assistant Professor -03 Posts

Qualifications, Experience and salary as per norms. The number of vacancies is subject to change and Institute reserves full rights for it. Interested candidates may apply along with CV, testimonials and four recent passport size photographs to Chairman **"Maharana Pratrap College, A-6 Vidya Nagar Opposite Barkatullah University Bhopal - 462024** within 15 days

Chairman

R-45386/2021

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
ईमेल : eervskvv@gmail.com, फोन: 0751-2467680

क्र./जनसं/का.यं./2021/2692 दिनांक : 10-03-2021

//प्रेस विज्ञप्ति//

निविदा सूचना क्रमांक/2692/10.03.2021 रा,वि,सिं,कृ,वि,वि,, ग्वालियर के अंतर्गत भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा **2021-RVSKV_134564_1** आमंत्रित की गई है। निविदा की ऑनलाइन क्रय की अंतिम तिथि **31.03.2021** तक है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण पोर्टल **https:www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

R-45388/2021

मेयो ग्रुप ऑफ कॉलेज

सुल्तानिया रोड, स्टेट बैंक चौराहे के पास, भोपाल–462001
इन्द्र विहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल–462032
Tel. No. 9425010770, 9425605962

म.प्र. पैरामेडिकल कांउसिल से मान्यता प्राप्त, म.प्र. मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, जबलपुर से मान्यता प्राप्त, इंडियन नर्सिंग कांउसिल, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. से मान्यता प्राप्त

प्रवेश अंतिम चरण में सत्र 2020-21

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि
1.	**मास्टर ऑफ नर्सिंग** (एम.एस.सी नर्सिंग)– **योग्यता बी.एस.सी. नर्सिंग**	2 वर्ष
2.	**मास्टर इन मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी** (एम.एम.एल.टी.) **योग्यता बी.एम.एल.टी.**	**2 वर्ष**
3.	**बैचलर इन फिजियोथेरेपी** (बी.पी.टी.) **6 माह इंटर्नशिप**	**4 वर्ष**
4.	**बी.एस.सी. इन** एक्स–रे	**3 वर्ष**
5.	**डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन** (डी.एम.एल.टी.)	**2 वर्ष**
5.	**सर्टिफिकेट इन** एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियान	**1 वर्ष**
6.	**ओ.टी. टेक्नीशियन** (ऑपरेशन थ्रीएटर)	**1 वर्ष**

क्रमांक 3 से 7 तक के लिए योग्यता 12वीं जीव विज्ञान विषय से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये शासन अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा। छात्राओं के लिए उत्तम भोजन युक्त छात्रावास की विशेष सुविधा उपलब्ध है।

R-45393/2021 संचालक

LAKECITY

आकलन के पश्चात किसानों को देंगे आवश्यक राहत – मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई बेमौसम बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षति के आकलन के निर्देश दिए हैं। किसानों को आवश्यकता-नुसार फसलों की क्षति के आधार पर जरूरी राहत प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश और कहीं-कहीं हुई ओलावृष्टि से फसलों को पहुंची क्षति की जानकारी प्राप्त की है और संबंधित जिलों के कलेक्टर्स के साथ ही राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है।

श्री चौहान ने कहा कि जिलों में कहीं-कहीं फसलें आड़ी हो गई हैं। क्षति का आकलन किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी फील्ड में हैं और सर्वे कार्य कर रहे हैं। किसानों को जैसा नुकसान हुआ है, उन्हें आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को हुए नुकसान की जानकारी लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। संकट के समय राज्य सरकार किसान भाइयों के साथ है। किसानों को राहत देने में विलंब भी नहीं होगा।

नागरिकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की दें सलाह

भोपाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि सभी नगरीय निकायों में निकाय के वाहनों के माध्यम से मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की सलाह सतत रूप से दी जाये। प्रत्येक दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग एवं उपभोक्ताओं द्वारा मास्क के उपयोग संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित हो। ट्रेफिक चौराहों पर लाउडस्पीकर से मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के संबंध में उद्घोषणा की व्यवस्था की जाये।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी नगर निगम आयुक्तों, संभागीय संयुक्त संचालकों और मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को दिये हैं।

विश्व उपभोक्ता दिवस पर

उपभोक्ताओं को जागरूक करने जागरूकता रथ हुए रवाना

भोपाल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री विसाहूलाल सिंह एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने उपभोक्ता जागरूकता रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन रथों के माध्यम से भोपाल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी, रैली एवं प्रदर्शनी आदि का आयोजन भी किया जाएगा।

उपभोक्ता जागेगा, मिलावट–खोर भागेगा

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि जब तक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक मिलावट खोर व्यापारी जनता की जानमाल के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मूल्य के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। सेवा के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, विद्युत, मनोरंजन, रेल, डाक, दूरभाष आदि सेवायें शामिल हैं। यदि सामान या सेवा में निर्धारित गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता के मानक में कमी हो या निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क मांगे जाने की बात हो तो इसकी शिकायत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं।

ऑनलाइन उपभोक्ताओं के अधिकार

खाद्य मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन परचेजिंग को ज्यादा बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वेबसाइट पर कंपनी का पूरा नाम, पता चेक करें साथ ही कंपनी की नीति और धन वापसी की प्रक्रिया को भी ध्यान से पढ़ें। बिक्री के बाद दी जाने वाली सेवाएं, वारण्टी, अवधि, नगद वापसी अथवा सामान वापसी की क्या प्रक्रिया होगी को भी ध्यान से पढ़ें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता किसी भी भ्रामक या प्रलोभन युक्त विज्ञापनों से आकर्षित न हों। सभी अप्रत्याशित शुल्क और लागू करों की भी जांच करना चाहिए।

उपभोक्ताओं के अधिकार

संचालक खाद्य श्री तरुण पिथोड़े ने बताया कि स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा, वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता, निर्धारित मात्रा, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानकारी रखने का अधिकार उपभोक्ता को है। इसके अलावा शासकीय एवं प्रशासकीय मंचों पर उपभोक्ता के हितों को सुने जाने के अधिकार, किसी वस्तु या सेवा में कमी या त्रुटि होने पर होने वाले नुकसान से प्रतितोष पाने के अधिकार उपभोक्ताओं को प्रदान किये गये हैं।

संचालक खाद्य ने बताया कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं खाद्य, औषधि, बीमा, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग अथवा शॉपिंग, रेल यात्रा, चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थान में नामांकन, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की आपूर्ति, भ्रामक विज्ञापन आदि के प्रति सेवाओं में किसी प्रकार की असुविधा अथवा धोखाधड़ी या भुगतान के अनुरूप सेवायें नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-233-0046 पर दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा राष्ट्रीय अवकाश एवं रविवार को छोड़कर 10 से 5 बजे तक किसी भी दिन की जा सकती है।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

परिशिष्ट -ङ

परीक्षार्थी की शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/कु./श्रीमती ..... (उम्मीदवार का नाम विकलांगता के साथ) ..... के साथ पीड़ित एक व्यक्ति (विकलांगता का स्वरूप तथा प्रतिशत, विकलांगता प्रमाणपत्र में उल्लेखितानुसार) पुत्र/पुत्री ..... निवासी ..... (ग्राम/जिला/राज्य) की जांच कर चुका हूं और कह रहा हूं कि वह शारीरिक अक्षमता युक्त है जो उनकी विकलांगता के कारण उनकी लेखन क्षमताओं को बाधित करती है.

हस्ताक्षर
एक सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम एवं पद नाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखरेख केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान : .....
दिनांक : .....
टिप्पणी :

प्रमाणपत्र सुसंगत शाखा/निःशक्तता के विशेषज्ञ (अर्थात दृष्टि क्षीणता नेत्र विज्ञानी, गतिविषयक निःशक्तता अस्थिरोग विशेषज्ञ/पीएमआर) द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए.

परिशिष्ट-च

घोषणा

हम, अधोहस्ताक्षरी, श्री/श्रीमती/कु. ..... पात्र उम्मीदवार ..... योग्यताधारक तथा श्री/श्रीमती/कु. ..... पात्र लेखक (स्क्राइब) ..... योग्यता धारक पात्र उम्मीदवार के लिए, एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि :

1. स्क्राइब को उम्मीदवार द्वारा अपनी निजी लागत पर निजी पसंद के अनुसार चिन्हित किया गया है.
2. यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की घोषणा के अनुसार नहीं है तथा स्क्राइब की योग्यता परीक्षा दे रहे उम्मीदवार की योग्यता से एक चरण नीचे नहीं है तो उसकी उम्मीदवारी संक्षेपतः अस्वीकृत कर दी जायेगी. ऐसे मामले में उम्मीदवार पद हेतु अपना अधिकार तथा उससे संबंधित दावा खो देगा.
3. उम्मीदवार नेत्रहीनता गतिविषयक निःशक्तता (दोनों बाहें प्रभावित-बीए) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात संवर्ग के अन्तर्गत मानक निःशक्तता युक्त व्यक्ति है.
4. मानक निःशक्तता युक्त अन्य संवर्ग के व्यक्तियों के मामले में उम्मीदवार को स्क्राइब के प्रावधानों की अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि प्रलेख सत्यापन के समय पर उन्हें निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-ङ) में सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का एक अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि मैं लिखने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम हूं और मेरी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का.ज्ञा.सं. 34-02/2015.डी.डी.III दिनांक 29 अगस्त, 2018 के प्रावधानों के अनुसार स्क्राइब आवश्यक है.
5. नियमानुसार, स्क्राइब की सेवा लेने वाला उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय हेतु पात्र है.
6. समय तत्व के महत्व तथा परीक्षा के प्रतियोगी स्वरूप का होने के दृष्टिगत उम्मीदवार संगठन के चिकित्सा अधिकारी को पूर्णतः संतुष्ट करता है कि उसको स्क्राइब के इस्तेमाल की आवश्यकता थी क्योंकि उसकी लेखन गति उपरोक्त बिंदु 3 में उल्लेखित निःशक्तताओं द्वारा प्रभावित होती है.
7. उम्मीदवार सुनिश्चित कर चुका है कि स्क्राइब उसी भर्ती गतिविधि के लिए एक उम्मीदवार नहीं है.
8. स्क्राइब सुनिश्चित कर चुका है कि वह उसी भर्ती गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो रहा है.
9. ऊपर हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी कथन हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं. हम यह भी वचन देते हैं कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह प्रकट होता है कि हम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तथा/अथवा कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना गलत/मिथ्या है अथवा कि हमने कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी (उम्मीदवार तथा स्क्राइब दोनों यदि वह उसी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके/चुकी हैं) परीक्षा के परिणाम पर ध्यान दिये बगैर निरस्त हो जायेगी. यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात भी इनमें से कोई कमियां होती हैं/प्रकट होती हैं तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी. ऐसी परिस्थितियों में, दोनों हस्ताक्षरकर्ता आपराधिक अभियोजन के भागी होंगे.

मैं, ... (स्क्राइब का नाम) अनुप्रमाणित करता हूं कि मैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार नहीं हूं.

मैं, ... (उम्मीदवार का नाम) इस भर्ती हेतु उम्मीदवार, अनुप्रमाणित करता हूं कि मैं सुनिश्चित कर चुका हूं कि उपरोक्त स्क्राइब इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है.

हमारे हस्ताक्षर तथा संपर्क विवरण नीचे दिये गये हैं :

	स्क्राइब	उम्मीदवार
	हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
	नाम :	नाम :
	पता :	
स्क्राइब का फोटो	संपर्क सं.	संपर्क सं.

परीक्षक का हस्ताक्षर

किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा

मध्यप्रदेश को मिलेंगी अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं

भोपाल, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भोपाल में कही। डॉ. हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आश्वस्त किया कि वे मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहयोग में कोई कमी नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री ने डॉ. हर्षवर्धन को बताया कि प्रदेश में जबलपुर के कैंसर इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार से 75 प्रतिशत अंशदान दिया जाए। वर्तमान में यह अंशदान 60 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जबलपुर के कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए केंद्रीय अनुदान की राशि में वृद्धि का आग्रह किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में 3 नवीन मेडिकल कॉलेजों दमोह, सिवनी और छतरपुर को प्रारंभ करने के लिए औपचारिक अनुमोदन और सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने डॉ. हर्षवर्धन को बताया कि उन्होंने अपने पूर्व कार्यकालों में निरंतर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की पहल की थी। वर्ष 1964 के बाद लंबी अवधि तक नए कॉलेज नहीं खुले थे। सागर में नवीन मेडिकल कॉलेज से यह श्रृंखला शुरू हुई। वर्तमान बजट में भी नौ नए चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भोपाल के गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में भी चर्चा की और अतिरिक्त सुविधाएं देने का आग्रह किया। उन्होंने गैस पीड़ितों के लिए संचालित अस्पताल के व्यवस्थित संचालन में केंद्र के सहयोग का भी आग्रह किया।

श्री चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में समस्त पात्र नागरिकों को आगामी 35 टीकाकरण दिवसों में कोविड की प्रथम डोज लगाये जाने की योजना है। इसके लिए लगभग 81 लाख प्रथम डोज की आवश्यकता होगी। अब तक राज्य को कोविशील्ड की कुल 28 लाख तथा कोवैक्सीन की कुल 3 लाख 84 हजार डोज प्राप्त हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 15 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। आगामी सप्ताह से प्रति सप्ताह 8 से 10 लाख वैक्सीन डोज की आवश्यकता है, जिससे निर्धारित समयावधि में टीकाकरण का कार्य जून के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को आवश्यकतानुसार डोज उपलब्ध करवाई जाएगी।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दम्पतियों को दी गई प्रोत्साहन राशि

भोपाल, मध्यप्रदेश में छुआछूत को दूर करने के लिये अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग दम्पतियों को प्रोत्साहित कर रहा है। राज्य सरकार अब इन्हें प्रोत्साहित करने के लिये दो लाख रुपये का पुरस्कार दे रही है। वर्ष 2020-21 में योजना में 20 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि 1012 दम्पतियों को उपलब्ध कराई गयी है। योजना में ऐसे दम्पतियों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें सवर्ण युवक अथवा युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवक एवं युवती से विवाह किया जाता है।

सामाजिक समरसता के निर्माण के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर सद्भावना शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। सद्भावना शिविर का आयोजन मुख्य रूप से प्रतिवर्ष दो अक्टूबर को किया जाता है। शिविर के माध्यम से जन-सामान्य को छुआछूत की सामाजिक बुराई के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रदेश में उत्पीड़न के शिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को राहत राशि समय पर भुगतान करने के लिये योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। अनुसूचित जातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2021-22 में 111 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालय की स्थापना की है। प्रदेश के 7 जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया है ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।

सार्थक एजुविजन–2021

ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना शिक्षा का मूल उद्देश्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी 'सार्थक एजुविजन-2021' का शुभारंभ करते हुये।

भोपाल, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। भारतीय परम्परा में विश्व के कल्याण और सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव चिरकाल से विद्यमान है। मन के सुख को भारतीय मनीषियों ने सदा से ही सर्वोपरि रखा है। निश्चित रूप से यह ज्ञान से ही संभव है। शिक्षा संचित ज्ञान तो दे रही है पर भावी पीढ़ी नया कुछ सोचे, इसके लिए शिक्षा पद्धति में पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक है। हर व्यक्ति की नई सोच को मौका देना जरूरी है। शिक्षा का कौशल पक्ष व्यक्ति को आजीविका की व्यवस्था में सक्षम बनाता है। व्यक्ति की क्षमताओं का प्रकटीकरण शिक्षा से ही संभव है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारतीय शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित सार्थक एजुविजन 2021 के तीन दिवसीय कॉन्क्लेव एवं नेशनल एक्सपो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये कहीं। शिक्षा नीति में भारतीयता की स्थापना के लिए कुलपति, शिक्षाविद् और अकादमिक जगत के समागम के प्रशासन अकादमी में आयोजित उद्घाटन-सत्र को केंद्रीय सड़क, परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तथा श्री गडकरी ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'सार्थक एजुविजन न्यूज' का लोकार्पण और गुरुकुल प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शालेय और उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास जारी हैं। प्रदेश के बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। शालेय स्तर पर प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में गुणवत्ता शिक्षा के लिए ऐसे स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, जहां प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था उपलब्ध होगी। इस पर 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष कुल 3 हजार स्कूल आरंभ किए जाएंगे। प्रदेश में इस प्रकार के कुल 9 हजार विद्यालय विकसित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही नागरिकता के संस्कार विकसित करती है, जिससे व्यक्ति में देश और समाज के लिए जीने के भाव विकसित होते हैं। कोरोना के कठिन काल में जिस स्वरूप में लोगों ने कठिनाई में फंसी जनता की सेवा की, वह इन भावों का ही प्रकटीकरण था। राज्य सरकार ने भी कोरोना काल में किसानों और गरीबों के खातों में 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपये जारी किए।

सामाजिक–आर्थिक समानता, प्रजातंत्र और नैतिक मूल्य हमारी प्रतिबद्धता

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्यक्ति को स्व-रोज़गार और रोज़गार देने वाला बनाना शिक्षा द्वारा ही संभव है। आगामी 50 वर्ष की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा नीति के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय, संवाद और सहयोग सार्थक प्रगति के लिए आवश्यक है। श्री गडकरी ने कहा कि भौतिक प्रगति और आर्थिक प्रगति तो आवश्यक है पर भारतीयता और अनेकता में एकता हमारी मूल विशेषता है। सामाजिक-आर्थिक समानता, प्रजातंत्र और नैतिक मूल्य हमारी प्रतिबद्धता हैं। मूल्याधिष्ट जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और शिक्षा पद्धति हमारी शक्ति है। पूरी दुनिया इसे स्वीकार करती है। हमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लेना है। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त विश्व की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

बसों में यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य - परिवहन मंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों में से एक बड़ा कारण बसों के समय में पर्याप्त अंतराल नहीं होना भी है। एक-दो मिनट के अंतराल से परमिट जारी होने पर सड़क पर बसों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं, जिससे चालक समय पर पहुंचने के दबाव में गाड़ी तेज गति से चलाते हैं। इससे दुर्घटना की संभावना निरंतर बनी रहती है। इसे रोकने के लिये आवश्यक है कि अधिकारी परमिट जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि बसों के संचालन के बीच आवश्यकतानुसार पर्याप्त अंतराल रखा जाए। ये बातें परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुये कहीं।

यात्रियों के लिये मास्क अनिवार्य

श्री राजपूत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। अब कोई भी यात्री बिना मास्क के यात्रा नहीं कर सकेगा। किसी भी यात्री बस में मास्क के बिना यात्री पाये जाने पर संबंधित वाहन मालिक, चालक और परिचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ

परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत विभागीय समीक्षा करते हुये।

ही मार्ग पर संचालित होने वाली यात्री बसों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य से दो कदम दूर

परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए 2 हजार 640 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 2 हजार 554 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है। शेष राशि आगामी 15 दिवस के अंदर प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अवैध परिवहन को रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। श्री राजपूत ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा के लिए बसों की विशेष चेकिंग का अभियान चलाया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान को निरंतर जारी रखें। इसके साथ ही निर्देशित किया कि चेक पोस्ट पर तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्दी पहने एवं अपने ऑफिशियल मोबाइल हमेशा ऑन रखें।

महिलाओं को कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस

श्री राजपूत ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस दिया जाना का एक महत्वपूर्ण कदम है।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों का संवारा जा रहा भविष्य - वन मंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़मुंशी और प्रबंधकों के बच्चों की शिक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। लघु वनोपज संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजना के जरिए संग्राहकों के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर उनका भविष्य संवारा जा रहा है। यह बात वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कही।

कुंवर विजय शाह ने बताया कि वन विभाग में एकलव्य शिक्षा विकास योजना संचालित इस योजना में तेन्दुपत्ता संग्राहक, फड़ और प्राथमिक मुंशी प्राकृतिक वनोपज समिति प्रबंधकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

935 छात्र–छात्राओं को 9 करोड़ 88 लाख रुपये की सहायता

वन मंत्री कुंवर शाह ने बताया कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना में वित्त वर्ष 2020-21 में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अब तक 935 छात्र-छात्राओं को 9 करोड़ 88 लाख 43 हजार रुपये की सहायता दी गई है। इनमें स्कूल शिक्षा के 739, स्नातक स्तर के 139 और 57 तकनीकी शिक्षा स्नातक के छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

पात्रता के मापदंड

तेन्दूपत्ता संग्राहक, फड़मुंशी और प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक के बच्चों की पिछली परीक्षा में 60 फीसदी अंक प्राप्त करने पर इस योजना से लाभ लेने की पात्रता है। इसके अलावा संग्राहक के लिए यह जरूरी है कि पिछले 5 वर्ष में कम से कम तीन वर्ष की अवधि में न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया हो।

इस महत्वाकांक्षी योजना में छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तकें, छात्रावास व्यय और वर्ष में एक बार घर आने-जाने के लिए यात्रा व्यय की पूर्ति की जाती है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थी को 12 हजार रुपये अधिकतम वार्षिक सहायता, कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी को 15 हजार, गैर-तकनीकी स्नातक विद्यार्थी को 20 हजार और व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थी को अधिकतम 50 हजार रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

भोपालवासी देखें हुनर हाट में आए कारीगरों का हुनर - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी भोपाल में आयोजित 'हुनर हाट' में प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुये।

भोपाल, भोपाल हुनरमंदों की कद्र जानता है। हुनर हाट में आए देश के 31 राज्यों के कारीगरों को भोपाल की जनता से भरपूर सराहना मिलेगी। भोपालवासियों से अपील की कि वे शहर में आए कलाकारों के हुनर को जरूर देखें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित लाल परेड मैदान में हुनर हाट का शुभारंभ करते हुये कहीं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया हुनर हाट का आयोजन

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित क्राफ्ट, कुज़ीन और कल्चर के संगम हुनर हाट में 31 राज्यों के कलाकार और हस्तशिल्पी अपने उत्पाद लेकर आये हैं। हाट में कुल 250 स्टाल लगाए गए हैं, जिनमें 210 विभिन्न उत्पादों के और 40 स्टाल खान-पान के हैं। मध्यप्रदेश के 15 शिल्पी भी हुनर हाट में भाग ले रहे हैं।

हुनर हाट से आत्मनिर्भर बनेंगे कारीगर और दस्तकार

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज़ हैं। कोरोना के कठिन काल में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिया। इससे प्रेरित होते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप विकसित कर प्रदेश में कार्य जारी है। आत्मनिर्भर भारत 'वोकल फॉर लोकल' के बिना संभव नहीं हो सकता। लोकल उत्पाद की पहचान कारीगरों पर ही निर्भर है। हुनर हाट कारीगरों की कला के प्रकटीकरण और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। ऐसे मंचों से ही आत्मनिर्भर कारीगर और आत्मनिर्भर दस्तकार बन सकेंगे। यह हाट देश की एकता, आपसी मेल-जोल और कारीगरों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने का अवसर भी देता है। ऐसे ही प्रयासों से कारीगरों के उत्पादों की पहचान वैश्विक स्तर पर बन सकेगी।

मध्यप्रदेश में प्रतिवर्ष लगे हुनर हाट

श्री चौहान ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी से प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश के किसी एक शहर में हुनर हाट लगाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प की भारत में समृद्ध परंपरा रही है। जब पश्चिम के देश कपड़ा निर्माण में आरंभिक अवस्था में थे, तब हमारे कारीगरों ने ढाका की मलमल बनाकर अपने हुनर को स्थापित कर दिया था। कारीगरों ने कोरोना काल में भी समाज की बहुत मदद की है। मास्क और पीपीई किट की आपूर्ति में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा।

स्वदेशी विरासत को मार्केट उपलब्ध कराने का प्रभावी प्लेटफार्म है हुनर हाट

समारोह में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हुनर हाट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से दस्तकारों, शिल्पकारों की स्वदेशी विरासत को मौका और मार्केट उपलब्ध कराने का प्रभावी प्लेटफार्म है। यह आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास के संकल्प को पूरा करता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हुनर हाट में भाग ले रहे शिल्पकारों के उत्पाद ई-पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भोपाल का हुनर हाट कौशल के कद्रदानों का कुंभ साबित होगा।

चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की सीमा को बढ़ाया जाये

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि एवं किसान-कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी 2020-21 के लिए चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी अच्छी फसल होने से चना, सरसों और मसूर के उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष चने का संभावित उत्पादन 58.06 लाख मीट्रिक टन है और प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रदेश को रबी 2020-21 में चना उपार्जन के लिए अधिकतम सीमा 14.51 लाख मीट्रिक टन की पात्रता है। इसी प्रकार सरसों का संभावित उत्पादन 15.60 लाख मीट्रिक टन है और प्राइस सपोर्ट स्कीम में अधिकतम सीमा नौ लाख मीट्रिक टन की पात्रता है। इसी प्रकार मसूर का उत्पादन इस वर्ष 5 लाख 48 हजार मीट्रिक टन होने की संभावना है।

श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि खरीफ 2020-21 के लिए 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अधिक मांग की गई थी किन्तु केंद्र सरकार ने अभी तक केवल 12.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की है। श्री चौहान ने शेष ढाई लाख मीट्रिक टन यूरिया शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया। इसी प्रकार खरीफ 2020-21 के लिए डीएपी की अतिरिक्त माँग का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी उत्पादन की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। खरीफ 2020-21 के लिए अभी के आकलन के हिसाब 11 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस आपूर्ति के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित कर संबंधितों को निर्देश देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने की योजना में मध्यप्रदेश को शामिल किये जाने की मांग की। वर्तमान में चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन की विशेष योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को नई तकनीक की कृषि मशीनरी 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवायी जा रही है।

मध्यप्रदेश में टेराकोटा शिल्पी हो रहे हैं कला में पारंगत

भोपाल, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सपने को साकार बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना (उन्नत हुनर सशक्त कल) के तहत टेराकोटा के शिल्पकारों को प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षार्थियों द्वारा तैयार विभिन्न सजावटी टेराकोटा एवं मिट्टी की सामग्री को पकाने के लिए भट्टी के प्रज्ज्वलन करने और निर्मित सामग्री को पकाने की विधि सिखाई जा रही है।

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग श्री गौतम सिंह ने बताया कि टेराकोटा शिल्प में 'उन्नत हुनर-सशक्त कल' के मूल सिद्धान्त पर शिल्पी चाक पर सुनहरे भविष्य को गढ़ते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था के साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया जा रहा है। स्व-रोज़गार योजना से जोड़ते हुए स्वयं का रोज़गार स्थापित करने के बाद उनसे मिट्टी की विभिन्न सजावटी वस्तुओं एवं अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे युवक स्वयं आत्मनिर्भर होकर स्वयं का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान कर जीवन-यापन कर सकेंगे।

प्रशिक्षक श्री हेमंत प्रजापति ने प्रशिक्षणार्थियों को मिट्टी की कलात्मक वस्तुओं को पकाने तापमान संतुलन से लेकर समय के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने तापमान एवं वस्तु के पकने की टेस्टिंग के तरीके भी सिखाये।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

सौ करोड़ रुपये तक का मुकदमा भी दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता

भोपाल, उत्पादों एवं सेवाओं के क्रय एवं विक्रय के समय क्रेता एवं विक्रेता दोनों को ही पारदर्शिता रखनी चाहिए। यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री विसाहूलाल सिंह ने विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के महत्व एवं प्रावधानों के विषय पर वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों, उपभोक्ता आयोग के पदाधिकारी, सदस्यों, अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुये कही।

प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि इस एक्ट को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वैच्छिक संगठन जो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग द्वारा वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

जो संस्थाएं इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होने पर सलाह, मार्गदर्शन एवं समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 1800 233 0046 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

कार्यक्रम में उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता श्री हितेश जोशी ने उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2019 में किये गए संशोधनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवीन प्रावधानों के अनुसार अब उपभोक्ता अपनी क्रय सेवाओं से संतुष्ट न होने की स्थिति में जिला उपभोक्ता फोरम में भी विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। फिर वो चाहे 100 रुपये का हो या 100 करोड़ रुपये का। पहले वो मुकदमा वहीं दर्ज करा सकता था, जहां से उसने सेवायें क्रय की होती थीं। इसके साथ ही उपभोक्ता को शिकायत होने पर जिस विक्रेता से वस्तु अथवा सेवायें क्रय करता था, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकता है।

श्री किदवई ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। इसी अनुक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने आशा फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र, द्वितीय पुरस्कार के रूप में जागरूक उपभोक्ता समिति को 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र एवं तृतीय पुरस्कार कटनी के अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन को 25 हजार रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गये।

सड़क, पानी, बिजली और सिंचाई में स्व-वित्त पोषित योजनाएं बनाई जाएं

भोपाल, सड़क पानी, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये स्व-वित्त पोषित योजनाएं बनाई जाएं, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह बात आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अधोसंरचना विकास मंत्री समूह की बैठक में कही। बैठक में मंत्री समूह में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री श्री वृजेन्द्र सिंह यादव सहित संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की मूल अवधारणा में सभी जनोपयोगी जन-सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रति निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अधोसंरचना के क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार इस तरह से किया जाए कि योजनाओं के निर्माण से लेकर परिचालन तक की प्रक्रिया स्व-वित्त पोषित कार्यक्रम की तरह संचालित की जा सके। उन्होंने कहा कि बीओटी के आधार पर सड़कों का

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट मंत्री समूह की बैठक में योजनाओं पर चर्चा करते हुये।

निर्माण महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी क्रम में लोक निर्माण द्वारा राज्य और जिला मार्गों को इसी आधार पर विकसित करने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के 2023 तक सभी ग्रामों को पेयजल की उपलब्ध सुनिश्चित करने क्रम में मध्यप्रदेश में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। बैठक में मंत्री समूह द्वारा नल-जल योजनाओं के निर्माण के बाद उनके परिचालन में स्थाई समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 21 हजार मेगावॉट उत्पादन क्षमता हासिल की जा चुकी है। लेकिन इनके परिचालन लागत को दृष्टिगत रखते हुए नवकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परिषण परियोजना पर काम कर रही है।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि मध्यप्रदेश में समस्त स्रोतों से एक करोड़ 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जा रहा है। आगामी एक वर्ष में 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार नर्मदा घाटी विकास द्वारा भी सिंचित रकबे में वृद्धि के लिए परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इनका क्रियान्वयन आगामी तीन वर्ष में किया जाएगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

उत्कृष्ट कार्य के लिये मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित - उच्च शिक्षा मंत्री

भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सम्मानित कराया जायेगा। इसके लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सम्मान समारोह आयोजित करने की तैयारी करने के निर्देश दिये।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अच्छे शिक्षकों तथा जन-भागीदारी मद में 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि एवं भूमि दान करने वाले व्यक्तियों, गांव की बेटी योजना, एनसीसी, एनएसएस के उत्कृष्ट विद्यार्थियों, नये पाठ्यक्रम खोलने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्यों आदि का सम्मान मुख्यमंत्री से कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को वर्तमान सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल से संबंधित शैक्षिक, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट जैसे उपयोगी प्रेक्टिसेस प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में भी लागू करने के निर्देश दिये।

डॉ. यादव ने कहा कि महाविद्यालयों में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पांसिविलिटी फण्ड का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाये। उन्होंने सीएसआर के तहत कम्पनियों से राशि प्राप्त करने के लिये चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के 52 जिलों की प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाने के लिये वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्ष 2021-22 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में मिली भूमि विक्रय संबंधी शिकायतों की जाँच कलेक्टर के माध्यम से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन पोर्टल प्रारम्भ करने एवं स्मार्ट सिटी योजना के तहत चिन्हित जिलों में स्थापित इन्क्यूवेशन सेंटर से एमओयू करने पर चर्चा की।

सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट लोकार्पित

भोपाल, संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भोपाल स्थित मंत्रालय में सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट www.sanchiuniv.edu.in का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. नीरजा ए. गुप्ता, रजिस्ट्रार एवं संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार सुश्री वंदना जैन, सहायक निदेशक आईटी श्री सौरभ उमालकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। वेबसाइट का लोकार्पण आजादी के 75वें वर्ष में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया।

संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाये जो सम्पूर्ण देश में उदाहरण बन सकें।

कुलपति डॉ. नीरजा ए. गुप्ता ने कहा कि सांची विश्वविद्यालय द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आने वाले 75 सप्ताह तक 'स्व' की भावना जागृत करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। नवीन वेबसाइट में विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों को समाहित किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया सुश्री सारिका घारू को ब्राण्ड एम्बेसेडर

भोपाल, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन-जागरूकता लाने के लिये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया, पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका सुश्री सारिका घारू को राज्य स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर नियुक्त किया है।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि सुश्री घारू जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी (सेन्स) से विचार-विमर्श कर सेन्स की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगी।

अनुगूंज-2021

शिक्षा से बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा का होना चाहिए प्रगटीकरण

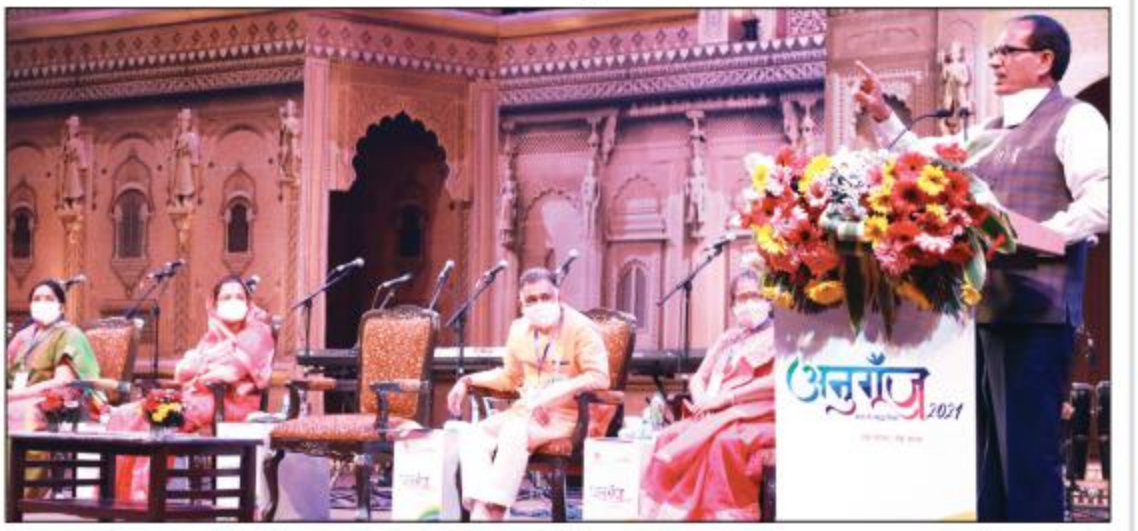

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित अनुगूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

भोपाल, शिक्षा में अध्ययन के साथ विद्यार्थियों की नैसर्गिक प्रतिभा का प्रगटीकरण भी होना चाहिये। नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों की चहुंमुखी क्षमता को विकसित करने के लिए अब प्रत्येक सरकारी शालाओं में प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसमें कला, संस्कृति, परम्पराओं पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अनुगूंज कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुये कहीं। अनुगूंज कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले प्रत्येक छात्र-छात्राओं को 5 हजार रुपये सम्मान निधि दी जाएगी और उन्हें मुख्यमंत्री निवास में पूरी टीम के साथ सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुगूंज बच्चों की छिपी प्रतिभा को उभारने का कार्यक्रम है। हर बच्चे में प्रतिभा होती है। प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उभारने की आवश्यकता रहती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि बच्चे लिखाई-पढ़ाई में अव्वल तो रहे हीं उनकी कला, साहित्य, गायन, संगीत, चित्रकला आदि क्षेत्रों के लिये अन्तर्निहित श्रेष्ठता उभरे। उन्होंने बताया कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर बच्चे में ईश्वर के अंश होते हैं। उनमें अनन्त शक्तियां होती हैं। वे अमृत पुत्र हैं। उनमें बहुत संभावनाएं छुपी रहती हैं। उचित मौका मिले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। श्री चौहान ने महाकवि कालिदास और गोस्वामी तुलसीदास का उदाहरण देते हुये कहा कि दो महाकवियों ने उनके जीवन में घटी घटना से प्रेरित होकर सृजन किया तथा दुनिया को अनूठे तथा दुर्लभ साहित्य दिए। साधारण परिस्थितियों से ऊपर उठकर वैज्ञानिक, साहित्यकार, अधिकारी, नेता, कवि, आदि हर क्षेत्र में शिखर तक पहुंचा जा सकता है। हमारे समाज में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

श्री चौहान ने कहा कि जहां रुचि हो वहां अध्ययन करें। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों की रुचि पहचाने तथा उस क्षेत्र में उन्हें बढ़ाने में सहयोग करें। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि वे शासकीय शालाओं में पढ़कर प्रदेश, देश और दुनिया में नाम रोशन करें। कुछ करके दिखायें। यही मेरी हसरत है। उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चों के बीच होता हूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने आप को दीन-हीन, असहाय कभी भी न समझें। जैसा विचार होता है, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। श्री चौहान ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये हर उपाय करने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे स्वयं मास्क लगायें और परिवारजनों को भी इसके लिये रोकें-टोकें। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकार बच्चों के बीच मंच पर जाकर उनका उत्साहवर्धन किया।

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन के साथ कला और खेलकूद के विकास को शामिल किया जा रहा है। कला, शिक्षा और संस्कृति के आपसी सामंजस्य से विद्यार्थियों को सीखने का अवसर मिलता है और उनमें उत्साह का संचार होता है। एक भारत-श्रेष्ठ भारत की नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों की संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

श्री परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति में अकादमिक कार्य के साथ अन्य गतिविधियों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया अनुगूंज कार्यक्रम में 11 विद्यालयों के 400 विद्यार्थी सम्मिलित हुये और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मध्यप्रदेश में शिक्षा का स्तर उत्कृष्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्रों में एडमिशन की राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र बड़ी संख्या में सफल हुये हैं।

मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लस्टर आधारित उद्योगों को मिलेगी मदद

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा भोपाल स्थित सीएसआरआई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

भोपाल, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लस्टर आधारित उद्योगों और नवउद्यमियों को तकनीक उपलब्ध करवाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। प्रगत पदार्थ तथा प्रकम अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर में केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा की उपस्थिति में तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सम्बन्धी 4 एमओयू पर हस्ताक्षर और हस्तांतरण भी हुआ। इस अवसर पर मंत्रीद्वय ने प्रदर्शनी तथा लैब का अवलोकन किया और एम्प्री के नए भवन का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में मौजूद श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि मध्यप्रदेश क्लस्टर आधारित उद्योगों के मार्फ़त देश को चीन से कम कीमत में अनेक उत्पाद उपलब्ध करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

डॉ. हर्षवर्धन ने मध्यप्रदेश में क्लस्टर आधारित उद्यमों की स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में नवउद्यमियों के लिए विश्वास का नया माहौल बना है। उन्होंने मंत्री श्री सखलेचा के प्रयासों की भी प्रशंसा की और कहा कि श्री सखलेचा के अनुभवों और प्रयासों से मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर बनने के साथ युवाओं को रोज़गार देने में देश मे अव्वल होगा।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री सखलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसी विश्वव्यापी त्रासदी को अवसर में बदलने का तय किया और आत्मनिर्भर भारत की नई सोच की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे पहला कदम नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था से नए युग की शुरुआत हुई है।

श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन का अभिनंदन करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का सामान्य और छोटे-छोटे उद्यमियों तक प्रसार के लिए केंद्र सरकार का सहयोग अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि अभी देश में 20 से 30 हजार करोड़ रुपये का फर्नीचर इंपोर्ट हो रहा है और वह इंपोर्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारा उत्पादन बिखरा हुआ है। इसी बिखराव को दूर करने के लिये हमने विभिन्न क्लस्टर बनाए हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है मध्यप्रदेश

भोपाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश ने योजना में 152 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पर प्राप्त हुए प्रथम स्थान के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है।

केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 15 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक सह क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार की टीम द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश में योजना प्रारंभ से वर्तमान तक 22 लाख 2 हजार 258 आवेदन-पत्रों पर हितग्राहियों को राशि 942 करोड़ रुपये का मातृत्व लाभ वितरण किया गया।

भारत सरकार द्वारा एक जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गयी है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके।

योजना अन्तर्गत समस्त गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को प्रथम जीवित जन्मे बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति उपरान्त प्रति हितग्राही 5 हजार रुपये तीन किस्तों में दिये जाते हैं। प्रथम किस्त 1000 रुपये आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराने पर, द्वितीय किस्त 2000 रुपये कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने एवं गर्भावस्था के 6 माह पूर्ण होने पर और तृतीय किस्त 2000 रुपये बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक या पोस्ट आफिस खाते में प्रदान करने का प्रावधान है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 'उमंग' एप से भी लिंक किया गया है, जिसका उपयोग कर योजना अन्तर्गत हितग्राहियों के आवेदन पत्रों को प्रविष्टि किये जाने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मेरिक गारलैंड

अमेरिका के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे

मेरिक गारलैंड अमेरिका के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। संघीय अपीलीय अदालत के जज रहे गारलैंड को 2016 में सुप्रीम कोर्ट की एक सीट के लिए रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन नहीं मिला था। हालांकि इस बार कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं दीं। सीनेट में उनके नाम की पुष्टि के लिए 30 के मुकाबले 70 वोट पड़े। सीनेट में इसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई।

हॉन्गकॉन्ग में

एशिया का सबसे महंगा किराये वाला घर

हॉन्गकॉन्ग में 10,804 वर्गफीट में फैला एक लग्जरी घर

रिकॉर्ड 1.26 करोड़ रुपये महीने किराए पर लिया गया है। इसमें निजी गैराज, बगीचा और एक लिफ्ट भी है। घर से विक्टोरिया बंदरगाह का नजारा दिखाई देता है। इस घर का किराया एशिया में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इतना बड़ा घर 5 लाख प्रतिमाह किराए पर मिल जाता है। हालांकि किराएदार का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।

कोटा का परकोटा

सत्तर फीट ऊंची दीवार पर 25 हजार मकान बने

राजस्थान के कोटा में 70 फीट ऊंची दीवार पर

तकरीबन 25 हजार मकान बसे हुए हैं। रियासत काल में पुराने कोटा शहर की सुरक्षा के लिए गढ़ पैलेस के बाहर दो परकोटे बनाए गए थे। इसके बाद चंबल किनारे गढ़ पैलेस बनवाया गया था, ताकि बाहरी आक्रमणकारी गढ़ पर हमला न कर सकें। पहला परकोटा चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से कोटा दरबार ने जगह-जगह बुर्ज बनाए थे। दूसरे परकोटे की दीवार पर करीब 25 हजार मकान बने हुए हैं। वहीं परकोटे की दीवार पर बने करीब दो दर्जन से अधिक बुर्जों पर 5 हजार से अधिक मकान बने हुए हैं। अंदर के परकोटे एरिया में बसे पुराने कोटा शहर में करीब 2 लाख आबादी बसी है।

वेनेजुएला

दस लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश बना

वेनेजुएला 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया

का पहला देश बन गया है। देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार ने नये नोटों की घोषणा की है। गौरतलब है कि वेनेजुएला एक समय पर अपने तेल के खजाने से संपन्न देश हुआ करता था। कहा जा रहा है कि सरकार जनता की सुविधा के लिए बड़े नोट छाप रही है ताकि लोगों को सामान खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नोट न ले जाना पड़ें। मौजूदा समय में 10 लाख बोलिवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जिसका मतलब करीब 36 रुपए है।

मोनिका पुरोहित

संयुक्त राष्ट्र के सर्वे में चयनित

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनियाभर में मानवीयता से जुड़े कार्य

करने वाली एक हजार महिलाओं में से शीर्ष तीन महिलाओं में इंदौर की आनंद मूक-बधिर संस्था की संचालक मोनिका पुरोहित को चुना गया है। अब वे संयुक्त राष्ट्र के इनिशिएटिव रिपब्लिक ऑफ वीमेन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड में शामिल होंगी। यह बोर्ड विश्वभर में महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण संबंधी नीतियां बनाने में संयुक्त राष्ट्र को सहयोग करेगा।

पेंग्विन

व्हेल से बचने के लिए नाव पर चढ़ी

अंटार्कटिका में एक पेंग्विन, व्हेल मछली से बचने के

लिए उचक कर पास से निकल रही नाव पर चढ़ गयी। पेंग्विन पर एक शिकारी व्हेल ने हमला कर दिया था। हमले से खुद को बचाने के लिए पेंग्विन पास से गुजर रही पर्यटकों से भरी नाव पर कूद गयी। इसके बाद कुछ दूरी तक पेंग्विन ने नाव पर सफर किया और आश्वस्त होते ही फिर से पानी में कूद गयी।

अनुराग ठाकुर

टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बने

केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल

आर्मी में कैप्टन बन गए हैं। 124 सिख रेजीमेंट में कैप्टन के रूप में उनका प्रमोशन हुआ है। वह पहले ऐसे सेवारत सांसद हैं, जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में यह पद हासिल किया है। जुलाई 2016 में वह लेफ्टिनेंट के तौर पर इससे जुड़े थे।

लूनर रिसर्च स्टेशन

चीन और रूस मिलकर चांद पर बनाएंगे

चीन और रूस अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में एक नया

अध्याय रचने जा रहे हैं। दोनों देशों ने कहा कि मिलकर एक लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएंगे, जो संभवतः चांद की सतह पर होगा। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि इस इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन का उपयोग दूसरे देश भी कर सकेंगे। लेकिन इसके निर्माण की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। यह परियोजना दीर्घकालिक स्वायत्त संचालन क्षमता वाली होगी।

बाली में

समुद्र की पूजा कर मनाया गया मौन दिवस

दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश

इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हिंदुओं का मौन दिवस समुद्र की पूजा कर मनाया जाता है। इस मौके पर हिंदू समुदाय के लोग बुरी आत्माओं से बचने को अखिल ब्रह्मांड की शुद्धि के लिए अनुष्ठान करते हैं। समुद्र में खड़े होकर प्रार्थना की जाती है और पुष्पादि समर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे बुरी आदतों और विचारों से छुटकारा मिलता है।

गुरदीप सिंह

पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन में पहले सिख सदस्य बने

पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन में गुरदीप सिंह पहले सिख सदस्य बन गए हैं। वह सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता हैं। उन्होंने 3 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से चुने

जाने के बाद पिछले सप्ताह पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। उन्होंने अल्पसंख्यक सीट पर हुए मतदान में अपने प्रतिद्वंद्वी को 42 वोटों से हराया। सीनेट के चुनाव में गुरदीप सिंह को 145 में से 103 वोट मिले थे। उनके विरोधी रंजीत सिंह को मात्र 25 वोट मिले थे।

किरीट परमार

झुग्गी में रहते हैं अहमदाबाद के महापौर

गुजरात के अहमदाबाद की आबादी 55 लाख से अधिक

है। यहां महानगरपालिका के महापौर किरीट परमार झुग्गी में निवासरत हैं। महापौर बनने के बाद परमार अपनी सादगी की वजह से चर्चा में हैं। वे बड़े महापौर निवास की बजाय जनता के बीच साधारण तरीके से ही रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि लोगों को राहत देने के लिए स्थान की नहीं ज़ज्बे की जरूरत होती है।

जस्टिस इंदु मल्होत्रा

सुप्रीम कोर्ट से हुईं सेवानिवृत्त

सुप्रीम कोर्ट की जज इंदु मल्होत्रा 65 वर्ष की उम्र में

अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं। विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में अपनी पूरी क्षमता से योगदान दिया है। ज्ञात रहे कि इंदु मल्होत्रा देश की पहली महिला वकील हैं, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो अहम फैसले दिए उनमें केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला भी था।

विक्टोरिया झील

बीस साल पहले विलुप्त जॉम्बी फिर मिली

ऑस्ट्रेलिया में 20 साल से विलुप्त समझी जा रही जॉम्बी

फिश विक्टोरिया झील में फिर मिली है। इस मछली को 1998 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2019 में इसे केरांग में देखा गया था। इस वर्ष जांच के बाद इस प्रजाति की 79 मछलियां देखी गई हैं। अब कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम के तहत इनकी आबादी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रियंका और निक

ऑस्कर के नामांकन का किया ऐलान

वॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा

ने अपने पति निक जोनस के साथ 15 मार्च को 93वें अकादमी पुरस्कारों के नामांकनों का ऐलान किया। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी साझा की। दो हिस्सों में हुए ऑस्कर नॉमिनेशन का सजीव प्रसारण किया गया। 23 अलग-अलग कैटेगरी में हुए नॉमिनेशंस को oscars.org और ऑस्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया था।

वॉरेन बफेट

सौ अरब डॉलर क्लब में हुए शामिल

वॉरेन बफेट 100 अरब डॉलर वाले उस क्लब में शामिल

हो गए, जिसमें अमेजन के जेफ बेजोस, टेस्ला के एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भी मौजूद हैं। 90 साल के बफेट अमेरिकी निवेश कंपनी बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं। अमेरिकी प्रांत नेब्रस्का के ओहामा की कंपनी बर्कशायर के शेयर उछलकर रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचे। बफेट को सम्मान से ओरेकल ऑफ ओहामा भी कहा जाता है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बफेट की संपत्ति की वैल्यू 100 अरब डॉलर को पार कर 100.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी।

तश्नुवा आनन शिशिर

बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर

महिला दिवस और बांग्लादेश की आजादी के 50 साल

पूरे होने के मौके पर पहली बार ट्रांसजेंडर तश्नुवा आनन शिशिर को न्यूज एंकर बनाया गया। यह पहल बोइशखी टेलीविजन ने की है। मॉडल, एक्टर तश्नुवा आनन शिशिर ने बतौर न्यूज प्रेजेंटर इस चैनल पर अपनी पारी शुरू की। तश्नुवा ने 2007 में थिएटर मंडली 'नटुआ' के साथ अभिनय कॅरियर शुरू किया था। इस साल वह आने वाली दो बांग्ला फिल्मों में भी दिखाई देंगी।

गोल्डन स्टार फेरी

अब लग्जरी याट में बदली

गोल्डन स्टार नाम की एक पैसेंजर फेरी 1988

में बंदरगाह पार करवाने के लिए बनाई गई थी। तब वह एक बार में 762 यात्रियों को हॉन्गकॉन्ग का बंदरगाह पार करवाती थी। 2011 में इसे एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया था। हाल ही में इसको आधुनिक बनाकर लग्जरी याट में तब्दील कर दिया गया है। इसमें 6 हजार वर्गफुट का शानदार लग्जरी लिविंग स्पेस, रूफ टॉप स्पॉट सनबाथिंग स्पेस और सोलर पैनल है। इसके न्यूयॉर्क लॉफ्ट-स्टाइल इंटीरियर में सिनेमा और हॉन्गकॉन्ग का सिंगल-लार्जेस्ट सोफा है।

एस्ट्रोनॉट माइक और विक्टर ग्लोवर

अंतरिक्ष में किया स्पेस वॉक

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट माइक

हॉपकिंस और विक्टर ग्लोवर जूनियर ने स्पेस वॉक किया है। नासा ने एक वीडियो भी शेयर किया है। लगभग एक मिनट के वीडियो में माइक अपने साथी विक्टर के साथ जाने के लिए स्पेस स्टेशन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

स्मृति शेष

महान मुक्केबाज हेगलर का निधन

अमेरिका के ख्याति प्राप्त मुक्केबाज मार्विन हेगलर का

66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हेगलर की पत्नी ने सूचना देते हुए बताया कि वे लंबे समय से बीमार थे। उनका निधन न्यू हैंपशायर में हुआ। हेगलर 1973 से 1987 तक बॉक्सिंग का हिस्सा रहे। उनके नाम रिकॉर्ड 62-3 मैच रहे, जिसमें दो मैच ड्रा और 52 मैच नॉकआउट थे।

पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन

जाने-माने चित्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से

सम्मानित लक्ष्मण पाई का गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि डोना पाउला में अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मारगाओ में 21 जनवरी 1926 को जन्में पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें पद्म भूषण, पद्म श्री और ललित कला अकादमी पुरस्कार शामिल हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)

कार्यालय मुख्य अभियंता (राजधानी परिक्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : cepwdcapital@mp.nic.in
दूरभाष/फैक्स क्रमांक : 0755-2551403

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 03/सा/01/विविध/रा.प./2019 (वर्ष 2021) **भोपाल, दिनांक : 09.03.2021**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेवसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. रायसेन शहर में दरगाह शरीफ से रायसेन तिराहा तक फोरलेन मार्ग का चौड़ीकरण कार्य।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
2021_PWDRB_134063_1	रायसेन	प्लान	प्रथम	1483.07	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
			योग	1483.07	

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 27.03.2021 (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता (राज. परि.)
जी-21078/45372/2021 लोक निर्माण विभाग, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बड़वानी (म.प्र.)

ई-मेल : eephedbar@mp.nic.in, फोन एवं फैक्स : 07290-224203
नि.आ.सू.क्र./60/निविदा/का.यं./लोस्वायां/20-21 बड़वानी, दिनांक : 06.03.2021

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य अंतर्गत पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित हैं।

सिस्टम टेण्डर क्रमांक	निविदा की कुल लागत (PAC) रु. लाख में	धरोहर राशि (EMD) रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. में	कार्य पूर्ण करने की समणवधि	ठेकेदार की श्रेणी
2021_PHED_133380_1	450.32	450316/-	15000/-	06 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की **अंतिम तिथि :- 22.03.2021, 15.00 बजे**
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि :- 22.03.2021, 15.00 बजे
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की अंतिम तिथि :- 23.03.2021, 16.00 बजे
निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेवसाइट (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शायी गयी वेवसाइट पर जरूर देखें।

कार्यपालन यंत्री
जी-21087/45373/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बड़वानी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)

नि.आ.सू.क्र. 114 से 118/ब.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/ सिंगरौली/2021, दिनांक : 17.03.2021
पता - विजय बंधु पेट्रोल पम्प के पास, ई-मेल- eephedsin@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यों हेतु निविदा का ऑनलाइन वेवसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 26.03.2021 सायं 17.30 बजे** तथा निविदा खुलने की तिथि 27.03.2021 सायं 17.30 बजे है। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेवसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेवसाइट पर देखी जा सकती है।

Name of Work :- Construction and Execution of Retrofitted Piped Water Supply Scheme under Jal Jeevan Mission at **Block Deosar/Waidhan Distt. Singrauli** based on **over head tank** including of electric submersible Motor Pump, cost of all material & labour with successful testing and Commissioning and there after Successful trial run 90 days.

S. N.	NIT No.	Tender ID	Block	Village	PAC (Rs. in Lakhs)	E-EMD in Rs.	Cost of Tender in Rs.	No. of Cal is
1.	114	2021_PHED_135352_1	Deosar	Lamsarai, jhakharawal, Khadaura, Pokhara, Gajrabahra (OHT125 KL) Harrachandel	294.24	294240/-	15000/-	1st
2.	115	2021_PHED_135385_1	Waidhan	Khutar (R.C.C. Over head tank 350KL)	231.64	231640/-	15000/-	1st
3.	116	2021_PHED_135387_1	Waidhan	Rajmilan (100 KL capacity R.C.C. Over head tank 03No.)	208.78	208780/-	15000/-	1st
4.	117	2021_PHED_135388_1	Waidhan	Pipara, (Jarha 100 KL capacity R.C.C. Over head tank 01No. And 75 KL capacity R.C.C. Over head tank 01No.) Total-2 No.	196.34	196340/-	15000/-	1st

Name of Work :- Construction and Execution of Retrofitting 01 Nos Piped Water Supply Scheme under Jal Jeevan Mission at **Distt. Singrauli** based on Tube Well including of electric submersible Motor Pump, cost of all material & labour with successful testing and Commissioning and there after Successful trial run 90 days.

1.	118	2021_PHED_135356_1	Waidhan	Basoda, Mada	153.97	153970/-	12500/-	1st

कार्यपालन यंत्री
जी-21390/45382/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बड़वानी (म.प्र.)

ई-मेल : eephedbar@mp.nic.in, फोन एवं फैक्स : 07290-224203
नि.आ.सू.क्र./61/निविदा/का.यं./लोस्वायां/20-21 बड़वानी, दिनांक : 08.03.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से बड़वानी जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में 200 मिमी व्यास के साधारण नलकूप खनन हेतु ऑनलाइन निविदा वेवसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 23.03.2021, 15.00 बजे तक** क्रय किये जाकर ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सिस्टम टेण्डर क्रमांक	विकास-खण्ड	अनु. लागत (PAC) रु. लाख में	धरोहर राशि (EMD) रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. में	समयावधि	निविदाकार की श्रेणी
2021_PHED_133756_1	बड़वानी	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133757_1	निवाली	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133758_1	पाटी	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133759_1	पानसेमल	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133760_1	राजपुर	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133761_1	सेंधवा	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133762_1	ठीकरी	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133763_1	बड़वानी	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133764_1	निवाली	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133765_1	पाटी	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133767_1	पानसेमल	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133768_1	राजपुर	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133769_1	सेंधवा	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत
2021_PHED_133770_1	ठीकरी	54.60	54600/-	10000/-	04 माह वर्षाकाल रहित प्रति टेण्डर/समूह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेवसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी वेवसाइट पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-21095/45374/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बड़वानी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, उज्जैन

यंत्रमहल मार्ग, गऊघाट उज्जैन फोन 0734-2551567, मोबा. : 9424877892
ई-मेल : exeujjain@gmail.com

क्र. 1381/लेखा/का.यं./2020-21 उज्जैन, दिनांक : 10.03.2021

निविदा सूचना क्र. 100/2020-21, दिनांक 10.03.2021

जल जीवन मिशन के अंतर्गत उज्जैन जिले के विकासखण्ड घटिया की विभिन्न शालाओं एवं आंगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था हेतु सिंगलफेस मोटर पम्प, एच.डी.पी.ई. टैंक प्रदाय एवं स्थापना कार्य तथा वाटर हट का निर्माण, जी.आई. पाइप लाइन बिछाना, साकेज पिट का निर्माण, मय संबंधित अन्य कार्य एवं कार्य उपरांत 15 दिन का सफलतापूर्वक संधारण/संचालन का कार्य की ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके टेण्डर आई.डी. क्र. 2021_PHED_133836_1 से 2021_PHED_133840_1 है। कार्य की अनुमानित लागत, धरोहर राशि एवं अन्य विवरण की विस्तृत जानकारी **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि 24.03.2021 शाम 5.30 बजे तक** निर्धारित है।

कार्यपालन यंत्री
जी-21067/45370/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, उज्जैन म.प्र.

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, उज्जैन

यंत्रमहल मार्ग, गऊघाट उज्जैन फोन : 0734-2551567, मोबा. : 9424877892
ई-मेल : exeujjain@gmail.com

क्र. 1376/लेखा/का.यं./2020-21 उज्जैन, दिनांक : 10.03.2021

निविदा सूचना क्र. 99/2020-21, दिनांक 10.03.2021

जल जीवन मिशन के अंतर्गत उज्जैन जिले के विकासखण्ड उज्जैन की विभिन्न शालाओं एवं आंगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था हेतु सिंगलफेस मोटर पम्प, एच.डी.पी.ई. टैंक प्रदाय एवं स्थापना कार्य तथा वाटर हट का निर्माण, जी.आई. पाइप लाइन बिछाना, साकेज पिट का निर्माण, मय संबंधित अन्य कार्य एवं कार्य उपरांत 15 दिन का सफलतापूर्वक संधारण/संचालन का कार्य की ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके टेण्डर आई.डी. क्र. 2021_PHED_133812_1 से 2021_PHED_133814_1 एवं 2021_PHED_133816_1 से 2021_PHED_133818_1 है। कार्य की अनुमानित लागत, धरोहर राशि एवं अन्य विवरण की विस्तृत जानकारी **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन निविदा में दर डालने की **अंतिम तिथि 24.03.2021 शाम 5.30 बजे तक** निर्धारित है।

कार्यपालन यंत्री
जी-21075/45371/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, उज्जैन म.प्र.

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई-टेंडरिंग/406/1242
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

ई-मेल : mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in
फोन : 0755-2553402, फैक्स : 0755-2552406

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक-455/2715001/ई.डी.पी. 2020-21/प्र.अ./ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दि. : 16.03.2021

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर **दिनांक 06.04.2021 को 17:30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रु. लाख में
1.	2021_WRD_129749	पुरानी अनुपयोगी अपलेखित मशीन टेरेक्स डम्पर आर 25 नं. 1 का विक्रय।	शहडोल	3.00
2.	2021_WRD_129750	पुरानी अनुपयोगी अपलेखित मशीन टेरेक्स डम्पर आर 25 नं. 2 का विक्रय।	शहडोल	3.00
3.	2021_WRD_130690	श्री गुड़हर एवं चिरोहला जलाशय योजना का सर्वेक्षण कार्य।	कटनी	2.19
4.	2021_WRD_130692	मोहनिया जलाशय एवं बैजानाला जलाशय योजना का सर्वेक्षण कार्य।	कटनी	4.18
5.	2021_WRD_131312	अंगूरी बैराज के 5 नग, स्पीलवे स्टॉप लॉग, 1 नग, स्पीलवे स्टॉप लॉग लिफ्टिंग बीम, 2 नग, हैड रेग्यूलेटर स्टॉप लॉग एवं 1 नग, हेड रेग्यूलेटर स्टॉप लॉग लिफ्टिंग बीम के पेंटिंग का कार्य।	दतिया	10.70
6.	2021_WRD_133241	पुरानी एवं अनुपयोगी के 5 वी क्रमांक 35, 43 उलजैनिक वेल्डिंग प्लांट सेट एवं ब्लेड डी 50 ए 15 का विक्रय।	भोपाल	2.17
7.	2021_WRD_133242	पुरानी एवं अनुपयोगी के 5 वी क्रमांक 16, 6, ब्लेड सी.टी. 85 मशीन एवं ब्लेड के 5 वी मशीन का विक्रय।	भोपाल	2.01
8.	2021_WRD_133243	पुरानी एवं अनुपयोगी के 5 वी क्रमांक 73, 52 एस.डी.एस.एफ. रोलर क्र. 12 एवं एस.डी.एस.एफ. रोलर क्र. 10 का विक्रय।	भोपाल	2.02
9.	2021_WRD_133244	पुरानी एवं अनुपयोगी टी.जी. 50 क्रमांक 39, 29 ब्लेड डी 80 ए 12 एवं एस.डी.एस.एफ. रोलर क्र. 9 का विक्रय।	भोपाल	2.63
10.	2021_WRD_133245	पुरानी एवं अनुपयोगी के 5 वी क्रमांक 62, 8 ब्लेड एच.डी. (एल.एम.) एवं एस.डी.एस.एफ. रोलर क्र. 1 का विक्रय।	भोपाल	2.18
11.	2021_WRD_133249	पुरानी एवं अनुपयोगी के 5 वी क्रमांक 59, 54 एस.डी.एस.एफ. रोलर क्र. 1 एवं 2 का विक्रय।	भोपाल	2.11
12.	2021_WRD_133251	पुरानी एवं अनुपयोगी टी.जी. 50 क्रमांक 2, 12153 एस.डी.एस.एफ. रोलर क्र. 3 एवं 4 का विक्रय।	भोपाल	2.34
13.	2021_WRD_133252	पुरानी एवं अनुपयोगी के 5 वी क्रमांक 4, 10 का विक्रय।	भोपाल	1.71
14.	2021_WRD_133253	पुरानी एवं अनुपयोगी के 5 वी क्रमांक 58, 1 एवं 7 का विक्रय।	भोपाल	2.57
15.	2021_WRD_133939	पुरानी अनुपयोगी अपलेखित मशीन टेरेक्स डम्पर आर 25 नं. 6 का विक्रय।	शहडोल	3.00
16.	2021_WRD_133940	पुरानी अनुपयोगी अपलेखित मशीन सी-229 एफ स्क्रेपर नं.- 10 का विक्रय।	शहडोल	4.50
17.	2021_WRD_133942	पुरानी अनुपयोगी अपलेखित मशीन डोजर डी-120, ए- 18, नं. 01 का विक्रय।	शहडोल	4.15
18.	2021_WRD_133943	पुरानी अनुपयोगी अपलेखित मशीन डोजर डी-120, ए- 18, नं. 02 का विक्रय।	शहडोल	3.00
19.	2021_WRD_133944	पुरानी अनुपयोगी अपलेखित मशीन मोटर ग्रेडर नं. 01 का विक्रय।	शहडोल	2.75
20.	2021_WRD_134380	त्यौथर नहर संभाग, सिरमौर हेतु स्टेशनरी का प्रदाय।	रीवा	5.54
21.	2021_WRD_134561	गांधीसागर बांध के केचमेंट में आने वाले 14 वर्षामापन स्थलों का वार्षिक मरम्मत, गेजपोस्ट पर रिमार्किंग कार्य।	मंदसौर	4.22
22.	2021_WRD_134829	मलवासा तालाब का विशेष मरम्मत कार्य।	रतलाम	18.76
23.	2021_WRD_134854	अम्बापाडा (वाहेरीखोरा) तालाब बांध एवं नहर के डाऊन स्ट्रीम में मिट्टी कार्य, स्पील वे की सफाई, डायवर्शन चैनल का खुदाई तथा स्ट्रेक्चर का मरम्मत कार्य।	रतलाम	19.99
24.	2021_WRD_134855	सांसर तालाब के वेस्टवियर नाला में जमा डिपोजिट मटेरियल को हटाने का कार्य।	रतलाम	5.59

कुल योग 114.31

जी-21361/45380/2021 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

लिंक रोड नंबर 3, माधवराव सप्रे मार्ग, भोपाल - 462003

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/4681 भोपाल दिनांक : 12.03.2021

संशोधित सूचना-पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत पत्र क्रमांक रा.स्वा.मि./मा. संसा./2020/4089, दिनांक 04.03.2021 (जी-20623/20) द्वारा संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेम्स लिमिटेड से ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है।
संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में पब्लिक हेल्थ/हॉस्पिटल प्रबंधक में 3 वर्ष का अनुभव एम.एस. ऑफिस के ज्ञान को विज्ञप्ति में शामिल किया गया है।
अतः उपरोक्त विज्ञपित में शामिल अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में पब्लिक हेल्थ/हॉस्पिटल प्रबंधक में 3 वर्ष का अनुभव एम.ए. ऑफिस के ज्ञान के अनुभव की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
जी-21234/45379/2021 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश**

स्कूल शिक्षा विभाग

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् म.प्र., राज्य शिक्षा केंद्र
पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94 95

क्रमांक/राशिके/NTSE NMMSS/2021/555 भोपाल, दिनाक : 19.03.2021

विज्ञापन

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2020-2021 (NMMSS)

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। म.प्र. राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2020-21 दिनांक 02.05.2021 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रुपये 12000/- के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

1. **पात्रता**- म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 'c' ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
2. **पाठ्यक्रम**- इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा।
3. **परीक्षा शुल्क**- परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
4. **परीक्षा का माध्यम**- परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
5. **आरक्षण**- म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा।
6. **परीक्षा का विवरण**-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	22.03.2021
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	**15.04.2021**
परीक्षा दिनांक व दिन	02.05.2020 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

परीक्षा का समय :- प्रातः 10.45 से 12.30 तक (MAT हेतु)
दोपहर 12.30 से 2.15 तक (SAT हेतु)

परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा./निःशक्त वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात 72 अंक	32% अर्थात 58 अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

नोट- दोनों प्रश्नपत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

- मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे।
- शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।

7. **आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति**
   - 7.1 **इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
   - 7.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट **http//www.mponline.gov.in** पर प्राप्त होगी राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो पर क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेगी, NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
   - 7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्रधान अध्यापक एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।
   - 7.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।
   - 7.5 आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, जैसे-कक्षा सातवीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, एस.सी./एस.टी./निशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर संकुल प्राचार्य को जमा करें।
   - 7.6 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखें एवं दुसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहा संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन पत्र भेजेंगे। डाइट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।
   - 7.7 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
   - 7.8 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।
   - 7.9 प्रवेश पत्र माह अप्रैल 2021 के तीसरे सप्ताह में एमपी ऑनलाइन के लिंक **https//www.mponline.gov.in** पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।
8. **परीक्षा का माध्यम**- परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
9. **परीक्षा शुल्क**- इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
10. **पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन**- इस परीक्षा हेतु पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
11. **यात्रा भत्ता**- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।
12. **महत्वपूर्ण निर्देश**
    - 12.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचें।
    - 12.2 **परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कापी सेल्युलर, मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।**
    - 12.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
    - 12.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं हैं।
    - 12.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
    - 12.6 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री- प्रवेश-पत्र, केवल काला/नीला वॉलप्वाइंट पेन (जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।)
    - 12.7 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एमपीऑनलाइन की वेबसाइट **http/www.mponline.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

(लोकेश कुमार जांगिड)
जी-21446/45392/2021 **अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल**

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

जॉब अलर्ट

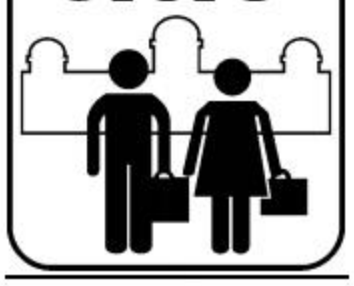

छावनी बोर्ड सुबाथु

पद का नाम - रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी
पदों की संख्या - 01
योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस.
अंतिम तिथि - 26 मार्च 2021
www.sabathu.cantt.gov.in

रसायन एवं पेट्रो रसायन विज्ञान, नई दिल्ली

पद का नाम - परामर्शदाता (तकनीकी)
पदों की संख्या - विशेषज्ञों/सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों का पैनल तैयार करना है।
योग्यता - योग्यतानुसार
अंतिम तिथि - 06 अप्रैल 2021
www.chemicals.nic.in

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता

पद का नाम - मलाजखंड ताम्र परियोजना के तहत सहायक फोरमेन (खनन), माइनिंग मेट
पदों की संख्या - 11, 15
योग्यता - फोरमेन के लिए - मैट्रिक के साथ माइनिंग अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।
अंतिम तिथि - 5 अप्रैल 2021
www.hindustancopper.com

सी.एस.आई.आर. - केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कारैकुडी

पद का नाम - सुरक्षा अधिकारी
पदों की संख्या - 01
योग्यता - योग्यतानुसार
अंतिम तिथि - 5 अप्रैल 2021
http://www.cecri.res.in

सी.एस.आई.आर. - केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

पद का नाम - वाहन चालक (गैर-तकनीकी)
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 15 अप्रैल 2021
https://www.cdri.res.in

सैनिक स्कूल, पुरूलिया

पद का नाम - टीजीटी (अंग्रेजी) नियमित
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 26 मार्च 2021
www.sainikschoolpurulia.com

राष्ट्रीय गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरूवनंतपुरम्

पद का नाम - प्रबंधक (पशु चिकित्सा अधिकारी), सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, तकनीकी सहायक समूह III, तकनीशियन, जूनियर प्रबंधन सहायक
पदों की संख्या - 02, 01, 02, 03, 02
योग्यता - पदानुसार अलग-अलग
अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021
www.rgcb.res.in

एडमिशन अलर्ट

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर

पाठ्यक्रम का नाम - एम्स पीएच.डी. प्रोग्राम्स- जनवरी 2021
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 7 अप्रैल 2021
www.aiimsjodhpur.edu.in

श्रीचित्रा तिरूनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केरल

पाठ्यक्रम का नाम - मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ (एमपीएच), डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ (डीपीएच), पीएच.डी.
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 15 अप्रैल 2021
www.sctimst.ac.in

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल

पाठ्यक्रम का नाम - पीएच.डी. प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड पीएच.डी. प्रोग्राम्स
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 5 अप्रैल 2021
https://www.iiserb.ac.in/doaa/iphd-admission

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, हैदराबाद, पुणे, गोवा, दिल्ली (एनसीआर)

पाठ्यक्रम का नाम - फुलटाइम दो वर्षीय - पीजीपी पीईएम, पीजीपी एसीएम, पीजीपी आरईयूआईएम, पीजीपी आईएफडीएम, पीजीपी - एमएफओसीवी, पीजीपी क्यूएससीएम, पीजीपी एचएसईएम
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 14 अप्रैल 2021
www.nicmar.ac.in

भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया

पाठ्यक्रम का नाम - डॉक्टोरल प्रोग्राम पीएच.डी.- 2021
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021
https://iimbg.ac.in/phd

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

पाठ्यक्रम का नाम - पोस्ट ग्रेजुएट/पीएच.डी. प्रोग्राम्स, एम.टेक, इंटरडिसिप्लिनरी एम.टेक, एम.एस (रिसर्च), एम.डिजाइन, एम.एस.सी. ह्यूमेनिटीज एंड सोशल साइंसेज
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 24 अप्रैल 2021
https://home.iitd.ac.in/pg-admission.php

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

पाठ्यक्रम का नाम - शोध कार्यक्रम - पीएच.डी./एम.टेक (अनुसंधान), एम.टेक/एम.डिजा./एम.प्रवं.), एकीकृत पीएच.डी. कार्यक्रम, वाह्य पंजीकरण कार्यक्रम के अधीन पीएच.डी.
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021
www.iisc.ac.in/admissions

स्कॉलरशिप और इन्टर्नशिप अलर्ट

परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप - 2021-22

संस्था का नाम - एचडीएफसी बैंक, मुंबई
किसके लिए - कक्षा 6 से यूजी, पीजी के अध्ययनरत छात्र जो उत्तम श्रेणी से उत्तीर्ण हों और आर्थिक मदद चाहते हों।
योग्यता - आवश्यकतानुसार पिछली कक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होना चाहिए।
अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021
www.hdfcbank.com

एमआई स्कॉलरशिप - 2020-21

संस्था का नाम - जियोमी इंडिया, नोएडा, उत्तरप्रदेश
किसके लिए - ग्यारहवीं और बारहवीं और यूजी लेवल में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए।
योग्यता - पिछली कक्षा 70 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021
www.buddy4study.com/page/mi-scholarsip

संस्कृत की श्रेष्ठ कृतियां पुरस्कार 2019-20

संस्था का नाम - कालिदास संस्कृत अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल
किसके लिए - संस्कृत की श्रेष्ठ पुस्तकों के लेखकों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।
योग्यता - विषयानुसार
अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021
www.culturemp.in

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्रमांक-1, रीवा
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 22/2020-21 **रीवा, दिनांक : 15.03.2021**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्न कार्यों हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा समस्त संशोधन सहित के आधार पर प्रपत्र-अ में निविदाकारों, जो केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत हों, से आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. एवं कार्य का नाम : 1. सिरमौर मुख्य मार्ग से गर्गन टोला राजगढ़ मार्ग लं. 7.91 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।

टेण्डर क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	1. अमानत राशि 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य	1. निविदा आमंत्रण क्र. 2. कार्यावधि सहित/छोड़कर
PWDRB 134863	67.77	1. 67770/- 2. 10000/-	1. प्रथम 2. छः माह

2. सगरा से मनकहरी मार्ग लं. 4.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।

PWDRB 134864	34.25	1. 50000/- 2. 5000/-	1. प्रथम 2. चार माह

3. परसादा मार्ग भखरवार बहेरा मार्ग सिविल अस्पताल त्योंथर पहुंच मार्ग सोहागी त्योंथर डभौरा मार्ग (एम.पी.आर.डी.सी. से छूटा हुआ मार्ग), चन्दपुर शंकरगढ़ मार्ग (एम.पी.आर.डी.सी. से छूटा हुआ मार्ग) एवं त्योंथर जेल पहुंच मार्ग कुल लम्बाई 7.20 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।

PWDRB 134865	75.31	1. 75310/- 2. 10000/-	1. प्रथम 2. छः माह

4. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत नगर निगम/ग्राम पंचायत चुनाव के व्यवस्था कार्य।

PWDRB 134866	5.00	1. 10000/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

5. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड सिरमौर के अंतर्गत नगर निगम/ग्राम पंचायत चुनाव के व्यवस्था कार्य।

PWDRB 134869	5.00	1. 10000/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

6. उपसंभाग क्र. 3 के अंतर्गत उपखण्ड सेमरिया के अंतर्गत नगर निगम/ग्राम पंचायत चुनाव के व्यवस्था कार्य।

PWDRB 134870	5.00	1. 10000/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

7. सैनिक स्कूल, रीवा के हेलीपैड पहुंच मार्ग हेतु बी.टी. नवीनीकरण का कार्य, उपसंभाग क्र. 1।

PWDRB 134871	19.52	1. 39040/- 2. 2000/-	1. द्वितीय 2. दो माह

8. सर्विस रोड गड्डी एम.डी.आर. से खौर नहर पहुंच मार्ग लं. 1.70 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।

PWDRB 134872	14.54	1. 29080/- 2. 2000/-	1. द्वितीय 2. चार माह

9. विशेष मरम्मत के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के ओ.पी.डी. का मरम्मत कार्य।

PWDRB 134873	4.36	1. 8720/- 2. 2000/-	1. द्वितीय 2. दो माह

10. विशेष मरम्मत के अंतर्गत शासकीय आवास क्र. 25/33 क्वार्टर पुलिस लाईन सेक्सन, रीवा।

PWDRB 134874	3.39	1. 6780/- 2. 2000/-	1. द्वितीय 2. दो माह

11. विशेष मरम्मत के अंतर्गत जी.एम.एच. में नर्स हॉस्टल का मरम्मत कार्य।

PWDRB 134875	4.46	1. 8920/- 2. 2000/-	1. द्वितीय 2. दो माह

12. विशेष मरम्मत के अंतर्गत कन्टेनजेन्सी क्वार्टन नं. 1 पुलिस लाईन, रीवा का मरम्मत कार्य।

PWDRB 134876	3.53	1. 7060/- 2. 2000/-	1. द्वितीय 2. दो माह

13. शासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालय क्र. 2, रीवा का मरम्मत कार्य।

PWDRB 134877	46.30	1. 50000/- 2. 5000/-	1. द्वितीय 2. चार माह

14. विशेष मरम्मत के अंतर्गत एफ-54 सिविल लाईन में मरम्मत कार्य, उपसंभाग क्रमांक-1, रीवा।

PWDRB 134878	4.46	1. 8920/- 2. 2000/-	1. द्वितीय 2. दो माह

15. उपसंभाग मनगवां के रेस्ट हाउस नईगढ़ी एवं बहुती जलप्रपात का मरम्मत कार्य।

PWDRB 134879	19.54	1. 39080/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

16. उपसंभाग त्योंथर के अंतर्गत उपखण्ड त्योंथर, चाकघाट एवं डभौरा के अंतर्गत नगर पंचायत/ग्राम पंचायत चुनाव के व्यवस्था कार्य।

PWDRB 134881	5.00	1. 10000/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

17. उपसंभाग त्योंथर के अंतर्गत उपखण्ड चाकघाट के आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।

PWDRB 134883	8.91	1. 17820/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

18. उपसंभाग त्योंथर के अंतर्गत उपखण्ड चाकघाट के गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य।

PWDRB 134885	8.91	1. 17820/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

19. उपसंभाग मनगवां के अंतर्गत उपखण्ड गोविन्दगढ़ के अंतर्गत नगर परिषद्/ग्राम पंचायत चुनाव के व्यवस्था कार्य।

PWDRB 134886	5.00	1. 10000/- 2. 2000/-	1. प्रथम 2. तीन माह

कुल योग **340.25**

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम दिनांक 31.03.2021 सायं 17.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-21404/45384/2021 **लो.नि.वि., संभाग क्र. 1, रीवा**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मण्डला (म.प्र.)

दूरभाष - 07642-252443, ई-मेल - eephedmal@mp.nic.in, फैक्स - 07642-253622

निविदा क्र. 260 से 263/2020-21/नि.शाखा/लो.स्वा.यां./2021 मण्डला, दिनांक 09.03.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नानुसार कार्य हेतु ऑनलाइन वेबसाइट **http://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत किये जाने की **अंतिम तिथि 24.03.2021 सायं 17.30 बजे** तथा निविदा खुलने का दिनांक 26.03.2021 सायं 12.00 बजे के पश्चात है। निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर प्रदर्शित है। विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट **http://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर देखा जा सकता है।

Name of Work : - Retrofitting of Pipe Water Supply Scheme of FHTC and RCC overhead Tank and Sumpwell and laying and jointing of Pipeline at various Villages of different Blocks of District Mandla Including Cost of All Material and Labour with 90 Days Trial Run/Commissioning period of Successful Entire Scheme.

NIT No.	Tender ID No.	Name of Villages	Name of Block	Probable Amount	EMD	Tender Doc. Fee	Time
260-2020-21	2020_PHED_133859_1	Kapa (5th Call)	Narayanganj	51.04	51040	10000	9 माह वर्षाकाल सहित
261-2020-21	2020_PHED_133867_1	Chiraidongri, Deori, Maili and Fadki Mal (4th Call)	Narayanganj	140.44	140440	12500	9 माह वर्षाकाल सहित
262-2020-21	2020_PHED_133875_1	Katangseoni, Mehraseoni, Bhikampur Kohka, Gadbisora, Kohari (6th Call)	Niwas	127.60	127600	12500	9 माह वर्षाकाल सहित
263-2020-21	2020_PHED_133884_1	Majhgaon, Medhi, Saraswahi, Aamadadar, Padarpani and Mohgaon (6th Call)	Niwas	140.06	140060	12500	9 माह वर्षाकाल सहित

नोट :- निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर कैश कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग एकाउण्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान पर क्रय किया जा सकता है।

Member Secretary
District Water and Sanitation Mission
Executive Engineer PHE Division
Mandla District Mandla

G-21114/45378/2021

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शहडोल, पाण्डवनगर शहडोल (म.प्र.)

Website : www.mpphe.gov.in, Email : eephedshd@mp.nic.in
Phone No. 07652-240307, Fax No. : 07652-240307

पत्र क्रमांक 924/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./2020-21 शहडोल, दिनांक 09.03.2021

निविदा विज्ञप्ति सूचना

निम्नलिखित कार्यों की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से **Website : http://mptenders.gov.in** निविदा प्रारूप एपेन्डिक्स 2.1 पर आमंत्रित की जाती है। जिसमें ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय की **अंतिम तिथि 23.03.2021 सायं 5.30 बजे तक** नियत है। निविदाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा क्र.	ऑनलाइन निविदा क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र की राशि (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा आमंत्रण संख्या
181	133787	शहडोल जिले के विकासखण्ड सोहागपुर के 04 ग्रामों में नलजल योजना के रेट्रोफिटिंग का कार्य।	235.55	235552/-	15000/-	09 माह	प्रथम
182	133788	शहडोल जिले के विकासखण्ड गोहपारू के 05 ग्रामों में नलजल योजना के रेट्रोफिटिंग का कार्य।	301.25	301254/-	15000/-	06 माह	प्रथम
183	133789	शहडोल जिले के विकासखण्ड बुढ़ार के ग्राम जामगांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नलजल योजना का कार्य।	145.80	145800/-	12500/-	09 माह	प्रथम
184	133790	शहडोल जिले के विकासखण्ड ब्यौहारी के 04 ग्रामों में नलजल योजना के रेट्रोफिटिंग का कार्य।	482.84	482839/-	15000/-	09 माह	प्रथम
185	133791	शहडोल जिले के विकासखण्ड ब्यौहारी के 03 ग्रामों में नलजल योजना के रेट्रोफिटिंग का कार्य।	400.10	400102/-	15000/-	09 माह	प्रथम
186	133792	शहडोल जिले के विकासखण्ड जयसिंहनगर के 05 ग्रामों में नलजल योजना के रेट्रोफिटिंग का कार्य।	400.38	400384/-	15000/-	09 माह	प्रथम
187	133793	शहडोल जिले के विकासखण्ड जयसिंहनगर के ग्राम मुदरिया टोला में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नलजल योजना का कार्य।	107.14	107143/-	12500/-	09 माह	प्रथम

1. यह संक्षिप्त निविदा है विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी **Website : http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।
2. सभी शर्तें विस्तृत निविदा की लागू होंगी।

कार्यपालन यंत्री
जी-21110/45377/2021 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड शहडोल (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बड़वानी (म.प्र.)

E-mail : eephedbar@mp.nic.in, Tel & Fax : 07290-224203

नि.आ.सू.क्र./62/निविदा/का.यं./लोस्वायां/20-21 बड़वानी, दिनांक 08.03.2021

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **https://www.mptenders.gov.in** पर बड़वानी जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत शासकीय स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों तथा अन्य शासकीय संस्थाओं में पेजवल व्यवस्था से संबंधित कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित हैं।

सिस्टम टेण्डर क्रमांक	निविदा की कुल लागत (PAC) रु. लाख में	धरोहर राशि (EMD) रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. में	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
2021_PHED_133771_1	75.165	75165/-	10000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन
2021_PHED_133786_1	107.7	107700/-	12500/-	02 माह वर्षाकाल सहित	केन्द्रीयकृत
2021_PHED_133794_1	91.586	91586/-	10000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	पंजीयन
2021_PHED_133796_1	83.107	83107/-	10000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	प्रणाली में
2021_PHED_133801_1	63.855	63855/-	10000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	पंजीकृत

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि :- **22.03.2021 15.00 बजे**
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि :- 22.03.2021 15.00 बजे
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की अंतिम तिथि :- 24.03.2021 16.00 बजे

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शायी गयी वेबसाइट पर जरूर देखें।

कार्यपालन यंत्री
जी-21101/45376/2021 **लो.स्वा.यां. खण्ड बड़वानी**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मन्दसौर

दूरभाष क्रमांक - 07422-256284, फैक्स - 07422-255215
महू नीमच रोड शासकीय महाविद्यालय के पास मन्दसौर, E-mail : eephedmas@mp.nic.in

NIT No. 42/2020-21

क्रमांक 853/व.ले.लि./का.यं./2021 मन्दसौर, दिनांक 08.03.2021

निम्नलिखित कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर प्रदर्शित की गई है। टेंडर का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

टेंडर आई.डी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	1. अर्नेस्ट मनी (रुपये में) 2. आमंत्रण क्र.	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	निविदा क्रय की अंतिम तिथि
2021_PHED_133654_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **MANDAUR** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133669_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **MANDAUR** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133674_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **MANDAUR** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133685_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **SITAMAU** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133693_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **SITAMAU** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133716_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **SITAMAU** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133727_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **MALHARGARH** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133737_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **MALHARGARH** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133741_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **GAROTH** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक
2021_PHED_133745_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 30 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN **BHANPURA** BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	45.86	1) 50000/- 2) प्रथम आमंत्रण	120 दिवस	23.03.2021 17.30 तक

उक्त कार्य की निविदा क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग एकाउन्ट के माध्यम से भुगतान करने पर ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर क्रय की जा सकती है। निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

नोट :- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-21098/45375/2021 **लोक स्वा.यां. खंड मन्दसौर, मोबाइल नं. 9981467992**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड शाजापुर
ओल्ड कलेक्टर रोड कमला भवन, जिला शाजापुर

दूरभाष कार्या. : (07364) 228862, मो.नं. 9165607999, ईमेल : eephedshJ@mp.nic.in

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 80 to 93/2020-21/लेखा/का.यं./लोस्वायां./2021 शाजापुर, दिनांक : 15.03.2021

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा टेण्डर अपेंडिक्स 2.10 पर आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर देखा जा सकता है।

ऑनलाइन निविदा क्रमांक	निविदा विज्ञप्ति क्रमांक	अनुमानित लागत रु. लाख में	अमानत राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य
शाजापुर जिले के विकासखण्ड शुजालपुर एवं कालापीपल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूल एवं आंगनबाड़ी में पेयजल व्यवस्था कार्य।				
134775	80	88.79	88790/-	10000/-
134776	81	92.21	92210/-	10000/-
134777	82	92.79	92790/-	10000/-
134778	83	96.71	96710/-	10000/-
134779	84	90.21	90210/-	10000/-
134780	85	80.37	80370/-	10000/-
134781	86	88.22	88220/-	10000/-
134782	87	99.38	99380/-	10000/-
134783	88	98.80	98800/-	10000/-
134784	89	98.39	98390/-	10000/-
134785	90	83.84	83840/-	10000/-
134786	91	83.84	83840/-	10000/-
134787	92	99.66	99660/-	10000/-
134788	93	78.38	78380/-	10000/-
		1271.59 (शब्दों में रु. बारह करोड़ इकहत्तर लाख उनसठ हजार)	1271590/- (शब्दों में रु. बारह लाख इकहत्तर हजार पांच सौ नब्बे)	140000/- (शब्दों में रु. एक लाख चालीस हजार)

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) क्रय किये जा सकते हैं। ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 31.03.2021 सायं 5.30 बजे** तक निर्धारित है। विस्तृत विवरण निविदा सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यदि निविदा में आगे कोई संशोधन किया जाता है तो वह विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-21386/45381/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड शाजापुर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां. विभाग खण्ड मुरैना (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक 07532-233393

क्रमांक 1288 दिनांक 16.03.2021

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग के नवीन केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के एपेंडिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर ई-ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

कार्य का नाम :- मुरैना जिले के विकासखण्ड अम्बाह/कैलारस/सबलगढ़ के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य।

क्र.	निविदा क्रमांक	ई-निविदा सिस्टम क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	185/ 2020-21	2021_ PHED_ 135013_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड मुरैना (1) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (318 नग)	425.50	425500/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
2.	186/ 2020-21	2021_ PHED_ 135025_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड मुरैना (2) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (317 नग)	424.16	424160/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
3.	187/ 2020-21	2021_ PHED_ 135029_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड जौरा (1) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (266 नग)	355.92	355920/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
4.	188/ 2020-21	2021_ PHED_ 135037_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड जौरा (2) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (266 नग)	355.92	355920/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
5.	189/ 2020-21	2021_ PHED_ 135044_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड कैलारस (1) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (213 नग)	285.00	285000/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
6.	190/ 2020-21	2021_ PHED_ 135056_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड कैलारस (2) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (213 नग)	285.00	285000/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
7.	191/ 2020-21	2021_ PHED_ 135065_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड सबलगढ़ (1) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (252 नग)	337.19	337190/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
8.	192/ 2020-21	2021_ PHED_ 135070_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड सबलगढ़ (2) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (252 नग)	338.52	338520/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
9.	193/ 2020-21	2021_ PHED_ 135141_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड पहाडगढ़ (1) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (249 नग)	333.17	333170/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
10.	194/ 2020-21	2021_ PHED_ 135165_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड पहाडगढ़ (2) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (249 नग)	333.17	333170/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
11.	195/ 2020-21	2021_ PHED_ 135180_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड अम्बाह (1) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (193 नग)	258.24	258240/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
12.	196/ 2020-21	2021_ PHED_ 135195_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड अम्बाह (2) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (193 नग)	258.24	258240/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
13.	197/ 2020-21	2021_ PHED_ 135210_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड पोरसा (1) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (211 नग)	282.33	282330/-	15000/- + पोर्टल चार्ज
14.	198/ 2020-21	2021_ PHED_ 135212_1	मुरैना जिले के विकासखण्ड पोरसा (2) के विभिन्न ग्रामों के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कार्य। (210 नग)	280.99	280990/-	15000/- + पोर्टल चार्ज

ई-निविदाएं ऑनलाइन डाउनलोड/सेल स्टार्ट तिथि - 15.03.2021
ई-निविदाएं ऑनलाइन डाउनलोड/सेल एण्ड तिथि - **31.03.2021**
ई-निविदाएं ऑनलाइन बिड सब्मिसन स्टार्ट तिथि - 15.03.2021
ई-निविदाएं ऑनलाइन बिड सब्मिसन एण्ड तिथि - **31.03.2021**

कार्यपालन यंत्री
जी-21393/45383/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुरैना (म.प्र.)

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An agency of Panchayat & Rural Development Dept., Govt. of M.P.)
Block-IInd, 5th Floor, Paryavas Bhavan
Arera Hills, Bhopal (M.P.)-462011

No./4768/22/D-12/DPR-Cons./WB/MPRRDA/21 Bhopal, Date : 17.03.2021

NOTICE INVITING BIDs FOR DPR PREPARATION
(E-Procurement Notice)

Online Bids are invited from the reputed Consultants for preparation of DPR, undertake construction of Rural Roads under World Bank financed MP Rural Connectivity Project as per details given below :

- **Name of PIUs –Agar, Dewas-1, Dewas-2, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Ujjain-1, Shajapur.**
  No. of PIU-8
  Total Length-144.07 km.

1. Last date of Submission of bid is **27.03.2021 upto 17:30 hrs.**
2. Other details may be seen in the RFP document for (preparation of detailed project report for construction/up-gradation of roads/CDs World Bank financed MPRCP–Nov. 2016. updated upto July 2020) on our website **https://www.mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/100348/45391/2021 (T&E-G)

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-1 भदभदा रोड, भोपाल

क्र./194/तशा/प.यं./2021 दिनांक : 15.03.2021

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा भोपाल जिले में विभिन्न मरम्मत कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा क्रमांक 2021_MPPHC_135045_1, 2021_MPPHC_135046_1 एवं 2021_MPPHC_135047_1 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक **25.03.2021 समय 17.00 बजे तक** खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/100316/45390/2021 **परियोजना यंत्री**

M.P. STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD

Office of The Executive Engineer, Technical Division, Sagar
No./Board/Nirman/20-21/962 Sagar, Dated : 15.03.2021

(SECOND CALL)
NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for **System Tender Number 134906, Construction of Krashak Sangoshthi Bhawan in Sub Mandi Yard, Bilehara and Mandi Yard, Jaisinagar Distt. Sagar** Hard copies of technical bid documents with EMD & Financial offer as per Detailed NIT to be received online 30.03.2021 upto 17:30 Hrs. and physically upto17:30 Hrs. on dated 03.04.2021 through Speed post/Registered post by Indian Postal Department only at the Office of the Executive Engineer, M.P. State Agricultural Marketing Board, Technical Division, Padmakar Nagar, Makronia, Distt. Sagar (M.P.). Bidders are required to offer their bids exclusive of applicable GST. The GST shall be paid by the department, to contractor separately. The tender documents can be obtained online on the **http://mpetenders.gov.in** as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website **www.mpmandiboard.gov.in**

Note : Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only in our above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/Development works and locations & key dates can also be seen on our website : **www.mpmandiboard.gov.in**

M.P. Madhyam/100308/45389/2021**EXECUTIVE ENGINEER**

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

विश्व जल दिवस - 22 मार्च

हर स्तर पर जल के मूल्य को समझने की है जरूरत

जल और जलवायु में अटूट संबंध है। इससे टिकाऊ विकास तथा जलवायु परिवर्तन में व्यापक प्रभाव पड़ता है। यूनेस्को ने यूएन वॉटर के सहयोग से 'World Water Development Report 2020' नामक एक रिपोर्ट पिछले वर्ष तैयार की थी, जिसमें इस बारे में आगाह किया गया था कि विश्व को अगले कई दशकों तक जल असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे दो बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने पीने के लिये जल और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था को दस वर्ष पहले मानवाधिकारों के रूप में पहचान दी थी, लेकिन आज भी अरबों लोगों को ये बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। जल ऐसा शब्द है जो कभी-कभार ही अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में दिखाई देता है, लेकिन वह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे अहम विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल ऐसा प्राथमिक जरिया है, जिससे हम जलवायु व्यवधानों को महसूस करते हैं जैसे सूखा और बाढ़ से लेकर ग्लेशियरों का पिघलना, पानी में खारापन और समुद्री जलस्तर का बढ़ना आदि। इससे स्वास्थ्य और उत्पादकता पर भी दुष्प्रभाव होता है तथा अस्थिरता व अशांति का खतरा बढ़ जाता है। वैश्विक जल उपयोग पिछले 100 वर्षों में 6 गुना बढ़ गया है। विश्वभर में साफ और पीने योग्य जल की अनुपलब्धता के कारण ही जल जनित रोग महामारी का रूप ले रहे हैं। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसके फलस्वरूप आज जल संकट सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने 'विश्व जल दिवस' मनाने की शुरुआत की थी।

रियो से हुई विश्व जल दिवस की शुरुआत

1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की पहल की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर वर्ष लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 64/292 प्रस्ताव 28 जुलाई 2010 को पारित किया था, जिसमें 193 देशों ने सर्वजन तक पीने के लिये सुरक्षित जल और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। साथ ही टिकाऊ विकास के 2030 एजेण्डा में जल और स्वच्छता के मानवाधिकारों के प्रति अपना संकल्प मजबूत किया गया है।

जल मानव का अधिकार है। किसी को भी उस तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह विश्व जल दिवस सबके लिए इस अधिकार का सम्मान करने का अवसर है, जिसमें कोई पीछे छूटने न पाए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज भी अरबों लोग सुरक्षित जल के अभाव में जीते हैं। बढ़ती मांग और खराब प्रबंधन के कारण दुनिया के अनेक हिस्सों में जल दबाव बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन इस दबाव में नाटकीय वृद्धि कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक दुनियाभर में 70 करोड़ लोग जल के घनघोर अभाव के कारण विस्थापित हो जाएंगे। ऐसे में हमें वैश्विक जल संकट से निपटने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने की अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि सबके लिए जल सुलभ हो सके। हमें जल संसाधनों की कीमत समझनी चाहिए और उनका समावेशी प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए, तभी हम सभी लोगों के लाभ के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग कर सकेंगे।

विश्व जल दिवस की थीम

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष विश्व जल दिवस की थीम घोषित की जाती है, इस वर्ष की थीम वैल्यूइंग वाटर (Valuing Water) तय की गई है। इसमें हम अलग-अलग क्षेत्र में पानी के मूल्य को चिन्हांकित कर सकते हैं जैसे खेती, घर, स्वास्थ्य, भोजन, कल्चर, एजुकेशन और इकोनॉमिक में पानी का महत्व व मूल्य क्या है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का आयोजन ऑनलाइन होगा। वैश्विक जल संरक्षण के वास्तविक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिये विश्व जल दिवस दुनियाभर के देशों द्वारा मनाया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और क्रियाकलापों के आयोजनों के द्वारा मनाया जाता है, जैसे-फोटो प्रदर्शनी, जल संरक्षण से संबंधित मंचीय और संगीतात्मक उत्सव, स्थानीय तालाब, झील, नदी और जलाशय की सैर, जल प्रबंधन और सुरक्षा के ऊपर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीवी और रेडियो चैनल या इंटरनेट के माध्यम से संदेश फैलाना, स्वच्छ जल और संरक्षण उपाय के महत्व पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम, प्रतियोगिता तथा ढेर सारी गतिविधियां आदि। इस अभियान को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक इकाई के द्वारा विशेष तौर से बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें लोगों को जल से संबंधित मुद्दों के बारे में सुनने व समझाने के लिये प्रोत्साहित करने के साथ ही विश्व जल दिवस के लिये अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का समायोजन भी शामिल है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही विश्व जल दिवस पर वैश्विक संदेश फैलाने के लिये थीम (विषय) का चुनाव करने के साथ ही विश्व जल दिवस को मनाने की सारी जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी की है। वर्ष 2020 की थीम जल और जलवायु परिवर्तन (वाटर एंड क्लाइमेट चेंज) निर्धारित की गई थी। वर्ष 2019 के लिए विश्व जल दिवस की थीम 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' घोषित की गई थी, वर्ष 2018 के लिए विश्व जल दिवस की थीम 'जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान', वर्ष 2017 के विश्व जल दिवस उत्सव की थीम 'अपशिष्ट जल', वर्ष 2016 के विश्व जल दिवस की थीम 'जल और नौकरियां', वर्ष 2015 के विश्व जल दिवस की थीम 'जल और दीर्घकालिक विकास', वर्ष 2014 के विश्व जल दिवस की थीम 'जल और ऊर्जा', वर्ष 2013 के विश्व जल दिवस की थीम 'जल सहयोग' और वर्ष 2012 के विश्व जल दिवस उत्सव की थीम 'जल और खाद्य सुरक्षा' तय की गई थी।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- पृथ्वी के लगभग 71 प्रतिशत भू-भाग पर फैले जल का केवल 3 प्रतिशत भाग पीने के लायक है। इस 3 प्रतिशत ताज़े पेयजल का दो-तिहाई से भी अधिक भाग ग्लेशियरों में है। इसके बाद मात्र 1 प्रतिशत पानी विश्व की लगभग आठ अरब आबादी के दैनिक उपयोग के लिये शेष बचता है। अब यदि 71 प्रतिशत जल से घिरे भू-भाग में केवल 1 प्रतिशत पानी मानव की पहुंच में हो और प्रयोग के लिये उपलब्ध हो तो दुनिया में जल संकट की गंभीरता का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है।
- हमारे देश में कृषि क्षेत्र में समस्त उपलब्ध जल का 70 प्रतिशत उपयोग होता है, लेकिन इसका केवल 10 प्रतिशत ही सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है और शेष 60 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है।
- साल 2018 में नीति आयोग ने बताया कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं।
- कन्वेंशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन (1979) अनुच्छेद 14 2(h) में महिलाओं के लिए पानी और स्वच्छता के प्रावधान के बारे में उल्लेख है।
- कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड (1989, अनुच्छेद 24 2(c)) गैर प्रदूषित स्रोत से बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का जिक्र है।
- एजेंडा 21, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरन्मेंट एंड डेवलपमेंट (1992) में गरीबी उन्मूलन के लिए सुरक्षित पेयजल और पर्यावरण स्वच्छता की आवश्यकता बताई गई है।
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (काहिरा 1994) में मानव की क्षमता और सतत विकास के लिए पानी और स्वच्छता के अधिकार का जिक्र किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र की सामान्य टिप्पणी 15 (2002), पानी का अधिकार (अनुच्छेद 11 और 12 के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र) के मुताबिक पानी का मानवाधिकार 'हर किसी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, सुलभ और सस्ता पानी निजी और घरेलू उपयोगों के लिए उपलब्ध हो।'
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण मुक्त पानी उपलब्ध कराने का उल्लेख है।

- रश्मि रंजन

(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान-खेल

1. एशियन क्रिकेट परिषद् के पहले अध्यक्ष हैं?
(अ) जगमोहन डालमिया
(ब) मुजीबर्र रहमान
(स) एन के पी साल्वे
(द) जाहिद अली खान

2. वर्ष 1994 में किस देश ने फीफा वर्ल्डकप जीता था?
(अ) जर्मनी (ब) ब्राजील
(स) अर्जेंटीना (द) फ्रांस

3. पहली बार मस्कट (शुभंकर) का उपयोग किस एशियाड में किया गया था?
(अ) नई दिल्ली 1982
(ब) सियोल 1986
(स) बीजिंग 1990
(द) इनमें से कोई नहीं

4. वर्ष 2020 में इनमें से कौन-सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ था?
(अ) अमेरिकी ओपन
(ब) ऑस्ट्रेलियन ओपन
(स) फ्रैंच ओपन
(द) विम्बलडन

5. हाल ही में किस बल्लेबाज ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाए हैं?
(अ) काइरॉन पोलार्ड
(ब) डेविड वॉर्नर
(स) इयॉन मॉर्गन
(द) रोहित शर्मा

6. वर्ष 2014 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई थी?
(अ) म्युनिख (जर्मनी)
(ब) जाग्रेब (क्रोएशिया)
(स) ग्रेनेडा (स्पेन)
(द) मॉस्को (रूस)

7. पूर्व फॉर्मूला-वन चैंपियन माइकल शूमाकर किस देश से संबंधित हैं?
(अ) मैक्सिको
(ब) जर्मनी
(स) चेक रिपब्लिक
(द) स्विट्जरलैंड

8. हॉकी को कॉमनवेल्थ गेम्स में किस वर्ष शामिल किया गया था?
(अ) वर्ष 1998 (ब) वर्ष 2002
(स) वर्ष 2008 (द) वर्ष 2018

9. विराट कोहली ने वन-डे क्रिकेट में पहला शतक किस देश के खिलाफ लगाया था?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) पाकिस्तान
(स) श्रीलंका
(द) दक्षिण अफ्रीका

10. इनमें से किस निशानेबाज ने ओलिंपिक खेलों में पदक नहीं जीता है?
(अ) गगन नारंग
(ब) अभिनव बिंद्रा
(स) विजय कुमार
(द) जीतू राय

11. भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं?
(अ) सुनील छेत्री
(ब) गुरप्रीत सिंह संधू
(स) संदेश झिंगन
(द) इनमें से कोई नहीं

12. भारत ने किस देश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी-2013 का खिताब जीता था?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) इंग्लैंड
(स) पाकिस्तान (द) न्यूजीलैंड

13. वर्ष 2019 में रोलर हॉकी वर्ल्डकप किस देश ने जीता था?
(अ) बेल्जियम (ब) स्पेन
(स) स्विट्जरलैंड (द) पुर्तगाल

14. रियो ओलिंपिक-2016 में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन बने थे?
(अ) चेन लोंग
(ब) ली चोंग वेई
(स) चाउ टिएन चेन
(द) विक्टर एक्सेलसन

15. टी-20 क्रिकेट वर्ल्डकप का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था?
(अ) दक्षिण अफ्रीका
(ब) वेस्ट इंडीज
(स) इंग्लैंड
(द) बांग्लादेश

16. नीदरलैंड ने किस वर्ष यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था?
(अ) वर्ष 1976 (ब) वर्ष 1988
(स) वर्ष 1992 (द) वर्ष 2004

17. बेटन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है?
(अ) फुटबॉल (ब) मुक्केबाजी
(स) हॉकी (द) निशानेबाजी

18. वर्ष 2012 में विंटर यूथ ओलिंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी?
(अ) यूक्रेन (ब) ऑस्ट्रिया
(स) स्विट्जरलैंड (द) नॉर्वे

19. इंग्लैंड के रॉनी ओसुलिवान किस खेल के खिलाड़ी हैं?
(अ) स्नूकर (ब) गोल्फ
(स) बैडमिंटन (द) एथेलेटिक्स

20. वर्ष 2020 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी?
(अ) दक्षिण कोरिया
(ब) इंग्लैंड
(स) कनाडा
(द) अमेरिका

21. एफआईएच हॉकी वर्ल्डकप-2018 में किस खिलाड़ी को बेस्ट प्लेयर चुना गया था?
(अ) आकाशदीप सिंह
(ब) ब्लैक गोवर्स
(स) ऑर्थर वान डोरेन
(द) इनमें से कोई नहीं

22. वर्ष 2013 में इंडियन ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस किसने जीती है?
(अ) सबेस्टियन वेटल
(ब) किमि राइकोनेन
(स) एस्टाबेन ओकेन
(द) निको रोसबर्ग

23. मार्टिना हिंगिस ने कितने बार फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब जीता है?
(अ) तीन (ब) चार
(स) सात (द) एक भी बार नहीं

24. विकास कृष्णन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) मुक्केबाजी
(ब) कुश्ती
(स) बिलियर्ड्स
(द) इनमें से कोई नहीं

25. वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं?
(अ) विवियन रिचर्ड
(ब) ब्रायन लारा
(स) शिवनारायण चंद्रपाल
(द) कार्ल हूपर

उत्तर

1. (स), 2. (ब), 3. (अ), 4. (द), 5. (अ), 6. (स), 7. (ब), 8. (अ), 9. (स),10. (द), 11. (अ), 12. (ब), 13. (द), 14. (अ), 15. (अ), 16. (ब), 17. (स), 18. (ब), 19. (अ), 20. (ब), 21. (स), 22. (अ), 23. (द), 24. (अ), 25. (ब)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

पी.पी.टी. चयन परीक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

भौतिकी

1. बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है :
(A) 75% (B) 40%
(C) 60% (D) 90%
उत्तर (A) 75% है।

2. सूर्य से विकरित ऊर्जा होती है :
(A) 6.2×10^{23} किलोजूल/सेकण्ड
(B) 4.5×10^{7} किलोजूल/सेकण्ड
(C) 4.5×10^{23} किलोजूल/सेकण्ड
(D) 3.0×10^{21} किलोजूल/सेकण्ड
उत्तर (C) 4.5×10^{23} किलोजूल/सेकण्ड है।

3. अभिक्रिया $^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + n + Q$ में Q का मान होता है :
(A) 5.2 MeV
(B) 200 MeV
(C) 100 MeV
(D) 3.27 MeV
उत्तर (D) 3.27 MeV है।

4. एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 1.6 क्यूरी है तथा इसकी अर्धआयु 2.5 दिन है। 10 दिन बाद की सक्रियता होगी :
(A) 0.1 क्यूरी (B) 0.4 क्यूरी
(C) 0.2 क्यूरी (D) 0.6 क्यूरी
उत्तर (A) 0.1 क्यूरी है।
व्याख्या - प्रत्येक अर्धआयु के समय के बाद सक्रियता आधी रह जाती है।

5. 20 amu का मान होता है :
(A) 931 MeV
(B) 931 eV
(C) 9310 MeV
(D) 18620 MeV
उत्तर (D) 18620 MeV है।
व्याख्या - चूंकि 1 amu = 931 MeV होता है।

6. एक लम्बी धारावाही परिनालिका में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें प्रति मीटर n फेरे हैं। यदि परिनालिका के सिरों पर चुम्बकीय क्षेत्र B हो, तो इनमें संबंध होता है :
(A) $B \propto n, B \propto \frac{1}{I}$
(B) $B \propto n, B \propto I$
(C) $B \propto n^2, B \propto I$
(D) $B \propto \frac{1}{n}, B \propto I^2$
उत्तर (B) $B \propto n, B \propto I$ है।

7. एक आदर्श वोल्टमीटर तथा आदर्श एमीटर के प्रतिरोध क्रमशः R_1 तथा R_2 हैं। इनके मान हैं :
(A) $R_1 = R_2 = 0$
(B) $R_1 = 0, R_2 =$ अनन्त
(C) $R_1 =$ अनन्त, $R_2 = 0$
(D) R_1 तथा R_2 दोनों अनन्त
उत्तर (C) $R_1 =$ अनन्त, $R_2 = 0$ है।

8. ताँबे के दो तारों की लम्बाइयों का अनुपात 1 : 2 है। इनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात होगा (जबकि व्यास समान है) :
(A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 2 : 1 (D) 1 : 4
उत्तर (A) 1 : 1 है।
व्याख्या - विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है।

9. 2R प्रतिरोध वाले एकसमान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इस वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा :
(A) $\frac{2}{R}$ (B) $\frac{R}{2}$
(C) R (D) $\frac{R}{4}$
उत्तर (B) $\frac{R}{2}$ है।
व्याख्या - प्रत्येक अर्धवृत्त का प्रतिरोध R है। अतः $R_p = \frac{R}{n} = \frac{R}{2}$ होगा।

10. संलग्न चित्र में A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा :

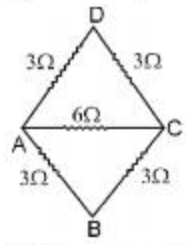

(A) 3 ओम (B) 4 ओम
(C) 2 ओम (D) 6 ओम
उत्तर (C) 2 ओम है।
व्याख्या - A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध R_p हो, तो $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$ से $R_p = 2$ ओम होगा।

11. दो समान प्रतिरोधों को पहले श्रेणीक्रम में तथा बाद में समान्तर क्रम में जोड़ा गया है। इनमें समान विभव तथा समान समय t तक लगाने पर उत्पन्न ऊष्मा H_1 तथा H_2 है। अतः $H_1 : H_2$ का मान होगा :
(A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 4 : 1 (D) 1 : 4
उत्तर (D) 1 : 4 है।
व्याख्या - यहाँ $\frac{H_1}{H_2} = \frac{V_1^2 t}{R_1} \times \frac{R_2}{V_2^2 t} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{R}{2 \times 2R}$ से $H_1 : H_2 = 1 : 4$ होगा।

12. एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले आयताकार गुटके पर आपतित होती है। इसकी आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणें परस्पर लम्ववत् हैं। यदि आपतन कोण i हो, तो :
(A) $n = \sin i$ (B) $n = \cos i$
(C) $n = \tan i$ (D) $n = \text{cosec } i$
उत्तर (C) $n = \tan i$ है।
व्याख्या - यहाँ $n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin i}{\sin(90^\circ - i)}$ से $n = \tan i$ होगा।

13. एक प्रिज्म का कोण 60° तथा विचलन कोण 30° है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण = i तथा निर्गत कोण = e के मान होंगे :
(A) $i = 45^\circ, e = 30^\circ$
(B) $i = 30^\circ, e = 45^\circ$
(C) $i = 30^\circ = e$
(D) $i = 45^\circ = e$
उत्तर (D) $i = e = 45^\circ$ है।
व्याख्या - यहाँ $i = \frac{A + \delta m}{2}$
$= \frac{60^\circ + 30^\circ}{2} = 45^\circ$ तथा $i = e$ हैं।

14. 20 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्पर्क में रखा गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी :
(A) 100 सेमी (B) 60 सेमी
(C) 50 सेमी (D) 40 सेमी
उत्तर (A) 100 सेमी है।
व्याख्या - यहाँ $\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$
$= \frac{1}{20} - \frac{1}{25} = \frac{5-4}{100} = \frac{1}{100}$ है।

15. एक उत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ क्रमशः 15 सेमी तथा 10 सेमी हैं। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो इसकी फोकस दूरी होगी :
(A) - 12 सेमी (B) - 10 सेमी
(C) 12 सेमी (D) 25 सेमी
उत्तर (C) 12 सेमी है।
व्याख्या - यहाँ $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$
$= 0.5 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{10}\right) = \frac{1}{12}$ है।

16. नेत्र लेंस से रेटीना तक की दूरी कम होने पर उत्पन्न दृष्टिदोष को कहते हैं :
(A) दृष्टि वैश्यम
(B) दूर दृष्टि
(C) निकट दृष्टि
(D) जरा दृष्टि
उत्तर (B) दूर दृष्टि है।

17. सर्वाधिक वर्णाधता किस रंग के लिए होती है :
(A) लाल रंग (B) नीला रंग
(C) पीला रंग (D) हरा रंग
उत्तर (A) लाल रंग है।

18. नेत्र में छड़ किसके लिए सुग्राही होते हैं :
(A) प्रकाश की तरंगदैर्ध्य
(B) प्रकाश की आवृत्ति
(C) प्रकाश का वेग
(D) प्रकाश की तीव्रता
उत्तर (D) प्रकाश की तीव्रता है।

19. पार्थिव दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका तथा प्रतिलोमक लेंस की फोकस दूरी क्रमशः F, f तथा f_1 हैं। यदि दूरदर्शी की नली की लम्बाई L = F + f + x हो, तो x का मान होगा :
(A) $4f_1$ (B) $3f_1$
(C) $2f_1$ (D) f_1
उत्तर (A) $4f_1$ है।

20. दो बाल्बों की शक्ति का अनुपात 1 : 3 है। यदि बल्ब समान विभव पर कार्यरत हों तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा :
(A) 1 : 1 (B) 3 : 1
(C) 1 : 9 (D) 1 : 3
उत्तर (B) 3 : 1 है।
व्याख्या - यहाँ $P = \frac{V^2}{R}$ से
$\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_2}{R_1}$ होगा।

21. सही सूत्र है :
(A) $I_{rms} = I_0 \sqrt{2}$
(B) $E_0 = \frac{E_{rms}}{\sqrt{2}}$
(C) $I_0 = \sqrt{2}\, I_{rms}$
(D) $\frac{E_0}{E_{rms}} = 2$
उत्तर (C) $I_0 = \sqrt{2}\, I_{rms}$ है।

22. एक लैम्प 220V - 50 हर्ट्ज की विद्युत सप्लाई पर कार्य कर रहा है। परिपथ के शिखर वोल्टेज का मान होगा :
(A) 220 V (B) 110 V
(C) 50 V (D) 311 V
उत्तर (D) 311 V है।
व्याख्या - यहाँ $E_0 = E_{rms}\sqrt{2} = 220\sqrt{2} = 311$ वोल्ट है।

23. एक विद्युत मोटर में उत्तेजक विभव E लगाने पर इसमें e मान का प्रतिकूल वि.वा. बल लगता है। यदि मोटर की दक्षता 40% हो, तो e का मान होगा :
(A) 80 वोल्ट (B) 110 वोल्ट
(C) $\frac{E}{4}$ वोल्ट (D) $\frac{2E}{5}$ वोल्ट
उत्तर (D) $\frac{2E}{5}$ वोल्ट है।
व्याख्या - यहाँ $\eta = \frac{e}{E}$ से
$\frac{40}{100} = \frac{e}{E}$ होगा।

24. एक चोक कुण्डली का प्रेरकीय प्रतिघात का मान होता है :
(A) $X_L = 2\pi f L$
(B) $X_L = \pi f L$
(C) $X_L = 2\pi f L^2$
(D) $X_L = 100 f L$
उत्तर (A) $X_L = 2\pi f L$ है।

25. यदि C तथा L क्रमशः धारिता तथा प्रेरकत्व को दर्शाते हैं, तो LC की विमाएँ होंगी :
(A) MLT^2 (B) ML^{-1}
(C) $M^0L^0T^{-2}$ (D) $M^0L^0T^2$
उत्तर (D) $M^0L^0T^2$ है।
व्याख्या - यहाँ $f2 = \frac{1}{4\pi LC}$ है।

26. दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1 : 3 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा :
(A) 1 : 9 (B) 1 : 8
(C) 3 : 1 (D) $1 : 3^{1/3}$
उत्तर (D) $1 : 3^{1/3}$ है।
व्याख्या - यहाँ $\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{1/3}$
$= \left(\frac{1}{3}\right)^{1/3} = 1 : 3^{1/3}$ है।

27. $^{235}_{92}U$ के नाभिकीय विखण्डन में प्रति विखण्डन विमुक्त ऊर्जा का मान होता है :
(A) 200 MeV (B) 140 MeV
(C) 25.4 MeV (D) 100 MeV
उत्तर (A) 200 MeV है।

28. एक भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है :
(A) 12 घण्टे (B) 8 घण्टे
(C) 24 घण्टे (D) 30 घण्टे
उत्तर (C) 24 घण्टे है।

29. एक अर्ध-चालक पदार्थ की संयोजकता होती है :
(A) 5 (B) 3
(C) 2 (D) 4
उत्तर (D) 4 है।

30. एक खगोलीय दूरदर्शी की नली की लम्बाई 40 सेमी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 4 सेमी है। इसकी आवर्धन क्षमता होगी :
(A) 9 (B) 10
(C) 4 (D) 36
उत्तर (A) 9 है।
व्याख्या - यहाँ $L = f_0 + f_e$ से $40 = f_0 + 4$ है। अतः $f_0 = 36$ तथा आवर्धन क्षमता $m = \frac{f_0}{f_e} = \frac{36}{4} = 9$ होगी।

- डॉ. एस.एस. पालीवाल
(लेखक, भौतिकी के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हैं)

कारीगरों को रोज़गार देने वाले पारम्परिक उत्पादों के क्लस्टर बनाये जायेंगे

भोपाल, मध्यप्रदेश में चंदेरी और माहेश्वरी हैंडलूम के जैसे ही गरीब कारीगरों को रोज़गार देने वाले पारम्परिक उत्पादों के क्लस्टर बनाकर उन्हें हरसम्भव मदद दी जाएगी। यह बात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भोपाल के उद्यमियों की संक्षिप्त बैठक को सम्बोधित करते हुये कही।

श्री गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी क्षमता का प्रयोग करे और सभी तरह से व्यावहारिक एमएसएमई क्लस्टर के प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार एक माह की समय-सीमा में मंजूरी देगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के 23 क्लस्टर को हाल ही में मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने अनुरोध किया कि केंद्र के स्तर पर प्रदेश के 30 और क्लस्टर प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए। श्री गडकरी ने कहा कि इसी माह इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र इन क्लस्टरों के विकास के लिए 8494 करोड़ रुपये मंजूर करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में जितनी क्षमता हो उतने प्रस्ताव भेजे, केंद्र प्रत्येक व्यावहारिक प्रस्ताव को मंजूरी देगी। श्री गडकरी ने मध्यप्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री सखलेचा की तारीफ करते हुए कहा कि उद्योगों में तकनीकी और विज्ञान को लेकर श्री सखलेचा की सोच से अब माहौल बदला है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सेंटर के विकास के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। इस बीच श्री सखलेचा ने बताया कि इंदौर में हाल ही में 700 एकड़ जमीन पर फर्नीचर क्लस्टर प्रारंभ किया गया है, जिसमें 12 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ही देश में सर्वाधिक रोज़गार देने वाला है, जिससे देश आत्मनिर्भर बनेगा।

मध्यप्रदेश में सौ ड्रायविंग स्कूल और 52 व्हीकल फिटनेस सेंटर खुलेंगे

श्री गडकरी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट की मध्यप्रदेश में अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव अनुसार 100 करोड़ रुपये की लागत से 100 ड्रायविंग स्कूल मंजूर किये गए हैं। उन्होंने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत भी मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे।

इससे पहले श्री गड़करी ने उद्योगपतियों के सुझाव भी सुनें। उन्होंने व्यवसाइयों से कहा कि वे अपनी 5 साल की वैलेंस सीट ठीक रखें और सरकार ऐसे उद्योगों को एनएसई में सूचीबद्ध कराने के साथ अपनी 10 प्रतिशत इक्विटी देगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा पर होने वाले खर्च को उद्योगपति अपने परिसर में सोलर पैनल लगाकर कम कर सकते हैं और अपनी उत्पाद लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से हाल ही में 4 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है।

उन्होंने कहा कि उद्यमी स्टेट बैंक के माध्यम से योजना का फायदा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी इंडस्ट्रियों के भुगतान को समय-सीमा में करने की दिशा में केंद्र सरकार अनेक कदम उठा रही है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये महत्वपूर्ण जानकारी

निबंध लेखन

मार्च 2021 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित होना संभावित है। इस परीक्षा में कुल 6 अनिवार्य प्रश्नपत्रों में अंतिम प्रश्नपत्र निबंध लेखन का होता है। इस प्रश्नपत्र में जहां एक वृहद निबंध 1000 शब्दों में लिखना होता है, वहीं 2 लघु निबंध 250-250 शब्दों में भी लिखने होते हैं। ये क्रमशः 50 और 25-25 अंकों के होते हैं। इस प्रश्नपत्र को 2 घंटे में हल करना होता है।

श्रेष्ठ एवं प्रभावी निबंध लिखने की योजना

प्रायः एक अच्छा निबंध लिखना विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। उनके मन में यह सवाल बार-बार उठता है कि किस तरह एक श्रेष्ठ एवं प्रभावी निबंध लिखा जाए, जिससे कि उनके निबंध को पढ़कर उनके मानसिक स्तर और व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन होने से अधिकतम अंक अर्जित हो सकें? ऐसा संभव हो सकता है, अगर हम निरंतर और रणनीतिक ढंग से अभ्यास करें। अब समझते हैं कि किस प्रकार हम रचनात्मक निबंध लिखने में निपुण हो सकते हैं।

1. प्रथम चरण में हमें सर्वप्रथम निबंध के दिए गए विषय के सही/गुप्त अर्थ को समझने का शांतिपूर्वक प्रयास करना चाहिए।
2. द्वितीय चरण में विषय से जुड़े सकारात्मक एवं नकारात्मक मुख्य पहलुओं/बिंदुओं को रफ कागज पर लिख लेना चाहिए।
3. इसके बाद निबंध की अस्थायी रूपरेखा बनाकर उल्लेखनीय तथ्यों/कथनों/काव्यपंक्तियों/सूक्तियों या श्लोक आदि को भी लिख लेना चाहिए। इस कार्य पर 10 प्रतिशत तक समय खर्च किया जाना चाहिए।
4. अब निबंध लेखन प्रारंभ करते हुए उल्लेखनीय तथ्यों/कथनों/काव्यपंक्तियों/सूक्तियों/ श्लोकों को यथास्थान लिखने में 70 से 80 प्रतिशत समय व्यय करें।
5. अंत में निष्कर्ष लिखने में भी लगभग 10 प्रतिशत समय देना चाहिए। वास्तव में निष्कर्ष पढ़ने के बाद ही मूल्यांकनकर्ता अंक प्रदान करने का अंतिम निर्णय लेता है।
6. अंत में लिखे जा चुके निबंध का एक बार पुनरीक्षण कर भाषागत, तथ्यात्मक एवं व्याकरणीय त्रुटि/अशुद्धियों को दूर कर लेना भी हमारे प्राप्तांक में 5-10 प्रतिशत की वृद्धि करने में मददगार होता है। अतः इन्हें सोदाहरण इस प्रकार समझा जा सकता है-

निबंध लिखने की उचित प्रक्रिया

1. निबंध लेखन की प्रक्रिया में पहली चुनौती यही होती है कि परीक्षार्थी निबंध के विषय को ठीक उसी रूप में समझे जिस रूप में प्रश्नपत्र निर्माता ने उसे सोचा था। यह चुनौती बहुत जटिल नहीं होती। जो परीक्षार्थी प्रश्नों की भाषा को बारीकी से देखने-समझने के अभ्यस्त होते हैं, वे अपनी इसी क्षमता के आधार पर निबंध के विषय को भी ठीक से ग्रहण कर लेते हैं। नए निबंध लेखकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि विषय को पढ़कर उनके दिमाग में पर्याप्त बिंदु नहीं सूझते। अगर निबंध का विषय सामान्य अध्ययन या उनके वैकल्पिक विषय से संबद्ध हो, तब तो यह समस्या नहीं आती किंतु अगर विषय अमूर्त या कल्पना प्रधान है तो बिंदुओं की तलाश करना बेहद कठिन हो जाता है।

उदाहरणार्थ, मध्यप्रदेश सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2018 में दिए निबंध 'भारतीय संसद की कार्य-प्रणाली' सामान्य अध्ययन पढ़ चुके अभ्यर्थियों के लिये चुनौती पेश नहीं करते। कई बार निबंध लिखने के लिए ऐसा विषय दिया जाता है कि उक्त विषय या शीर्षक का एक शब्द ही सर्वाधिक निर्णायक बन जाता है। दूसरी ओर, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (2014) में इस विषय पर निबंध लिखने को आया था कि 'केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते।' अगर हम इस विषय/शीर्षक को ठीक से समझें तो इसका यहां पर यह अभिप्राय मात्र नहीं है कि राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं लाते। यहां सबसे ज्यादा समझने योग्य महत्त्वपूर्ण शब्द है- 'केवल'।

अब मात्र इस शब्द के कारण ही इस विषय का अर्थ एकदम बदल गया है। अब इस विषय से सही भाव यह निकलता है कि राजनीतिक अधिकार तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये आवश्यक हैं ही, अब कुछ और भी ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिन्हें महिलाओं की स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिये। इसलिये जरूरी है कि हमारे निबंध से भी यही भाव स्पष्ट हो।

2. इसके बाद आवश्यक बिन्दुओं के एकत्रित हो जाने के बाद अगली चुनौती होती है उन्हें व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ते जाने की। इस व्यवस्थित ढांचे को हम निबंध की प्रस्तावित रूपरेखा (सिनॉपसिस) कह सकते हैं। अब हमने जिन बिंदुओं को तलाशा है, उन्हें महत्व और विषय की मांग के अनुसार प्रस्तावित रूपरेखा को सही क्रम में समायोजित कर लें। हमें महत्व की दृष्टि से सभी बिंदुओं का अनुपात तय कर लेना चाहिए कि यह स्पष्ट हो जाए कि हमें कुल शब्द सीमा और समय सीमा के अंदर कुल शब्दों में से कितने शब्द किस भाग पर लिखने हैं? ये जरूरी नहीं है कि हम जो रूपरेखा तैयार करें, तदनुसार ही पूरा निबंध ज्यों-का-त्यों लिख जाएगा। सृजनात्मक लेखन में यह बहुत स्वाभाविक होता है कि लिखते-लिखते हमें कुछ अतिमहत्वपूर्ण विंदु मिलते जाते हैं। कभी-कभी हमारे चिंतन एवं लेखन में ऐसा प्रवाह भी आ जाता है कि हमारी बंधी-बंधाई रूपरेखा स्वतः संशोधित और परिमार्जित होती जाती है।

यदि हम अपनी रूपरेखा से विचलित होते हैं तो उसकी बिल्कुल चिंता न करें। ऐसा होना स्वाभाविक बना रहता है। बीच-बीच में लिखे जा रहे विषय/शीर्षक पर एक नजर भी डालते रहें, जिससे कि विषय से भटकने पर सही दिशा में शीघ्र वापस हो सकें।

3. वास्तव में निबंध की 'भूमिका' ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि इसी से तय होता है कि परीक्षक या पाठक को हमारे निबंध में रुचि/दिलचस्पी या जिज्ञासा महसूस होगी या नहीं? अगर भूमिका कमजोर/अरुचिपूर्ण होगी तो इस बात का खतरा बना रहता है कि या तो परीक्षक आगे का निबंध पढ़ेगा नहीं और अगर पढ़ेगा तो अनमने ढंग से। हम पहले यही समझने का प्रयास करते हैं कि भूमिका में क्या लिखा जाए। परीक्षक आपसे किस तरह की भूमिका चाहता है? यहां किसी निजी अनुभव, प्रसिद्ध सूक्ति, चर्चित तथ्य/आंकड़ा, काव्य पंक्तियां, कहावत/मुहावरा या नकारात्मक धारणा के खण्डन से शुरुआत करें तो उचित होगा। ऐसा करने से 'फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन' के रूप में भी हम लाभांवित हो सकते हैं।

4. भूमिका लिखने के बाद निबंध लेखन में धीरे-धीरे प्रवाह आने लगता है। हमें निष्कर्ष से पहले का लगभग 70-80 प्रतिशत भाग मुख्य विषय-वस्तु के रूप में लिखना होता है।

अतः हमें निबंध की रूपरेखा और मुख्य विषय-वस्तु के लिये पहले से ही निश्चित किए गए कुछ बिंदुओं का एक निश्चित तार्किक क्रम बना लेना चाहिये और यथासंभव उसी के अनुसार लेखन कार्य को आगे बढ़ाते जाना चाहिये। भूमिका और निष्कर्ष की तुलना में मुख्य विषय-वस्तु लिखना सरल होता है। मुख्य विषय-वस्तु लिखते समय सबसे बड़ी चुनौती प्रवाह को बनाए रखने की होती है। हमें अपनी बात इस तरह कहनी चाहिये कि हमारा अगला वाक्य पिछले वाक्य का तार्किक और स्वाभाविक परिणाम प्रतीत हो और हमारा हर नया अनुच्छेद पिछले अनुच्छेद का स्वाभाविक अगला पड़ाव दिखाई दे रहा हो।

5. हमारा प्रभावी निष्कर्ष भी भूमिका की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक अर्थ में तो निष्कर्ष का महत्व भूमिका से भी अधिक होता है, क्योंकि निबंध के अंत तक पहुंचते-पहुंचते परीक्षक निबंध के प्रारंभिक विवरण को भूल जाता है। उसे शुरुआती हिस्से की सिर्फ वही बातें याद रहती हैं, जिन्होंने उसे संतुष्ट या उदास किया हो। निष्कर्ष पढ़ने के तुरंत बाद उसे समग्र मूल्यांकन करते हुए अंक देने होते हैं। एक अच्छा निष्कर्ष ही हमारे प्राप्तांकों में 10-15 प्रतिशत तक का हेर-फेर कर सकता है। अतः हमें इन सावधानियों पर भी ध्यान देते रहना चाहिए-

1. प्रायः व्यावहारिक समाधान/उज्ज्वल संभावना पर आधारित निष्कर्ष देना ज्यादा सही होता है।
2. कभी-कभी चेतावनी या संभावित दुष्परिणामों पर आधारित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
3. कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित निष्कर्ष भी निकालना सही होता है।
4. हम विषय की प्रासांगिकता से संबंधित निष्कर्ष देकर एक श्रेष्ठ निबंध की रचना कर सकते हैं।
5. हमेशा सकारात्मक एवं आशावादी रूप में ही निबंध का अंत करना चाहिए, भले ही निबंध का शीर्षक कितना ही निराशा से परिपूर्ण या भड़काऊ क्यों न दिया गया हो। अब समझते हैं कि सबसे पहले विषय का चयन करने और परीक्षा भवन में समय का उपयोग करने में किन-किन सावधानियों पर ध्यान देना जरूरी होता है-

1. हम विषय का चयन कैसे करें

दिये गए विषयों में से उसी विषय पर निबंध लिखना चाहिए जिस पर हम अपनी सर्वाधिक मौलिक सोच रखते हैं। ऐसे निबंध में किसी अन्य व्यक्ति की नकल की संभावना ना के बराबर होती है। अगर दो या अधिक विषयों में आप खुद को लगभग बराबर स्थिति में पाते हैं तो उनमें से उस विषय को चुनना चाहिए जो सबसे अटपटा तथा कठिन लग रहा हो। अगर एक विषय बहुत कठिन है और दूसरा बहुत आसान है और दोनों पर आपकी समझ में थोड़ा-बहुत अंतर है तो आप कठिन विषय को कुछ कम समझ के बावजूद प्राथमिकता देकर एक चुनौती के रूप में अप्रत्याशित निबंध की रचना कर जाएंगे। सामान्यतः बहुत कठिन विषय पर लिखा गया सामान्य निबंध और सामान्य विषय पर लिखा गया बहुत अच्छा निबंध आमतौर पर अंकों की दृष्टि से एक-दूसरे के आसपास ही रहते हैं।

2. परीक्षा भवन में समय का सदुपयोग कैसे किया जाए

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 6 अनिवार्य प्रश्नपत्रों में अंतिम प्रश्नपत्र निबंध लेखन का होता है। इस प्रश्नपत्र में जहां एक वृहद निबंध 1000 शब्दों में लिखना होता है, वहीं 2 लघु निबंध 250-250 शब्दों में भी लिखने होते हैं। ये क्रमशः 50 और 25-25 अंकों के होते हैं। **विशेष ध्यान रखें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में इस निबंध लेखन वाले प्रश्नपत्र को मात्र 2 घंटे में ही हल करना होता है जबकि शेष सभी 5 प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए 3-3 घंटे मिलते हैं।**

3. भाषा-शैली के स्तर पर किन बातों का ध्यान रखें

हमारे निबंध की भाषा-शैली में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण अपेक्षित होता है, वह है- धारा प्रवाह को बनाए रखना। इसका अर्थ है कि जब परीक्षक आपका निबंध पढ़े तो वह लगभग बहते हुए आगे बढ़े। प्रवाह का गुण तभी पैदा होता है जब आप ठीक उस मौलिक भाषा-शैली में लिखें, जिसमें हम चिंतन-मनन करते रहते हैं। हमें बर्तनी अर्थात स्पेलिंग एवं तथ्य संबंधी सावधानियों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तव में, बर्तनी संबंधी दोषों को दूर करना बहुत कठिन नहीं है।

4. उत्तर पुस्तिका को आकर्षक/सुंदर बनाने हेतु सावधानियां

हमारी उत्तर-पुस्तिका को आकर्षक दिखने में अपेक्षित पहला गुण होना चाहिए- **सुंदर एवं स्पष्ट लिखावट**। सुंदर लिखावट ही परीक्षक को सहजता और रोचकता प्रदान करती है, जिसके प्रत्युत्तर में वह उम्मीदवार को अवश्य ही अधिकतम अंक देने का प्रयास कर सकता है। अगर हमारी लिखावट सुंदर नहीं है तो हमें निरंतर इसका अभ्यास करना ही होगा, अन्यथा हमारे अन्य प्रश्नपत्रों पर भी इसका दुष्प्रभाव होगा और प्रतिभागी के रूप में हम प्रतियोगिता रूपी दौड़ में बहुत पीछे होते जाएंगे। सबसे पहले हमें उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपरी भाग में वह विषय या शीर्षक लिखना चाहिये जो हमने निबंध लिखने के लिये चुना है। इसके लिए उचित होगा कि निबंध का विषय/शीर्षक काली स्याही से बड़े अक्षरों में लिखकर उसे रेखांकित भी कर दिया जाए।

हमारा यह प्रयास एवं अभ्यास भी होना चाहिये कि हर नए पृष्ठ पर कम-से-कम एक नया अनुच्छेद/पैराग्राफ जरूर शुरू हो। छोटे अनुच्छेदों को देखकर एवं उनको पढ़ने में परीक्षक की स्वाभाविक इच्छा होती है। अतः यथासंभव हर पृष्ठ पर न्यूनतम एक अनुच्छेद अवश्य बदलें और पूर्व में नोट किए गए आवश्यक तथ्यों/कथनों/नवीनतम आंकड़ों/काव्यपंक्तियों/श्लोक अनुच्छेद/संविधान संशोधन या सूक्ति आदि को यथास्थान पर अवश्य लिखकर उनको रेखांकित भी करते जाएं। इस प्रकार हम उक्त सावधानियों को ध्यान में रखकर और निरंतर विभिन्न विषयों पर रचनात्मक निबंध लिखने में निपुण बन सकते हैं।

भारत में ऑनलाइन शिक्षा की दशा एवं दिशा (वृहद निबंध, लगभग 1000 शब्द)

वर्तमान वैज्ञानिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लगातार क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने अब न केवल समाज व्यवस्था, बल्कि प्रशासन, शिक्षा, यातायात और अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाकर ऑनलाइन गतिविधियों में तीव्र वृद्धि की है। भारत जैसे आश्रम और गुरुकुल शिक्षा पद्धति वाले देश में भी पिछले एक साल से बड़ी तेजी से ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार एवं प्रभाव बढ़ा है। भारत जैसे विकासशील देश में तो जहां ऑनलाइन शिक्षा नई संभावनाएं लेकर आयी है, वहीं दूसरी ओर इसने शिक्षातंत्र के लिए कई समस्या रूपी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। अतः भारत में ऑनलाइन शिक्षा की भावी संभावनाओं एवं चिंताजनक चुनौतियों रूपी समस्याओं की समीक्षा निम्नवत बिन्दुओं में की जा सकती है-

ऑनलाइन शिक्षा से अभिप्राय एवं आवश्यकता

आज के तकनीकी युग में इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे एंड्रॉयड मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर आदि की सहायता से अध्यापन कार्य किये जाने पर विशेष बल दिया जाने लगा है। इस माध्यम से विद्यार्थी घर से ही ऑनलाइन कक्षा ज्वॉइन करके ज्ञानार्जन करते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का यथासंभव समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 आपदा जनित विभिन्न नए-नए कारणों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं शिक्षण व्यवस्था और क्लास रूम को अचानक ऑनलाइन क्लास में प्रतिस्थापित कर दिया है। अतः भविष्य में यह ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था सस्ती, सर्वसुलभ और उपयोगी होने से और भी ज्यादा विस्तारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

भावी सकारात्मक संभावनाएं

उपर्युक्त विवेचन से स्वतः सिद्ध होता है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां लाखों विद्यालय और हजारों महाविद्यालयों में करोड़ों बालक और युवा वर्ग अध्ययनरत हैं, वहां इसके विस्तार एवं स्वीकार किए जाने की अनेक संभावनाएं भी बलवती हुई हैं। वास्तव में गूगलमीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि एप्स और मीटिंग टूल्स के नवीनतम संस्करणों ने अत्यंत किफायती, हानिरहित और बहुउपयोगी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। अब न्यूनतम डाटा खर्च करने पर अधिकतम डाउनलोड अध्ययन सामग्री क्लाउड मेमोरी के रूप में भी सुरक्षित की जा सकती है।

ऑनलाइन शिक्षण से अब बच्चों और नव युवक-युवतियों में रुचि बढ़ने लगी है, क्योंकि वे अध्ययन के साथ एंड्रॉयड फोन से मनोरंजन एवं मित्रों से चैटिंग भी कर लेते हैं। इसके नेटवर्क और अध्ययनशील छात्र-छात्राओं से सामाजिक लगाव एवं सहयोग की भावना भी विकसित होती है। अब ये आशा की जाने लगी है कि भविष्य में ऑनलाइन शिक्षा कई नए प्रतिमान स्थापित करने की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी।

ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां

यह सर्वविदित एवं सर्वमान्य है कि विज्ञान की तरह ही ऑनलाइन शिक्षा वरदान भी है और अभिशाप भी। वस्तुतः जब किसी तकनीक संसाधन एवं सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता है, वह भस्मासुर भी सिद्ध होने लगती है। इस प्रकार हमें ऑनलाइन शिक्षा की समस्याओं रूपी चुनौतियों का सामना अत्यंत संयम एवं बुद्धिमत्ता से करने की कोशिश करनी होगी। नवीनतम शोध बतला रहे हैं कि अत्याधिक ऑनलाइन रहने से न केवल बच्चों, बल्कि युवाओं की भी आंखों, स्मरण क्षमता, ऊर्जा और समय की बर्बादी हो रही है। बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद भी कई घण्टों तक मोबाइल फोन या लैपटॉप से ही चिपके रहते हैं। इसके दुष्परिणामस्वरूप वह समय पर भोजन एवं व्यायाम या घरेलू काम भी नहीं करते।

ऑनलाइन शिक्षा को समाज उपयोगी बनाने हेतु मौलिक सुझाव

भारत जैसे विकासशील एवं बहुभाषायी देश में ऑनलाइन शिक्षा को समाज उपयोगी बनाने हेतु इन सुझावों पर अमल किया जा सकता है-

1. ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी एवं सर्वसुलभ बनाने हेतु गरीब छात्र-छात्राओं को धनराशि के स्थान पर छात्रवृत्ति के रूप में अच्छी गुणवत्ता एवं मानक स्तर का एंड्रॉयड फोन, रीचार्ज कूपन्स, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि प्रदान करना छात्रहित एवं राष्ट्रहित में एक क्रान्तिकारी कदम होगा और इस नई व्यावहारिक व्यवस्था से छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति का दुरुपयोग करना भी बंद हो सकेगा।
2. ऑनलाइन क्लास के समय कक्षा 6 से बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अपना वीडियो ओपन किए रखना अनिवार्य भी किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षकगण उनकी गतिविधियों से भी उनका समग्र मूल्यांकन कर सकें।
3. ऑनलाइन परीक्षा में ऐसे रुचिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएं जिसका उत्तर आसानी से गूगल, विकीपीडिया या अन्य सुलभ साधनों से खोजा न जा सके।

निष्कर्ष

वस्तुतः भारत में ऑनलाइन शिक्षा के उपर्युक्त सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष की सम्यक विवेचना के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हमें ऑफलाइन अर्थात परंपरागत और अत्याधुनिक ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का समुचित रूप से संतुलित उपयोग करने की जरूरत है। इससे इसकी संभावनाओं का विस्तार होगा और इससे संबंधित उत्पन्न समस्याओं को क्रमशः समाप्त करने में भी आसानी होगी। इससे महंगी होती जा रही शिक्षा को सस्ती और किफायती बनाने में भी मदद मिल सकती है।

- डॉ. नियाज अहमद अंसारी
(लेखक, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया में राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विषय के सहा. प्राध्यापक हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य अध्ययन

(मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993)

1. सामाजिक जीवन की वे दशायें, जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत कार्यों को सम्पादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दें, क्या कहलाते हैं?
(A) स्वतंत्रता
(B) स्वच्छंदता
(C) मानवाधिकार
(D) व्यक्तिगत आधिकार

2. संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव आधिकारों की 'सार्वभौमिक घोषणा' किस तिथि को अंगीकार की गई?
(A) 10 दिसंबर, 1947 को
(B) 10 दिसंबर, 1948 को
(C) 10 सितंबर, 1947 को
(D) 10 सितंबर, 1948 को

3. 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई इस घोषणापत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
(A) 26 अनुच्छेद
(B) 30 अनुच्छेद
(C) 42 अनुच्छेद
(D) 48 अनुच्छेद

4. इंग्लैंड में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है?
(A) व्यक्तिगत अधिकार
(B) बिल ऑफ राइट्स
(C) संवैधानिक उपचार
(D) मैग्नाकार्टा

5. 'ह्यूमन राइट्स वॉच' एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी?
(A) 1978 न्यूयॉर्क में
(B) 1979 जेनेवा में
(C) 1946 ब्रुसेल्स में
(D) 1971 पेरिस में

6. विश्व में मानव अधिकारों को निम्न नामों से भी जाना जाता है?
(A) जन्म अधिकार
(B) प्राकृतिक अधिकार
(C) अंतर्निहित अधिकार
(D) मूल अधिकार
(E) आधारभूत अधिकार
(F) उपरोक्त सभी

7. मानव अधिकार संरक्षण आधिनियम, 1993 किस तिथि को प्रभावशील हुआ?
(A) 10 दिसंवर 1993
(B) 14 दिसंवर 1993
(C) 28 सितंवर 1993
(D) 26 नवंवर 1993

8. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत गणतंत्र राज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया?
(A) 42वें वर्ष में
(B) 43वें वर्ष में
(C) 44वें वर्ष में
(D) 45वें वर्ष में

9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कि स्थापना कब हुई?
(A) 1991 (B) 1994
(C) 1993 (D) 1995

10. मानव आधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय हैं?
(A) 07 (B) 08
(C) 09 (D) 10

11. मानव आधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कौन हटा सकता है?
(A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) संसद
(D) उपरोक्त सभी

12. मानव आधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया है?
(A) धारा - 5 (B) धारा - 6
(C) धारा - 7 (D) धारा - 8

13. आयोग के समक्ष जांच करने के लिये क्या परिसीमा काल है?
(A) एक वर्ष (B) दो वर्ष
(C) तीन वर्ष (D) पांच वर्ष

14. मानव अधिकार संरक्षण आधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना होती है?
(A) धारा - 28 (B) धारा - 29
(C) धारा - 30 (D) धारा - 31

15. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत आयोग व्यक्तियों के कथन ले सकता है?
(A) धारा - 14 (B) धारा - 15
(C) धारा - 16 (D) धारा - 17

16. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में केन्द्र सरकार आयोग को पुलिस प्रदान करती है?
(A) धारा - 8 (B) धारा - 9
(C) धारा - 10 (D) धारा - 11

17. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आयोग सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करता है?
(A) धारा - 13 (B) धारा - 15
(C) धारा - 16 (D) धारा - 17

18. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है?
(A) धारा - 6
(B) धारा - 7
(C) धारा - 8
(D) उपरोक्त कोई नहीं

19. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कुल कितनी धारायें हैं?
(A) 30 धारायें (B) 40 धारायें
(C) 43 धारायें (D) 74 धारायें

20. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आयोग के सदस्य लोक सेवक माने जाते हैं?
(A) धारा - 38 (B) धारा - 39
(C) धारा - 41 (D) धारा - 42

21. किस सन् में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया?
(A) 1990 (B) 1994
(C) 1996 (D) 1998

22. अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है?
(A) धारा - 8 (B) धारा - 10
(C) धारा - 11 (D) धारा - 12

23. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार नियम बना सकती है?
(A) धारा - 40 (B) धारा - 41
(C) धारा - 42 (D) धारा - 43

24. अधिनियम की किस धारा के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश निरासित किया गया है?
(A) धारा - 41 (B) धारा - 43
(C) धारा - 44 (D) धारा - 45

25. किस सन् में अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम पारित किया गया?
(A) 1990 (B) 1991
(C) 1992 (D) 1994

26. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत महासचिव की नियुक्ति की जाती है?
(A) धारा - 9 (B) धारा - 10
(C) धारा - 11 (D) धारा - 12

27. अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है?
(A) धारा - 22 (B) धारा - 23
(C) धारा - 24 (D) धारा - 25

28. "मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किये गये हैं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निर्दिष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।" यह परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गई है ?
(A) धारा - 2 (ख)
(B) धारा - 2 (ग)
(C) धारा - 2 (घ)
(D) धारा - 2 (ङ)

29. क्या प्रकृति विरुद्ध अपराध उसके प्रति मानवाधिकार का उल्लंघन माना जायेगा?
(A) हां माना जायेगा
(B) नहीं माना जायेगा
(C) आयोग पर निर्भर
(D) उपरोक्त कोई नहीं

30. क्या लोकहितवाद के द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है?
(A) हां
(B) नहीं
(C) आयोग की अनुमति से
(D) उपरोक्त कोई नहीं

31. राज्य मानव अधिकार आयोग किस धारा के तहत अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा?
(A) धारा - 27 (B) धारा - 28
(C) धारा - 29 (D) धारा - 30

32. म.प्र. राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है?
(A) इंदौर (B) ग्वालियर
(C) जवलपुर (D) भोपाल

33. मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र के किन अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की विवेचना की गई है?
(A) अनु. 1 से 5 तक
(B) अनु. 10 से 14 तक
(C) अनु. 16 से 20 तक
(D) अनु. 22 से 28 तक

34. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सामाजिक प्रगति और विकास की घोषणा को किस तिथि को अंगीकार किया?
(A) 10 दिसंवर 1947
(B) 10 दिसंवर 1948
(C) 11 दिसंवर 1969
(D) 11 दिसंवर 1959

उत्तरमाला

(1)	C	(2)	B	(3)	B
(4)	D	(5)	A	(6)	F
(7)	C	(8)	C	(9)	C
(10)	B	(11)	A	(12)	B
(13)	A	(14)	C	(15)	B
(16)	D	(17)	C	(18)	B
(19)	C	(20)	B	(21)	A
(22)	B	(23)	A	(24)	B
(25)	C	(26)	C	(27)	B
(28)	C	(29)	A	(30)	A
(31)	B	(32)	D	(33)	D
(34)	C				

- सविता रघुवंशी
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित विषयों पर लेखन करती हैं)

कोरोना से बचाव के लिए दवाई और कड़ाई दोनों जरूरी - प्रधानमंत्री

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुए प्रस्तुतीकरण में मध्यप्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए जारी गतिविधियों और इस दिशा में हुई प्रगति की सराहना की गई। प्रधानमंत्री ने देश को दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। इस बारे में जागरुकता के लिए लगातार गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने कोरोना संक्रमण से पुनः प्रभावित हो रहे राज्यों में आवश्यकतानुसार टेस्टिंग और टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, राज्यों के प्रबंधन और जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है। देश में 16 जनवरी से आरंभ हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 3 करोड़ 50 लाख लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। जिन जिलों में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं वहां टीकाकरण के लिए सघन गतिविधियां चलाने की आवश्यकता है।

बिना आर्थिक गतिविधियों को बंद किए कोरोना को नियंत्रित किया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए बिना आर्थिक गतिविधियों को बंद किए इन्दौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ग्वालियर और जबलपुर में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बैतूल, बुरहानपुर, रतलाम, सागर और उज्जैन में कोरोना के प्रकरण मिले हैं। इनमें भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे बचाव के उपायों का सख्ती से पालन कराने और जागरुकता अभियान के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के अन्य 42 जिलों में न्यूनतम प्रकरण हैं। किसी भी जिले में प्रकरणों की संख्या दस से अधिक नहीं है।

टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है

श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। स्वयं-सेवी संस्थाओं के सहयोग से टीकाकरण केंद्रों पर उत्सव का माहौल निर्मित कर जन-सामान्य को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 7 लाख 24 हजार फ्रंट लाइन तथा हेल्थ वर्कर्स को टीके की प्रथम डोज तथा 3 लाख 55 हजार वर्कर्स को द्वितीय डोज लगाई जा चुकी है।

मेलों, होली के आयोजनों, भगोरिया, गेर आदि पर रहेगा प्रतिबंध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ब्रिटेन में मिले वैरियंट के 335 सेम्पल लिए गए, जिनमें 8 पॉजिटिव आए हैं। फरवरी 2021 के बाद कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों का इलाज होम आयसोलेशन में टेली कंसल्टेशन द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सालयों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मेलों, होली के आयोजन, भगोरिया, गेर आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामाजिक आयोजनों में भी क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के समागम को प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश के जिन 10 जिलों में कोरोना के प्रकरण तुलनात्मक रूप से अधिक हैं, उनमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और जन-जागरण के लिए अभियान संचालित किया जाएगा।

टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन से होगा कोरोना पर नियंत्रण

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 19 सितम्बर को कोरोना प्रकरणों की एक दिन में सबसे अधिक संख्या 2607 दर्ज की गई। इसके बाद अक्टूबर में यह संख्या 514 तक आ गई। पुनः 27 नवम्बर को 1798 प्रकरण दर्ज किए गए, जो 14 फरवरी को एक दिन में 141 की न्यूनतम स्थिति में आए। प्रकरणों की संख्या में इस गिरावट से जन-जीवन सामान्य होने लगा। व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों में जन-सामान्य की सहजता से भागीदारी बढ़ी। अब प्रदेश के 10 जिलों में पुनः प्रकरणों में वृद्धि दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और उनके द्वारा दिए गए मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी तथा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन से कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रहेगी। आवश्यकता होने पर माइक्रो स्तर पर कंटेनमेंट जोन भी निर्मित किए जाएंगे।

आकांक्षा योजना

जनजातीय वर्ग के 346 विद्यार्थियों को मिली सफलता

भोपाल, मध्यप्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा जैसे आईआईटी, एम्स, नीट, क्लेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये जन-जातीय कार्य विभाग की आर्थिक सहायता से संचालित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। यह संस्थाएं प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर से संचालित की जा रही हैं।

इस वर्ष इन कोचिंग केन्द्रों से आकांक्षा योजना में जेईई मेन्स में 122, जेईई एडवांस में 34, नीट में 86 एवं क्लेट में 104 जन-जातीय विद्यार्थियों को प्रवेश पाने में सफलता मिली है। इस वर्ष इन केंद्रों में 800 जन-जातीय विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाये जाने का कार्यक्रम विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसके लिये वर्ष 2021-22 के बजट में 10 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की फीस देने का कार्य जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य गणित

प्र. 1 निम्नलिखित प्रश्न में दोनों प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?
$(?)^{4/5}/54 = 24/(?)^{6/5}$
(A) 18 (B) 36
(C) 12 (D) 54

उत्तर : (B) 36
व्याख्या : $(?)^{4/5} \times (?)^{6/5} = 54 \times 24$
$(?)^2 = 9 \times 6 \times 6 \times 4$
$(?)^2 = 36 \times 36$
$? = 36$

प्र. 2 निम्नलिखित प्रश्न में (?) के स्थान पर क्या मान आना चाहिए?
$(27^2 \times 81^3 \times 27^4)/27^6 = 27 \times 3^?$
(A) 3 (B) 6
(C) 9 (D) 14

उत्तर : (C) 9
व्याख्या :
$(27^2 \times 81^3 \times 27^4)/\times 27^6 = 27 \times 3^?$
$(27^{(2+4)} \times 81^3)/27^6 = 27 \times 3^?$
$(27^6 \times 81^3)/27^6 = 27 \times 3^?$
$81^3 = 27 \times 3^?$
$3^{12}/3^3 = 3^?$
$3^9 = 3^?$
$? = 9$

प्र. 3 मान ज्ञात कीजिए :
$\sqrt{10+\sqrt{25+\sqrt{108+\sqrt{154+\sqrt{225}}}}}$
(A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 10

उत्तर : (A) 4
व्याख्या :
$\sqrt{10+\sqrt{25+\sqrt{108+\sqrt{154+\sqrt{225}}}}}$
$\sqrt{10+\sqrt{25+\sqrt{108+\sqrt{154+15}}}}$
$\sqrt{10+\sqrt{25+\sqrt{108+13}}}$
$\sqrt{10+\sqrt{25+11}}$
$\sqrt{10+6}$
$\sqrt{16}$
$= 4$

प्र. 4 मान ज्ञात करो :
400 का 25% + 325 का 20% - 130 का 50% = ?
(A) 80 (B) 120
(C) 90 (D) 100

उत्तर : (D) 100
व्याख्या : $400 \times \frac{25}{100} + 325 \times \frac{20}{100} - 130 \times \frac{50}{100}$
$= 100 + 65 - 65$
$= 100$

प्र. 5 मान ज्ञात कीजिए :
$(0.5)^2 + (0.2)^2 + 2(0.5)(0.2) = ?$
(A) 0.94 (B) 0.39
(C) 0.69 (D) 0.49

उत्तर : (D) 0.49
व्याख्या : $(0.5)^2 + (0.2)^2 + 2(0.5)(0.2)$
$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
$= (0.5 + 0.2)^2$
$= (0.7)^2$
$= 0.49$

प्र. 6 मान ज्ञात कीजिए :
$2 + 3 - 4 \times 5 \div \frac{1}{10}$ का 10 = ?
(A) - 20 (B) - 15
(C) - 10 (D) - 5

उत्तर : (B) - 15
व्याख्या : $2 + 3 - 4 \times 5 \div \frac{1}{10}$ का 10
$= 5 - 4 \times 5 \div \frac{1}{10} \times 10$
$= 5 - 4 \times 5 \div 1$
$= 5 - 20$
$= -15$

प्र. 7 हल कीजिए :
30.9 + 3.09 + 0.309 + 0.039 + 309 = ?
(A) 340.138
(B) 343.338
(C) 342.338
(D) 242.338

उत्तर : (B) 343.338

प्र. 8 हल कीजिए :
$\frac{900}{\sqrt{x}} = 30$
(A) 30 (B) 300
(C) 600 (D) 900

उत्तर : (D) 900
व्याख्या : $\frac{900}{\sqrt{x}} = 30$
$\frac{900}{30} = \sqrt{x}$
$30 = \sqrt{x}$
$x = 30^2$
$= 900$

प्र. 9 यदि $\left(\sqrt{3}\right)^5 \times 9^2 = 3^n \times 3\sqrt{3}$, तब n का मान ज्ञात कीजिए :
(A) 5 (B) 2
(C) 4 (D) 3

उत्तर : (A) 5
व्याख्या : $\left(\sqrt{3}\right)^5 \times 9^2 = 3^n \times 3\sqrt{3}$
$3 \times 3\sqrt{3} \times 3^4 = 3^n \times 3\sqrt{3}$
$3 \times 3^4 = 3^n$
$3^5 = 3^n$
$n = 5$

प्र. 10 हल कीजिए :
$16 \div 2 \times 2 \div 2 \times 2 + 2 = ?$
(A) 10 (B) 6
(C) 18 (D) 3

उत्तर : (C) 18
व्याख्या : $16 \div 2 \times 2 \div 2 \times 2 + 2$
$= \frac{16}{2} \times \frac{2}{2} \times 2 + 2$
$= 8 \times 1 \times 2 + 2$
$= 16 + 2$
$= 18$

प्र. 11 मान ज्ञात कीजिए :
21 + [5 का {15 + (18 - 17)}]
(A) 99 (B) 100
(C) 101 (D) 102

उत्तर : (C) 101
व्याख्या : $21 + [5 \text{ का } \{15 + 1\}]$
$= 21 + [5 \text{ का } 16]$
$= 21 + 80$
$= 101$

प्र. 12 एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि तार की लंबाई 100 मीटर है तो डिग्री में तार का झुकाव, क्षैतिज जमीन पर है :
(A) 30° (B) 60°
(C) 45° (D) 90°

उत्तर : (A) 30°
व्याख्या : कर्ण = 100 मीटर
लम्ब = 50 मीटर
$\sin\theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{कर्ण}}$
$\sin\theta = \frac{50}{100}$
$\sin\theta = \frac{1}{2}$
$\sin\theta = \sin 30^\circ$
$\theta = 30^\circ$

प्र. 13 एक त्रिभुज में $\angle B = 90^\circ$ और $\angle A = 45^\circ$ है तो :
$\sin^2 A - \cos^2 A + \tan^2 A = ?$
(A) $\frac{3}{12}$ (B) $\frac{1}{6}$
(C) 0 (D) 1

उत्तर : (D) 1
व्याख्या : $\sin^2 A - \cos^2 A + \tan^2 A$
$= \sin^2 45^\circ - \cos^2 45^\circ + \tan^2 45^\circ$
$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1$
$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1$
$= 1$

प्र. 14 यदि $\tan A - \tan^2 A = 1$ है, तो $4(\sec^2 A - \sec^4 A)$ का मान ज्ञात कीजिए :
(A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) $\frac{1}{2}$

उत्तर : (C) 4
व्याख्या : $\tan A - \tan^2 A = 1$
$\tan A - \tan^2 A = \sec^2 A - \tan^2 A$
$\tan A = \sec^2 A$ ..... (1)
तब
$4(\sec^2 A - \sec^4 A)$
$= 4(\tan A - \tan^2 A)$
$= 4 \times 1$ [समी ....(1) से]
$= 4$

प्र. 15 यदि $\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 A}} = x$ है, x का मान है :
(A) secA (B) sinA
(C) cotA (D) cosecA

उत्तर : (D) cosecA
व्याख्या : $x = \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 A}}$
$x = \frac{1}{\sqrt{\sin^2 A}}$
$x = \frac{1}{\sin A}$
$x = \text{cosec} A$

प्र. 16 यदि $\sin 3A = x$ है, तब x का मान ज्ञात कीजिए :
(A) $3\sin A + 4\sin^3 A$
(B) $4\sin^3 A + \sin A$
(C) $4\sin^3 A - 3\sin A$
(D) $3\sin A - 4\sin^3 A$

उत्तर : (D) $3\sin A - 4\sin^3 A$
व्याख्या : $\sin 3A = \sin(2A + A)$
$= \sin 2A \cos A + \cos 2A \sin A$
$= 2\sin A \cos A \cos A + (1 - 2\sin^2 A)\sin A$
$= 2\sin A \cos^2 A + \sin A - 2\sin^3 A$
$= 2\sin A (1 - \sin^2 A) + \sin A - 2\sin^3 A$
$= 2\sin A - 2\sin^3 A + \sin A - 2\sin^3 A$
$= 3\sin A - 4\sin^3 A$

प्र. 17 यदि $\frac{\sin A}{\sqrt{1-\sin^2 A}} = x$ है, तो x का मान क्या है?
(A) cotA (B) tanA
(C) cosecA (D) cosA

उत्तर : (B) tanA
व्याख्या : $\frac{\sin A}{\sqrt{1-\sin^2 A}} = x$
$\frac{\sin A}{\sqrt{\cos^2 A}} = x$
$\frac{\sin A}{\cos A} = x$
$\tan A = x$

प्र. 18 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) क्या है जिसकी भुजाएं $5\sqrt{5}$ सेमी, 10 सेमी और 15 सेमी हैं?
(A) $25\sqrt{5}$ (B) $30\sqrt{5}$
(C) $20\sqrt{5}$ (D) $22\sqrt{5}$

उत्तर : (A) $25\sqrt{5}$
व्याख्या : सबसे पहले, हम जांचते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं।
पाइथागोरस प्रमेय से,
$P^2 + B^2 = H^2$
$10^2 + (5\sqrt{5})^2 = (15)^2$
$100 + 125 = 225$
$225 = 225$
समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times$ आधार $\times$ ऊंचाई
$= \frac{1}{2} \times 10 \times 5\sqrt{5} = 25\sqrt{5}$

प्र. 19 44 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?
(A) 154 (B) 256
(C) 205 (D) 135

उत्तर : (A) 154
व्याख्या : वृत्त की परिधि $= 2\pi r$
$2\pi r = 44$
$r = 7$ सेमी
वृत्त का क्षेत्रफल $= \pi r^2$
$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7$
$= 154$ सेमी²

प्र. 20 एक आयताकार खेत की लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 6 : 5 है यदि खेत का परिमाप 132 मी. है तब इसकी चौड़ाई क्या है?
(A) 24 मी. (B) 30 मी.
(C) 35 मी. (D) 36 मी.

उत्तर : (B) 30 मी.
व्याख्या : आयत का परिमाप = 2 (लम्बाई + चौड़ाई)
माना लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः $6x$ और $5x$ हैं।
परिमाप $= 2(6x + 5x)$
$132 = 2(11x)$
$11x = 66$
$x = 6$
चौड़ाई $= 5 \times 6 = 30$ मी.

प्र. 21 यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेमी है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या होगा?
(A) $50\sqrt{2}$ (B) 50
(C) $25\sqrt{2}$ (D) 30

उत्तर : (B) 50
व्याख्या : वर्ग का विकर्ण $= \sqrt{2} \times$ भुजा
$10 = \sqrt{2} \times$ भुजा
भुजा $= \frac{10}{\sqrt{2}}$
वर्ग का क्षेत्रफल $= (\text{भुजा})^2 = \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 = 50$

प्र. 22 16 सेमी. भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।
(A) $60\sqrt{3}$ (B) $64\sqrt{3}$
(C) 128 (D) 70

उत्तर : (B) $64\sqrt{3}$
व्याख्या : समबाहु त्रिभुज की भुजा = 16 सेमी
क्षेत्रफल $= \frac{\sqrt{3}}{4}(\text{भुजा})^2$
$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \times 16$
$= 64\sqrt{3}$ सेमी²

प्र. 23 गणित की पाठ्यपुस्तकों की एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्यपुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्यपुस्तकें हैं?
(A) 10 (B) 8
(C) 26 (D) 12

उत्तर : (B) 8
व्याख्या : गणित की पाठ्यपुस्तकों की बोरी का वजन = 2400 ग्राम
गणित की पाठ्यपुस्तकों की संख्या $= \frac{2400}{300} = 8$

प्र. 24 यदि $(a^2 + b^2) = 26$ और $ab = 5$, तो $(a - b)^4$ का मान ज्ञात कीजिये?
(A) 16 (B) 81
(C) 256 (D) 625

उत्तर : (C) 256
व्याख्या : $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$
$= 26 - 2 \times 5$
$= 26 - 10$
$= 16$
$(a - b)^4 = 16 \times 16 = 256$

प्र. 25 यदि पिरामिड का आधार 12 मी. की भुजा का एक वर्ग है और इसकी ऊंचाई 27 मी. है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
(A) 1098 मी.³
(B) 1944 मी.³
(C) 1296 मी.³
(D) 2130 मी.³

उत्तर : (C) 1296 मी.³
व्याख्या : पिरामिड का आयतन $= \frac{1}{3}$ आधार का क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई
$= \frac{144 \times 27}{3}$
$= 1296$ मी.³

- साहिल शर्मा
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं)

धान मिलर्स की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर किया जा रहा है विचार

भोपाल, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की मिलिंग/निस्तारण के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार के लिये बनाई गई मंत्रीमण्डलीय उपसमिति की बैठक भोपाल स्थित मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री विसाहूलाल सिंह, वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा तथा आयुष एवं राज्यमंत्री जल संसाधन श्री रामकिशोर कांवरे उपस्थित थे।

बैठक में मिलर्स को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर समिति ने प्रोत्साहन राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किये जाने पर विचार किया। विभाग द्वारा वर्तमान में प्रोत्साहन राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किये जाने के बाद भी मिलर्स द्वारा मिलिंग में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अतः इस राशि को 50 से 100 रुपये किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा प्रदेश में मिलिंग की विगत तीन वर्षों की धान उपार्जन, मिलिंग की तिथि एवं मिलिंग की अवधि सहित मिलिंग की शेष उपलब्धता पर डिजिटली विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

समिति के सदस्य श्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि केप गोदामों को कवर्ड गोदाम में बदला जाना चाहिये, जिससे मौसम से होने वाले नुकसान से उपज को बचाया जा सके। इसके साथ ही मुख्य सड़क से गोदाम तक सड़क के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने समिति के समक्ष रखते हुए कहा कि इससे परिवहन में सहूलियत होगी।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 750 राइस मिल हैं, जिनमें 35 हजार मीट्रिक टन मिलिंग प्रतिदिन की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा सौरटेक्स आधारित मिलिंग को प्राथमिकता दी जाती है।

खेल चर्चा

गरबाइन मुगुरूजा ने जीती दुबई टेनिस चैंपियनशिप

दुबई, स्पेन की अनुभवी महिला टेनिस खिलाड़ी गरबाइन मुगुरूजा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग के फाइनल में मुगुरूजा ने चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजसिकोवा को सीधे सेटों में 7-6, 6-3 से हराया। यह मुगुरूजा के टेनिस कॅरियर का आठवां एकल खिताब है। मुगुरूजा का अप्रैल 2019 के बाद पहला खिताब है। मुगुरूजा वर्ष 2016 में फ्रेंच ओपन तथा वर्ष 2017 में विम्बलडन के रूप में दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग का खिताब एलेक्सा गुआरची और डारिजा जुराक की जोड़ी ने जीता।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को किया क्लीन स्वीप

एंटीगा, वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को वन-डे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। वेस्टइंडीज ने सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुये निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 274 रन बनाये। श्रीलंका के लिये वानिदु हसारंगा (80) और अशेन बंडारा (55) ने अर्धशतक लगाये। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 48.3 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिये डेरेन ब्रावो ने 102 रनों की शतकीय पारी खेली। यह ब्रावो के कॅरियर का चौथा वन-डे शतक है। वेस्टइंडीज के लिये शाई होप (64) और कीरोन पोलार्ड (53) ने भी अर्धशतक बनाये। इससे पहले वेस्टइंडीज ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट तथा दूसरा मैच 5 विकेट से जीता था। उल्लेखनीय है कि वेस्टइंडीज ने इससे पहले टी-20 सीरीज 2-1 से जीती थी।

अचंत शरत कमल ने ओलिंपिक के लिये किया क्वालिफाई

दोहा, भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने टोक्यो ओलिंपिक के लिये क्वालिफाई कर लिया है। कमल ने दोहा में आयोजित एशियन ओलिंपिक क्वालिफिकेशन में पाकिस्तान के मोहम्मद रमीज को 11-4, 11-1, 11-5 और 11-4 से हराकर ओलिंपिक का टिकट कटाया। कमल चौथी बार ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कमल के अलावा जी. साथियान और सुतीर्था मुखर्जी ने भी ओलिंपिक खेलों के लिये क्वालिफिकेशन हासिल किया है।

यूएई के दो क्रिकेटरों पर लगा प्रतिबंध

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के क्रिकेटर मोहम्मद नवीद और शैमान अनवर बट्ट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता तोड़ने के आरोप सिद्ध होने के बाद आठ वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। आईसीसी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी की संहिता 2.1.1 और 2.4.4 को तोड़ने का दोषी पाया गया है। दोनों क्रिकेटरों को वर्ष 2019 में आयोजित ट्वेंटी-20 विश्वकप क्वालिफायर्स के मैच में फिक्सिंग का दोषी पाया गया है। दोनों खिलाड़ियों पर यह प्रतिबंध 16 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होगा। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद नवीद उस समय यूएई के कप्तान थे और अपने देश के लिये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी

मुंबई ने चौथी बार जीता खिताब

नई दिल्ली, बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मुंबई ने भारत का सबसे बड़ा घरेलू वन-डे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में मुंबई ने उत्तरप्रदेश को 6 विकेट से हराया। मुंबई ने चौथी बार यह टूर्नामेंट जीता है। इस जीत के साथ मुंबई ने घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया है। मुंबई के नाम सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है।

फाइनल मैच में उत्तरप्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। माधव कौशिक और समर्थ सिंह ने पहले विकेट के लिये 122 रनों की साझेदारी कर उत्तरप्रदेश को अच्छी शुरुआत दिलाई। माधव ने नाबाद 158 रनों की पारी खेली, वहीं समर्थ ने 55 रन बनाये। इनके अलावा अक्षदीप नाथ ने भी 55 रनों की पारी खेल उत्तरप्रदेश को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। उत्तरप्रदेश ने निर्धारित 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 312 रन बनाये।

बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम को सलामी बल्लेबाज और कप्तान पृथ्वी शॉ ने तेज शुरुआत दिलाई।

- **मुंबई ने वर्ष 2004, 2007 और 2019 में भी जीती है विजय हजारे ट्रॉफी।**
- **तमिलनाडु ने सर्वाधिक पांच बार जीता है यह टूर्नामेंट।**
- **मुंबई के पृथ्वी शॉ ने इस सत्र में सर्वाधिक 827 रन बनाये हैं।**
- **इस सत्र में पृथ्वी शॉ और कर्नाटक के देवदत्त पडीक्कल ने 4-4 शतक लगाये हैं।**
- **पृथ्वी शॉ ने पुडुचेरी के खिलाफ नाबाद दोहरा शतक भी लगाया है।**

पृथ्वी ने 39 गेंदों में 73 रनों की पारी खेल जीत की नींव रखी। पृथ्वी के आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज आदित्य तारे ने मैदान संभाला। आदित्य ने यशस्वी जायसवाल (29), शम्स मुलानी (36) और शिवम दुबे (42) के साथ उपयोगी साझेदारी कर मुंबई को 41.3 ओवर में ही लक्ष्य के पार पहुंचा दिया। आदित्य ने 118 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। आदित्य तारे को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।

बीसीसीआई ने कोरोना के कारण निलंबित किये सभी ऐज-ग्रुप टूर्नामेंट

नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये सभी ऐज-ग्रुप टूर्नामेंट को निलंबित करने का निर्णय लिया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि आईपीएल-2021 के बाद हालात की समीक्षा की जायेगी और फिर घरेलू टूर्नामेंट्स कराने पर विचार होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिये खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है।

डेमियन राइट बने पंजाब किंग्स के गेंदबाजी कोच

मोहाली, आईपीएल की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने लीग के आगामी सत्र के लिये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन राइट को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। राइट से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज चार्ल्स लैंगवेल्ट पंजाब किंग्स के गेंदबाजी कोच थे। गेंदबाजी कोच बनाये जाने के बाद राइट ने कहा कि पंजाब किंग्स टीम में काफी क्षमता है और मैं टीम के बेहतरीन कोचिंग स्टाफ संग काम करने को लेकर उत्साहित हूं। उल्लेखनीय है कि डेमियन राइट ने अपने क्रिकेट कॅरियर में 123 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं।

मुंबई सिटी एफसी ने जीता आईएसएल का खिताब

मडगांव, भारत के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल क्लब में से एक मुंबई सिटी एफसी ने पहली बार इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बागान को 2-1 से हराया। इस हार के साथ एटीके मोहन बागान का लगातार दूसरी बार आईएसएल खिताब जीतने का सपना टूट गया।

एटीके मोहन बागान की टीम ने अपने चौथे खिताब के लिये फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक नीति अपनाई। मोहन बागान के डेविड विलियम्स ने 18वें मिनट में शानदार गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रही। मैच के 29वें मिनट में मोहन बागान के टीरी ने हेडर कर अपने ही गोल पोस्ट में आत्मघाती गोल कर बैठे। इस गोल के साथ मुंबई मैच में बराबरी पर आ गया।

इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के मौके बनाए, लेकिन पहला हाफ 1-1 की स्कोर लाइन पर खत्म हुआ। दूसरे हाफ में मुंबई ने भी अपने अटैक में तेजी लाई। 58वें मिनट में मुंबई के ह्यूगो बोउमस

को गोल करने का शानदार अवसर मिला, लेकिन वे गोल पोस्ट के ऊपर गेंद मार बैठे।

ऐसा लग रहा था कि मैच अतिरिक्त समय या शूटआउट में जायेगा, लेकिन मुंबई के बिपिन सिंह ने बार्थोमोलेव ओग्बेचे के पास पर गोल कर मुंबई को निर्णायक बढ़त दिलाई। कुछ क्षण बाद रेफरी की सीटी के साथ मुंबई सिटी एफसी का खिताब जीतने का सपना साकार हो गया।

- **मोहन बागान में विलय से पहले एटीके ने तीन बार जीता है आईएसएल खिताब।**
- **चेन्नईयन एफसी दो बार और बेंगलुरु एफसी एक बार बन चुकी है विजेता।**

मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किये दस हजार रन

लखनऊ, भारतीय महिला वन-डे टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली से पहले इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स महिला क्रिकेट में यह कारनामा कर चुकी हैं। मिताली ने यह उपलब्धि लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई पांच मैचों की वन-डे सीरीज के तीसरे मैच में हासिल की।

वन-डे में सात हजार रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी

मिताली राज के नाम महिला वन-डे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। मिताली महिला वन-डे क्रिकेट में सात हजार रन बनाने वाली विश्व की एकमात्र खिलाड़ी हैं। मिताली ने अब तक 214 वन-डे मैचों में 51.06 की औसत से 7 हजार 98 रन बनाये हैं। इनमें 7 शतक और 55 अर्धशतक भी शामिल हैं। मिताली के बाद चार्लेट एडवर्ड्स

ने महिला वन-डे क्रिकेट में 5 हजार 992 रन बनाये हैं।

मिताली का कॅरियर

मिताली का क्रिकेट कॅरियर 22 वर्ष से अधिक लंबा है। वे चार दशकों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली तथा सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरी क्रिकेटर हैं। मिताली ने जुलाई 1999 में आयरलैंड के खिलाफ वन-डे मैच में पदार्पण किया था। मिताली ने 10 टेस्ट मैच खेले हैं, इनमें उन्होंने एक दोहरा शतक सहित 663 रन बनाये हैं। मिताली ने 89 ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं।

मध्यप्रदेश मल्लखंब अकादमी स्थापित की जाएगी - खेल मंत्री

भोपाल, मल्लखंब हमारी मूल विधा है और इस विधा में हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की अलग पहचान बनाएं, इसके लिए शीघ्र ही मध्यप्रदेश राज्य मल्लखंब अकादमी स्थापित की जाएगी। ये बातें खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल स्थित टी.टी. नगर स्टेडियम में मार्शल आर्ट हॉल में खेली जा रही तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मल्लखंब प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुये कहीं।

प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर बालक एवं बालिका वर्ग में ओवर ऑल चैंपियन बनने का गौरव उज्जैन ने प्राप्त किया। जबकि उप विजेता के खिताब से शाजापुर को नवाजा गया। बालिका सीनियर वर्ग में पन्ना एवं जूनियर बालिका वर्ग में छतरपुर के खिलाड़ी तृतीय स्थान पर रहे। संपूर्ण प्रतियोगिता में बालक वर्ग में भोपाल

के प्रणीत यादव तथा बालिका वर्ग में उज्जैन की शिवानी किलोरिया को चैंपियन ऑफ चैंपियन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

मल्लखंब खिलाड़ियों के प्रदर्शन से प्रभावित खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में मल्लखंब खेल में ऐसी छुपी प्रतिभाएं और उनके प्रदर्शन को देखकर मन प्रफुल्लित है। हमारे खिलाड़ी इस विधा से ऊंचाईयां पाकर विश्व में प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यह जस्बा, जुनून और लगन बनाएं रखें। उन्होंने जूडो, कराते, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, रोइंग सहित अन्य खेलों का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों से कहा कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि किसी अन्य खेल विधा में भी आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है।

भवानी देवी को मिला टोक्यो ओलिंपिक का टिकट

नई दिल्ली, भारत की महिला तलवारबाज सी.ए. भवानी देवी ने इस वर्ष आयोजित होने वाले टोक्यो ओलिंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। भवानी देवी टोक्यो ओलिंपिक में जगह बनाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज हैं। भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग (एओआर) के आधार पर ओलिंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है। विश्व रैंकिंग के आधार पर एशिया-ओशिनिया क्षेत्र के लिये ओलिंपिक क्वालिफिकेशन के लिये दो जगह थीं। भवानी देवी इस समय 45वें स्थान पर हैं और रैंकिंग के आधार पर वे एक स्थान हासिल कर लेंगी। हालांकि आधिकारिक क्वालिफिकेशन पर मुहर पांच अप्रैल को जारी होने वाली रैंकिंग के बाद लगेगी। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भवानी देवी को ओलिंपिक के लिये शुभकामनायें दीं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

भारत की मदद से नेपाल में जल निकासी व्यवस्था शुरू

नेपाल के सरलाही जिले में भारत की मदद से तैयार हुई जल निकासी व्यवस्था का पिछले दिनों उद्घाटन किया गया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार इस परियोजना के लिए भारत की ओर से 4.27 करोड़ रुपये की मदद की गई थी। यह जल निकासी व्यवस्था मलंगवा नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 और 4 में बनायी गई है। वीरगंज में भारत के महावाणिज्य दूत नितेश कुमार और मलंगवा नगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने इसका उद्घाटन किया। इससे तकरीबन 500 परिवारों को मदद मिलेगी।

आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

महामारी से मिले सबक भूले नहीं जाने चाहिए : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहा कि हम ऐसी घटना के गवाह हैं, जिसे 100 साल में एक बार आने वाली आपदा बताया जा रहा है। कोविड 19 महामारी ने हमें सिखाया है कि अमीर या गरीब देश हों, पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण हों, एक परस्पर निर्भर और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में वैश्विक आपदाओं के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी ने दिखाया है कि कैसे दुनिया एकजुट हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी ने हमें दिखाया है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान हासिल करने वाले नवाचार किसी भी स्थान से सामने आ सकते हैं। इसके लिए, श्री मोदी ने एक ऐसे वैश्विक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का आह्वान किया, जो दुनिया के हर हिस्से में नवाचार और उसे ऐसे स्थानों को हस्तांतरित किए

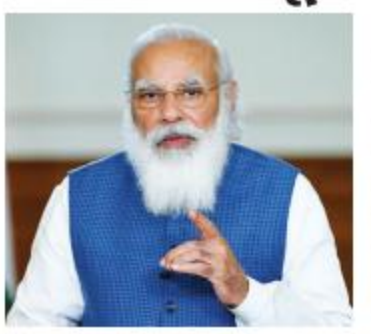

जाने का समर्थन करता है, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2021 महामारी से तेज सुधार का साल होने का भरोसा दिलाता है।

प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि महामारी के सबक भूले नहीं जाने चाहिए। वे न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं बल्कि अन्य आपदाओं पर भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए निरंतर और ठोस प्रयास करने होंगे।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अवसंरचना ने भारी निवेश कर रहे भारत जैसे देशों को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लचीलेपन में निवेश हो, न कि जोखिम में। कई अवसंरचना प्रणालियां डिजिटल अवसंरचना, शिपिंग लाइन, विमानन नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर करती हैं और दुनिया के एक हिस्से में आपदा का प्रभाव तेजी से दुनिया भर में फैल सकता है। वैश्विक व्यवस्था में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण साल है। हम सतत् विकास के लक्ष्यों, पेरिस समझौते और सेनडाई फ्रेमवर्क के मध्य तक पहुंच रहे हैं। इस साल के अंत में इटली में होने वाले सीओपी-26 से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से विचार रखे। पहला, सीडीआरआई को सतत् विकास के लक्ष्यों के केन्द्रीय वादे के रूप में शामिल करना चाहिए, जो है कोई भी पीछे न छूटे। इसका मतलब है कि हमें पहले सबसे ज्यादा कमजोर देशों और समुदायों की चिंता करनी है। दूसरा, कुछ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों- विशेषकर स्वास्थ्य अवसंरचना और डिजिटल अवसंरचना के प्रदर्शन का जायजा लेना चाहिए, जिन्होंने महामारी के दौरान केन्द्रीय भूमिका निभाई है। इन क्षेत्रों से क्या सबक हासिल हुए हैं? और हम भविष्य के लिए उन्हें कैसे ज्यादा लचीला बना सकते हैं? तीसरा, लचीलेपन की खोज में, किसी भी तकनीक व्यवस्था को ज्यादा प्राथमिक या ज्यादा विकसित रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सीडीआरआई को तकनीक के उपयोग के प्रदर्शन प्रभाव को अधिकतम बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि और आखिर में, लचीली अवसंरचना का विचार सिर्फ विशेषज्ञों और औपचारिक संस्थानों को सक्रिय करने के लिए नहीं, बल्कि एक जनांदोलन खड़ा करने वाला होना चाहिए।

जल्द शुरू होगी जनगणना प्रक्रिया

केंद्र सरकार आगामी मई से जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जनगणना के पहले चरण में 30 लाख मैदानी कर्मचारी

- **2020-21 - जनगणना/एनपीआर के लिए मोबाइल एप, सीएमएमएस पोर्टल का प्री-टेस्ट होगा।**
- **2021-22 - पहले चरण के फील्ड वर्क में घरों की स्थिति, सुविधाएं और संपत्ति जानेंगे।**
- **2022-23 - दूसरे चरण के फील्ड वर्क में जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी), धर्म, अजा-जजा, भाषा, साक्षरता और शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, पलायन और नए जन्म दर्ज किए जाएंगे।**
- **2023-24 - प्रारंभिक और अंतरिम डेटा जारी होंगे।**
- **2024-25 - 250 से अधिक डेटाटेबल और अंतिम डेटा जारी।**

लगेंगे। वर्ष 2024-25 तक आबादी के अंतिम और प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

पहले चरण में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी अपडेट होगा। हालांकि महामारी के बाद की स्थिति में एनपीआर के लिए परिवार की सूचनाएं स्वेच्छा से ऑनलाइन अपडेट करने की छूट मिलेगी।

उत्तरी आयरलैंड

ईयू ने ब्रिटेन के खिलाफ शुरू की कार्यवाही

उत्तरी आयरलैंड के मसले पर यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने ब्रिटेन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी।

ईयू के ब्रसेल्स स्थित मुख्यालय ने कहा है कि 2020 में हुए ब्रेक्जिट (अलगाव) समझौते को ब्रिटेन द्वारा तोड़े जाने के कारण उसे यह कानूनी कदम उठाना पड़ा है।

ईयू ने प्रक्रिया के तहत नोटिस भेज दिया है। ब्रिटेन के ईयू से अलगाव के लिए हुए समझौते में उत्तरी आयरलैंड को लेकर विशेष प्रावधान है। लेकिन ब्रिटेन अब उन प्रावधानों को मानने से इनकार कर रहा है। इसलिए ईयू ने नोटिस के साथ ब्रिटेन से जवाब भी मांगा है।

हांगकांग पर नियंत्रण बढ़ाने वाला प्रस्ताव चीन की संसद में हुआ पास

चीन की संसद में हांगकांग पर नियंत्रण बढ़ाने वाले प्रस्ताव को सहर्ष अनुमोदन से पास कर दिया गया है।

- **जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या कम होगी।**
- **बीजिंग समर्थित समिति के अधिकार बढ़ाए गए।**

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) में इस बदलाव के पक्ष में 2 हजार 8 सौ 95 वोट पड़े।

खास बात यह रही कि किसी भी सदस्य ने विरोध में मतदान नहीं किया। यह मतदान उस बदलाव के समर्थन में किया गया है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या कम करते हुए बीजिंग समर्थित हांगकांग की चुनाव

समिति को अधिक अधिकार देगा।

मतदान की प्रक्रिया 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल' में हुई और इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। चीन की संसद में हांगकांग के लिये यह एक विशेष अनुमोदन प्रस्ताव था।

हालांकि हांगकांग ने चीन की संसद में पास हुये इस प्रस्ताव पर अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कि है।

ईरान ने

जमीन के अंदर शुरू किया मिसाइल संयंत्र

ईरान ने जमीन के अंदर मिसाइल संयंत्र बनाने की योजना को अंजाम दे दिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार

- **अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईरान के अर्धसैनिक बल रीवोल्यूशनरी गार्ड ने जमीन के अंदर मिसाइल संयंत्र की शुरुआत की।**
- **इस जगह का इस्तेमाल मिसाइलों को रखने के लिए किया जाएगा।**

गया है।

ज्ञात रहे कि वर्ष 2011 के बाद से ईरान ने पूरे देश के साथ-साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित दक्षिणी तट में भी जमीन के अंदर सामरिक महत्व के संयंत्रों की शुरुआत की थी।

कहा गया है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए योजना को अमल में लाया गया है। हालांकि अभी भी मिसाइलों के रखने के स्थान को पूरी तरह गोपनीय रखा

म्यांमार के कई हिस्सों में मार्शल लॉ लागू

म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य शासन ने सबसे बड़े शहर यंगून के कई हिस्सों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है।

देश भर में होने वाले प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य शासन ने यह कदम उठाया है।

दूसरी ओर हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या पर नजर रखने वाले स्वतंत्र समूह एसिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रीज़नर्स के मुताबिक लगभग 38 लोगों की मौत हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई। समूह के मुताबिक सबसे अधिक मौतें यंगून में (34) हुईं।

ब्रिटेन

परमाणु हथियार बढ़ाने की योजना पर करेगा अमल

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि विश्व में बढ़ती अराजकता के मद्देनजर उनका देश परमाणु हथियारों को

- **विश्व में बढ़ते खतरे और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए ब्रिटेन ने भी परमाणु हथियारों का जखीरा 40 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है।**
- **पहले हथियारों को सीमित करने की नीति ब्रिटेन की ही थी।**

बढ़ाने की योजना पर काम करने जा रहा है।

ब्रिटने की परमाणु हथियारों को लेकर बनी नीति के तहत ही 2010 में ब्रिटेन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 180 पर निर्धारित कर दिया था। 2020 के मध्य

में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने अपनी इस नीति को तोड़ दिया और परमाणु हथियारों की सीमा को 260 तक कर दिया। अब इस सीमा को फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया और इस पर अमल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ देश तेजी से परमाणु हथियार बढ़ाने और उसमें विविधता लाने में लगे हुए हैं।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्याभ्यास

उत्तर कोरिया ने की निंदा

उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्याभ्यास की कड़े शब्दों में निंदा की है। उत्तर कोरिया ने इस बहाने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है।

ज्ञात रहे कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंटन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन उत्तर कोरिया और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर जापान और दक्षिण कोरिया से बात करने के लिए एशिया गए हैं, जिसके बाद किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने यह बयान जारी किया है। उत्तर कोरिया के अंतर-कोरियाई मामले संभालने वाली किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया को अगर दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग नहीं करना हुआ, तो वह सैन्य तनाव को कम करने के

लिए हुए 2018 के द्विपक्षीय समझौते से बाहर आने पर विचार करेगा और अंतर-कोरियाई संबंधों को संभालने के लिए गठित एक दशक पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी इकाई को भी भंग कर देगा।

गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच वार्षिक सैन्य अभियान पिछले सप्ताह शुरू हुआ था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।

अमेरिका में आया भीषण बर्फीला तूफान

अमेरिका के डेनवर में आए भीषण बर्फीले तूफान के चलते दो हजार से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शीत तूफान की चेतावनी जारी की है और 18 से 24 इंच बर्फबारी होने और ओले गिरने की आशंका व्यक्त की। इसके अलावा फ्रंट रेंज तलहटी के कुछ इलाकों में 30 इंच तक बर्फबारी होने की आशंका है। कोलोराडो परिवहन विभाग ने भी सड़कों के बंद होने की आशंका जताते हुए लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने को कहा गया है। डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता एमिली विलियम्स ने बताया कि हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ रही, लेकिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया।

तिब्बत की गौरवशाली संस्कृति को नष्ट कर रहा चीन - नैंसी पेलोसी

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा है कि तिब्बत की गौरवशाली परंपरा को चीन

- **पेलोसी के अनुसार अमेरिका ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए 'तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट' लागू करके तिब्बत के लोगों के प्रति द्विदलीय और दोनों सदनों में सहयोग की पुनः पुष्टि की है।**

लगातार नष्ट कर रहा है। पेलोसी ने दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र पर चीन के कब्जे के खिलाफ तिब्बती विद्रोह दिवस के 62 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित एक समारोह में यह कहा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका आज भी और हमेशा ही तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों का साथ देना अमेरिका कभी नहीं छोड़ेगा।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक डॉ. सुदाम खाड़े, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.बी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।